

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOUNTS AND ISLAMIC BANKING

खाते और इस्लामिक बैंकिंग के लिए सामान्य नियम एवं शर्तें

Abu Dhabi Islamic Bank Public Joint Stock Company
is licensed by the Central Bank of the UAE.

 adib.ae

अबू धाबी इस्लामिक बैंक पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी
यूएई के केंद्रीय बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त है।

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOUNTS AND ISLAMIC BANKING SERVICES

These (the "Terms and Conditions") and any agreed amendments thereof from time to time shall apply to the Accounts and banking services and govern the relationship between the Bank and the Customer.

The Bank shall notify the Customer when adding an addendum to these Terms and Conditions for the purpose of adding any additional terms and conditions for any type of accounts and banking services that are not specified by these Terms and Conditions or for the completion thereof (the "Addendum") at any time but provided that the terms and conditions of such Addendum shall not contradict with the laws, the Central Bank's directions and regulations and the rules and principles of Islamic Shari'a by displaying the Addendum at the branches of the Bank, on the Bank's website and/or by any other acceptable means of notification of such Addendum. The Customer shall be deemed to have accepted the changes stipulated in the Addendum if the Customer does not close all his/her Accounts with the Bank or utilizes any of the banking services within 60 calendar days of notification reception.

Unless provided to the contrary in these Terms and Conditions, the changes shall take effect upon the expiry of the above mentioned period.

A. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

1. Definitions and Interpretation

1.1 Definitions: In these Terms and Conditions, the following terms shall have the following meanings:

"Account(s)" means any bank account(s) opened and operated by the Customer with the Bank in accordance to the rules and Principles of Islamic Shari'a, these Terms and Conditions of the Bank and where the context requires, shall include the Current Account and/or the Mudarabah Accounts (either for a specified or unspecified period, such as Investment Deposit Account, Saving Account).

"Account Opening Application" means the account opening application (whether in paper or electronic form) in the Bank's prescribed format as is issued by the Bank from time to time and signed by the Bank and the Customer or otherwise confirmed or accepted by them.

"AED" means the lawful currency of the United Arab Emirates.

"Agent (S)" means, any third party required and/or appointed by the Bank to provide any part of the Service or to support Internet Banking or to operate or administer the Account, Card, PIN, TPIN, SMS PIN or any of the banking services.

"ATM" means an automated teller machine, cash handling machine or any Card operated machine or device whether belonging to the Bank or other participating banks or financial institutions nominated from time to time by the Bank, which accepts and/or dispenses cash and cheques in addition to the provision of other banking services.

"Authorised Person" means a person authorised by the Customer (whether in the Account Opening Application or otherwise) to act on behalf of the Customer in relation to the Account(s) and any transactions in relation to such Account(s).

"Bank" means Abu Dhabi Islamic Bank Public Joint Stock Company or any of its branches, subsidiaries or its successors and assigns.

"Banking Day" means any day on which the Bank is open for business in the UAE.

"Beneficiary" means the intended recipient of funds as transferred by the Bank upon the instructions of the Customer via an ATM or through the use of a Card or the other services offered under these Terms and Conditions.

"Bill Payment" means the payment of bills to utility, telecommunications or other companies or authorities through the Service or such channels as shall be made available by the Bank.

"Card" means any card issued by the Bank or a third party card of a direct debit type to enable the Customer to access various services, including but not limited to, cash withdrawals, payments for purchases, other banking

खातों और इस्लामिक बैंकिंग सेवाओं के लिए सामान्य नियम एवं शर्तें

ये ("नियम एवं शर्तें") तथा समय-समय पर इनमें किए गए कोई भी सहमत संशोधन खातों और बैंकिंग सेवाओं पर लागू होंगे और बैंक तथा ग्राहक के बीच संबंध को नियंत्रित करेंगे।

बैंक इन नियमों और शर्तों में किसी भी प्रकार के खातों और बैंकिंग सेवाओं के लिए किसी भी अतिरिक्त नियम और शर्तों को जोड़ने या उन्हें पूरा करने के उद्देश्य से, जो इन नियमों और शर्तों में निर्दिष्ट नहीं हैं, किसी भी समय एक अनुपूरक जोड़ने पर ग्राहक को अधिसूचित करेगा (जिसे "अनुपूरक" कहा जाएगा)। बशर्तें कि ऐसे अनुपूरक के नियम और शर्तें कानूनों, केंद्रीय बैंक के निर्देशों और विनियमों तथा इस्लामी शरिया के नियमों और सिद्धांतों के विपरीत न हों। बैंक इस अनुपूरक को बैंक की शाखाओं में प्रदर्शित करके, बैंक की वेबसाइट पर और/या अधिसूचना के किसी अन्य स्वीकार्य माध्यम से सूचित करेगा। यदि ग्राहक सूचना मिलने के 60 कैलेंडर दिनों के भीतर बैंक के साथ अपने सभी खाते बंद नहीं करता है या किसी भी बैंकिंग सेवा का इस्तेमाल करता है, तो यह माना जाएगा कि उसने अनुबंध में किए गए बदलावों को स्वीकार कर लिया है।

जब तक इन नियमों और शर्तों में इसके विपरीत कोई बात न कही गई हो, तब तक ऊपर बताई गई अवधि के खतम होने पर बदलाव लागू हो जाएंगे।

क. परिभाषाएं और व्याख्या

1. परिभाषाएं और व्याख्या

1.1 परिभाषाएं: इन नियम एवं शर्तों में, निम्नलिखित शब्दों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:

"खाता (खाते)" से तात्पर्य ग्राहक द्वारा बैंक के पास इस्लामी शरिया के नियमों और सिद्धांतों तथा बैंक के इन नियमों और शर्तों के अनुसार खोले गए और संचालित किए जाने वाले किसी भी बैंक खाते/खातों से है, और जहाँ संदर्भ के अनुसार आवश्यक हो, इसमें चालू खाता (करंट अकाउंट) और/या मुदाराबा खाते (चाहे एक निश्चित या अनिश्चित अवधि के लिए हों, जैसे कि निवेश जमा खाता, बचत खाता) शामिल होंगे।

"खाता खोलने का आवेदन" का अर्थ है बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए बैंक के निर्धारित प्रारूप में खाता खोलने के आवेदन (चाहे कागजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो) से है, जिस पर बैंक और ग्राहक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों या अन्यथा उनके द्वारा इसकी पुष्टि या स्वीकृति दी गई हो।

"एईडी (AED)" का तात्पर्य संयुक्त अरब अमीरात की वैध मुद्रा से है।

"एजेंट" का अर्थ है, कोई भी तृतीय पक्ष जो बैंक द्वारा सेवा के किसी भी भाग को प्रदान करने या इंटरनेट बैंकिंग का समर्थन करने या खाता, कार्ड, पिन, टी-पिन, एसएमएस पिन या किसी भी बैंकिंग सेवा को संचालित या प्रशासित करने के लिए आवश्यक और/या नियुक्त किया गया हो।

"एटीएम" से तात्पर्य एक ऑटोमेटेड टेलर मशीन, कैश हैंडलिंग मशीन या कार्ड से संचालित होने वाली कोई भी मशीन या उपकरण से है, चाहे वह बैंक की हो या बैंक द्वारा समय-समय पर नामांकित अन्य भागीदार बैंकों या वित्तीय संस्थानों की हो, जो अन्य बैंकिंग सेवाओं के प्रावधान के अतिरिक्त नकद और चेक स्वीकार करती है और/या वितरित करती है।

"अधिकृत व्यक्ति" का अर्थ है ग्राहक द्वारा अधिकृत व्यक्ति (चाहे खाता खोलने के आवेदन में या अन्य चीजों के लिए हो) जो खाते (खातों) और उनसे संबंधित किसी भी लेनदेन के संबंध में ग्राहक की ओर से कार्य करे।

"बैंक" से तात्पर्य अबू धाबी इस्लामिक बैंक पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी या उसकी किसी भी शाखा, सहायक कंपनी या उसके उत्तराधिकारियों और समनुदेशिती से है।

"बैंकिंग दिवस" का अर्थ है कोई भी दिन जिस दिन बैंक बैंक संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में कारोबार के लिए रहता है।

"लाभार्थी" से तात्पर्य ग्राहक के निर्देशों पर बैंक द्वारा एटीएम (ATM) के माध्यम से, कार्ड के उपयोग द्वारा या इन नियमों और शर्तों के तहत दी जाने वाली अन्य सेवाओं के माध्यम से भेजी गई धनराशि के वास्तविक प्राप्तकर्ता से है।

"बिल भुगतान" का अर्थ सेवा के माध्यम से या बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए ऐसे चैनलों के माध्यम से उपयोगिता, दूरसंचार या अन्य कंपनियों या प्राधिकरणों को बिलों का भुगतान से है।

"कार्ड" का अर्थ है बैंक द्वारा जारी किए गए किसी भी कार्ड या डायरेक्ट डेबिट प्रकार के किसी तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) के कार्ड से है, जो ग्राहक को बैंक द्वारा प्रदान किए गए या व्यवस्थित किए गए विभिन्न इंटरफेस के माध्यम से विभिन्न सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, जिसमें नकद निकासी, खरीदारी के लिए भुगतान, अन्य बैंकिंग सेवाएँ और

services and account related information, from various interfaces provided or arranged by the Bank.

"Cardholder" means a Customer or Supplementary Nominee to whom a Card has been issued.

"Cash Withdrawal" means a cash withdrawal from an account maintained with the Bank using teller counters, ATMs, point of sale and other cash dispensing outlets made available by the Bank.

"Central Bank" means the central bank of the UAE.

"Clause" means a clause of these Terms and Conditions.

"Current Account" means the Islamic current account(s), structured on the concept of Qard as per rules and Principles of Islamic Shari'a opened and maintained by the Customer (lender) with the Bank (borrower).

"Customer" means an Individual Customer who is the account holder named in the Account Opening Application.

"Customer's Instructions" means any instruction given by the Customer to the Bank.

"Deposit" means funds deposited in an Account or any other account maintained with the Bank at any point of deposit made available by the Bank.

"Internal Shari'a Supervisory Committee" means the Bank's Internal Shari'a Supervisory Committee.

"Financial Transaction" means an entry or set of entries or transaction causing movement of funds and affecting the balance(s) in the Account(s), whether directly initiated manually, automatically, electronically or remotely transmitted via the channels made available by the Bank.

"Foreign Currency" means any currency approved by the Bank other than "AED".

"Identification Facilities" means a Login ID, TPIN, PIN, SMS PIN and any other identification facilities in relation to the Service.

"Individual Customer" means a Customer who is a natural person.

"Instructions" means documentation, operating instructions or reference guidelines relating to Internet Banking, issued by the Bank in any written form or in the guide on the Bank's Internet Banking site.

"Internet" means a computer network consisting of a worldwide network of computer networks to facilitate data transmission and exchange.

"Internet Banking" means a secured Internet based electronic service offered by the Bank which enables the Customer to connect with the Bank via the Internet to undertake Financial Transactions and Non-Financial Transactions with the Bank from remote locations.

"Investment Deposit" means the funds invested in the Investment Deposit Account.

"Investment Deposit Account" means the deposit Account (term deposit Account) based on Mudarabah opened and maintained by the Customer with the Bank for a pre-specified period.

"Investment Period" means a period of one, three, six, nine or twelve calendar months or any other period approved by the Bank as may be selected by the Customer in respect of the tenure of an Investment Deposit.

"Investment Risk Reserves" means the reserve maintained by the Bank of the Mudarabah Accounts Holders' Share in the Profit in order to maintain a certain level of profits and protection against future losses incurred by the Mudarabah Account holders in accordance with Clause 16.3.

"Islamic Shari'a" means the provisions of Islamic law derived from the Holy Qur'an, Prophetic Tradition "Sunnah", or binding authority of the dicta and decisions of the Prophet Mohammed (peace be upon him), ijma, or "consensus" of the community of Islamic scholars, and the qiyas, or analogical deductions as well as other Islamic law evidence, as may be determined or deduced by the Bank's Internal Shari'a Supervisory Committee.

खाते से संबंधित जानकारी शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

"कार्डधारक" से तात्पर्य उस ग्राहक या पूरक नामांकित व्यक्ति (सप्लीमेंट्री नॉमिनी) से है जिसे कार्ड जारी किया गया है।

"नकद निकासी" का अर्थ है टेलर काउंटरों, एटीएम (ATMs), पॉइंट ऑफ सेल (POS) और बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए अन्य नकद वितरण आउटलेट का उपयोग करके बैंक के पास बनाए रखे गए खाते से नकद निकासी।

"केंद्रीय बैंक" से तात्पर्य संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के केंद्रीय बैंक से है।

"खंड" का अर्थ है इन नियम एवं शर्तों का एक खंड।

"चालू खाता" से तात्पर्य इस्लामी चालू खाते/खातों से है, जो इस्लामी शरिया के नियमों और सिद्धांतों के अनुसार क़र्ज़ (Qard) की अवधारणा पर संरचित है और ग्राहक (ऋणदाता) द्वारा बैंक (ऋणकर्ता) के पास खोला और बनाए रखा जाता है।

"ग्राहक" से तात्पर्य एक व्यक्तिगत ग्राहक से है जो खाता खोलने के आवेदन में नामित खाताधारक है।

"ग्राहक के निर्देश" का अर्थ है ग्राहक द्वारा बैंक को दिया गया कोई भी निर्देश।

"जमा" का अर्थ है किसी खाते या बैंक के पास बनाए गए किसी अन्य खाते में बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी भी जमा बिंदु पर जमा की गई धनराशि।

"आंतरिक शरीयत पर्यवेक्षी समिति" से तात्पर्य बैंक की आंतरिक शरिया पर्यवेक्षी समिति (इंटरनल शरिया सुपरवाइजरी कमेटी) से है।

"वित्तीय लेनदेन" का अर्थ है एक प्रविष्टि या प्रविष्टियों का समूह या लेनदेन जो धनराशि की आवाजाही का कारण बनता है और खाते (खातों) में शेष राशि को प्रभावित करता है, चाहे वह सीधे मैन्युअल रूप से, स्वचालित रूप से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से आरंभ किया गया हो या बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए चैनलों के माध्यम से दूरस्थ रूप से प्रेषित किया गया हो।

"विदेशी मुद्रा" का अर्थ है एईडी "(AED)" के अलावा बैंक द्वारा स्वीकृत कोई भी मुद्रा।

"पहचान सुविधाएं" से तात्पर्य लॉगिन आईडी (Login ID), टी-पिन (TPIN), पिन (PIN), एसएमएस पिन (SMS PIN) और सेवा के संबंध में किसी भी अन्य पहचान सुविधाओं से है।

"व्यक्तिगत ग्राहक" का अर्थ है एक ग्राहक जो एक प्राकृतिक व्यक्ति है।

"निर्देश" का अर्थ है इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित दस्तावेजीकरण, परिचालन निर्देश या संदर्भ दिशानिर्देश, जो बैंक द्वारा किसी लिखित रूप में या बैंक की इंटरनेट बैंकिंग साइट पर मार्गदर्शिका में जारी किए गए हों।

"इंटरनेट" का अर्थ है एक कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें डेटा ट्रांसमिशन (प्रेषण) और विनिमय को सुगम बनाने के लिए कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क शामिल है।

"इंटरनेट बैंकिंग" से तात्पर्य बैंक द्वारा दी जाने वाली एक सुरक्षित इंटरनेट-आधारित इलेक्ट्रॉनिक सेवा से है जो ग्राहक को दूरस्थ स्थानों (रिमोट लोकेशंस) से बैंक के साथ वित्तीय लेनदेन और गैर-वित्तीय लेनदेन करने के लिए इंटरनेट के माध्यम से बैंक से जुड़ने में सक्षम बनाती है।

"निवेश जमा" का अर्थ है निवेश जमा खाते में निवेश की गई धनराशि।

"निवेश जमा खाता" का अर्थ है मुदारबा पर आधारित जमा खाता (साविधि जमा खाता) जिसे ग्राहक द्वारा बैंक के पास एक पूर्व-निर्दिष्ट अवधि के लिए खोला और बनाए रखा जाता है।

"निवेश अवधि" का अर्थ है एक, तीन, छह, नौ या बारह कैलेंडर माह की अवधि या बैंक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य अवधि, जिसे ग्राहक द्वारा निवेश जमा की अवधि के संबंध में चुना जा सकता है।

"निवेश जोखिम आरक्षित निधि" से तात्पर्य धारा 16.3 के अनुसार मुनाफे के एक निश्चित स्तर को बनाए रखने और मुदारबा खाताधारकों को भविष्य में होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, मुनाफे में मुदारबा खाताधारकों के हिस्से में से बैंक द्वारा बनाए रखे जाने वाले आरक्षित कोष से है।

"इस्लामी शरिया" का अर्थ है इस्लामी कानून के प्रावधान जो पवित्र कुरान, पैगंबर परंपरा "सुन्नत", या पैगंबर मोहम्मद (उन पर शांति हो) के कथनों और निर्णयों के बाध्यकारी प्राधिकार, इज्मा या इस्लामी विद्वानों के समुदाय की "सहमति", और कयास या सादृश्य निष्कर्ष के साथ-साथ अन्य इस्लामी कानून साक्ष्य से प्राप्त होते हैं, जैसा कि बैंक की आंतरिक शरिया पर्यवेक्षी समिति द्वारा निर्धारित या निष्कर्षित किया जाए।

“Joint Account” means an account opened in the name of two or more Customers.

“Login ID” Such identification number/name used for identifying a Customer when used in conjunction with a PIN.

“Merchant” means any corporate entity, person or other establishment supplying goods and/or services who accepts the Card as a mode of payment or reservation by the Cardholder.

“Mudaraba” means a partnership in profit in which one party provides capital (“Rab-al-Maal” or “Mudarabah Investor”) and the other party provides its expertise, skill and effort in the investment of such capital (“Mudarib” or “Mudarabah Manager”). Profit, if any, is shared between the parties as per an agreed common ratio. Unless financial loss (if any) is not due to the Mudarib's negligence, infringement or violation of the terms and conditions of the contract, it shall be borne solely by the Mudarabah investor while the Mudarib will lose his efforts and time spent.

“Mudarabah Accounts” means subject to Clause 16.1(a), the Investment Deposit Account and the Savings Account, and any other accounts opened on Mudarabah basis.

“Non-Financial Transaction” means any transaction made by the Customer with the Bank which does not cause movement of funds or affect the balance(s) in the Account(s), whether initiated manually, automatically, electronically or remotely transmitted to the Bank via channels made available by the Bank or transmitted via Internet Banking services relating to the Account(s) and/or other business activities with the Bank. This will include mail message which will be treated as a Customer's Instruction.

“Payment” means a transfer of funds by the Bank from a Customer Account to a Beneficiary pursuant to Customer's instructions.

“Payment Instruction” means banking payments on behalf of a Customer which may include, but are not limited to bank cheques, bank drafts and telegraphic transfers.

“Password” means a secret code consisting of alpha and/or numeric values which allows a Customer to access Internet Banking services.

“Phonebanking” means the Service, which is accessed through the telephone to Cardholders whose accounts are domiciled in the UAE providing Account and general information, fund transfer facilities and any other banking services that may be provided by the Bank through the telephone.

“PIN” means a personal identification number issued to the Cardholder which allows a Customer to access the Bank's computer system through Internet Banking, ATMs or other electronic services provided by the Bank, and includes any PIN substituted by the Customer.

“Prevailing Exchange Rate” means the spot exchange rate of the relevant currency in the local or global exchange market (as the case may be).

“Prevailing Exchange Rate of the Bank” means the exchange rate of the relevant currency in force at the Bank as announced in its branches and/or website.

“Profit Calculation Period” means, in relation to a Mudarabah Account, a period of one, three, six, nine or twelve calendar months or any other period as may be required by the Customer at the Account opening date and approved by the Bank. It is the period in relation to which profits on the Mudarabah Funds shall be calculated from the realized profits.

“Profit Equalization Reserves” means the reserve of the general pool maintained by the Bank (prior of the deduction of the Mudarib's Profit Share) in order to maintain a certain level of return on investment for the Mudarabah Accounts holders and increase the rights of property owners in accordance with Clause 16.3(h).

“Profit Payment Date” means the date on which the Bank pays the Mudarabah Account holder's share of the realized and distributed Profits which shall be determined as per the rules applied by the Bank and agreed upon with the Mudarabah Accounts holders.

“Purchase” means any purchasing transaction of goods or obtaining services being paid by a Cardholder by the use of a any Card.

“Safety Deposit Box” means the service offered by the Bank to existing Customers whereby a Customer can store valuable physical items and documents in locked boxes maintained in a secure area of the Bank.

“संयुक्त खाता” का अर्थ है दो या अधिक ग्राहकों के नाम पर खोला गया खाता।

“लॉगिन आईडी” से तात्पर्य ऐसे पहचान नंबर/नाम से है जिसका उपयोग पिन (PIN) के साथ मिलाकर किसी ग्राहक की पहचान करने के लिए किया जाता है।

“व्यापारी(मर्चेंट)” का अर्थ है कोई भी निगमित संस्था, व्यक्ति या अन्य प्रतिष्ठान जो वस्तुएँ और/या सेवाएँ आपूर्ति करता है और जो कार्डधारक द्वारा भुगतान या बुकिंग (रिजर्वेशन) के माध्यम के रूप में कार्ड स्वीकार करता है।

“मुदारबा” का अर्थ है लाभ में एक साझेदारी जिसमें एक पक्ष पूंजी प्रदान करता है (जिसे “रब-अल-माल” या “मुदारबा निवेशक” कहा जाता है) और दूसरा पक्ष ऐसी पूंजी के निवेश में अपनी विशेषज्ञता, कौशल और प्रयास प्रदान करता है (जिसे “मुदारिब” या “मुदारबा प्रबंधक” कहा जाता है)। लाभ, यदि कोई हो, तो पक्षों के बीच एक सहमत सामान्य अनुपात के अनुसार बांटा जाता है। जब तक वित्तीय हानि (यदि कोई हो) मुदारिब की लापरवाही के कारण न हो। अनुबंध के नियमों और शर्तों का अतिक्रमण या उल्लंघन, इसे पूर्णतः मुदारबा निवेशक द्वारा वहन किया जाएगा जबकि मुदारिब अपने प्रयासों और लगाए गए समय को खो देगा।

“मुदारबा खाते” का अर्थ है, धारा 16.1(a) के अधीन, निवेश जमा खाता और बचत खाता, और मुदारबा के आधार पर खोले गए कोई अन्य खाते।

“गैर-वित्तीय लेनदेन” का अर्थ है ग्राहक द्वारा बैंक के साथ किया गया कोई भी लेनदेन जो धनराशि की आवाजाही का कारण नहीं बनता या खाते(खातों) में शेष राशि को प्रभावित नहीं करता, चाहे वह मैन्युअल रूप से, स्वचालित रूप से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से आरंभ किया गया हो या बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए चैनलों के माध्यम से बैंक को दूरस्थ रूप से प्रेषित किया गया हो या खाते(खातों) और/या बैंक के साथ अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से प्रेषित किया गया हो। इसमें मेल संदेश शामिल होगा जिसे ग्राहक के निर्देश के रूप में माना जाएगा।

“भुगतान” का अर्थ है ग्राहक के निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा ग्राहक खाते से किसी लाभार्थी को धनराशि का स्थानांतरण (ट्रांसफर)।

“भुगतान निर्देश” का अर्थ है किसी ग्राहक की ओर से बैंकिंग भुगतान जिसमें बैंक चेक, बैंक ड्राफ्ट और टेलीग्राफिक ट्रांसफर शामिल हो सकते हैं, किन्तु ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

“पासवर्ड” का अर्थ है वर्णमाला और/या अंकों से युक्त एक गुप्त कोड जो किसी ग्राहक को इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच की अनुमति देता है।

“फोनबैंकिंग” का अर्थ है वह सेवा, जिसका उपयोग उन कार्डधारकों को टेलीफोन के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है जिनके खाते संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में हैं, जो खाता और सामान्य जानकारी, धनराशि स्थानांतरण सुविधाएं और टेलीफोन के माध्यम से बैंक द्वारा प्रदान की जा सकने वाली कोई अन्य बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती हैं।

“पिन” का अर्थ है कार्डधारक को जारी की गई एक व्यक्तिगत पहचान संख्या जो किसी ग्राहक को इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम या बैंक द्वारा प्रदान की गई अन्य इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं के माध्यम से बैंक की कंप्यूटर प्रणाली तक पहुँचने की अनुमति देती है, और इसमें ग्राहक द्वारा बदला गया कोई भी पिन शामिल है।

“प्रचलित विनिमय दर” का अर्थ है स्थानीय या वैश्विक विनिमय बाजार (जो भी स्थिति हो) में संबंधित मुद्रा की तत्काल विनिमय दर।

“बैंक की प्रचलित विनिमय दर” से तात्पर्य बैंक में लागू संबंधित मुद्रा की उस विनिमय दर से है जिसकी घोषणा उसकी शाखाओं और/या वेबसाइट पर की जाती है।

“लाभ गणना अवधि” का अर्थ है, किसी मुदारबा खाते के संबंध में, एक, तीन, छह, नौ या बारह कैलेंडर माह की अवधि या कोई अन्य अवधि जैसी कि ग्राहक द्वारा खाता खोलने की तिथि पर अपेक्षित हो और बैंक द्वारा स्वीकृत हो। यह वह अवधि है जिसके संबंध में मुदारबा धनराशि पर लाभ की गणना वास्तविक अर्जित लाभ से की जाएगी।

“लाभ समतुल्यीकरण आरक्षित निधि” से तात्पर्य धारा 16.3(h) के अनुसार मुदारबा खाताधारकों के लिए निवेश पर प्रतिफल का एक निश्चित स्तर बनाए रखने और संपत्ति मालिकों के अधिकारों को बढ़ाने के उद्देश्य से, बैंक द्वारा बनाए रखी गई सामान्य निधि की आरक्षित निधि (मुदारिब के लाभ हिस्से की कटौती से पहले) से है।

“लाभ भुगतान तिथि” का अर्थ है वह तारीख जिस पर बैंक मुदारबा खाताधारक को अर्जित और वितरित लाभों में उसका हिस्सा भुगतान करता है, जो बैंक द्वारा लागू नियमों के अनुसार और मुदारबा खाताधारकों के साथ सहमत रूप में निर्धारित की जाएगी।

“खरीद” का अर्थ है वस्तुओं की खरीद या सेवाएँ प्राप्त करने का कोई भी लेनदेन जिसका भुगतान कार्डधारक द्वारा किसी भी कार्ड के उपयोग से किया जाता है।

“सुरक्षा जमा बॉक्स” का अर्थ बैंक द्वारा मौजूदा ग्राहकों को दी जाने वाली उस सेवा से है जिसके तहत ग्राहक बैंक के एक सुरक्षित क्षेत्र में रखी गई लॉक की गई पेटियों (बॉक्सेज) में मूल्यवान भौतिक वस्तुएं और दस्तावेज रख सकता है।

“Savings Account” means an account, which is based on Mudarabah and its profit shall be calculated based on the profit earned on any balance maintained above the minimum threshold or average threshold (as may be agreed upon with the Bank).

“Schedule of Fees”: means the table announced in the Bank's branches and/or its website that includes commissions, fees, deductions, deductible charges and expenses that are deducted from, imposed or charged to the Account or due to the Bank for the banking services provided in accordance with these Terms and Conditions or for opening and operating Accounts or providing specific banking services or personal banking services, as may be amended from time to time by addressing at least a two-month notice to the Customer prior of the effective date of such amendment. The Customer shall be deemed to have accepted such amendment if he continued in opening any accounts with the Bank or benefiting from such services after this period. This shall be done subject always to the Central Bank's regulations. The Internet Banking fees may not be included in the Schedule of Fees and the Bank may designate another schedule for the same but they shall be subject to the same rules applied on other services concerning the amendment of the charges.

“Scheme” means the Card payment scheme operated by Mastercard, Visa or other similar entities and supported by UAE Switch, GCC Switch or any other countries Switch.

“Service” has the meaning ascribed to that term in the Clause 18, 19 and 20.

“Service Fee” means, in respect of these Terms and Conditions, the service fees payable to the Bank by the Customer.

“SMS PIN” means the identification number issued to the Customer, which allows a Customer to utilize the SMS Service.

“Software” means a set of written programs, procedures or rules and associated documentation relating to the operation of a computer system.

“Statement of Account”: means the periodic statement sent to the Customer by the Bank via mail or collected directly by the Customer or the electronic statement dispatched by the Bank to Customer's e-mail registered with the Bank based on his selective period or it is the statement obtained by the Customer via Internet Banking, showing particulars of the Financial Transactions conducted under the Account during a certain period, including debits connected to various payments and transfers made through the Internet Banking services, phone Banking, SMS Service and other banking services.

“Supplementary Nominee” means a person nominated by a Cardholder to be issued with a supplementary Card.

“SWIFT” means Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, a computer network which provides Interbank communication facilities worldwide.

“TAKHARUJ” means the sale of the Mudarabah Account holder's common share in the assets of Mudarabah pool (and the general pool), Profit Equalization Reserves, investment risk reserves and others, and the amount obtained by the Mudarabah Account holder shall be the return of Takharuj.

“TPIN” means a telephone identification number issued to the Customer which allows a Customer to access Phone-banking and other related services provided by the Bank.

“UAE” means the United Arab Emirates.

“User” means one or more individuals, authorized by the Customer who is/are assigned a Password, PIN and User Identification issued by the Bank to access Internet Banking.

“User Identification” means the Customer's Identification number advised by the Bank to the Customer for the purposes of identification within Internet Banking.

“Weightings” means weightings or weights on which the Mudarabah Accounts Holders Share in the Profit is distributed among the Mudarabah Accounts holders (as defined in Clause 16.3).

“Aani” means the UAE instant payment platform operated by AEP pursuant to the Aani Scheme Rules, as such rules and any auxiliary documents may be amended from time to time and as adopted by the CBUAE.

“बचत खाता” का अर्थ है एक ऐसा खाता जो मुदाराबा पर आधारित है और जिसका लाभ न्यूनतम सीमा या औसत सीमा (जैसा कि बैंक के साथ सहमत हो) से ऊपर बनाए गए किसी भी शेष राशि पर अर्जित लाभ के आधार पर किया जाएगा।

“शुल्क अनुसूची”: का अर्थ है बैंक की शाखाओं और/या उसकी वेबसाइट पर घोषित वह तालिका जिसमें कमीशन, शुल्क, कटौतियाँ, कटौती योग्य प्रभार और व्यय शामिल हैं जो खाते से काटे जाते हैं, खाते पर लगाए जाते हैं या इन नियमों और शर्तों के अनुसार प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सेवाओं के लिए या खाते खोलने और संचालित करने या विशिष्ट बैंकिंग सेवाओं या व्यक्तिगत बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करने के लिए बैंक को देय होते हैं, जिसे ऐसे संशोधन की प्रभावी तिथि से पहले ग्राहक को कम से कम दो महीने का नोटिस देकर समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है। यदि ग्राहक इस अवधि के बाद भी बैंक में कोई खाता खोलना जारी रखता है या ऐसी सेवाओं का लाभ उठाना जारी रखता है, तो यह माना जाएगा कि उसने ऐसे संशोधन को स्वीकार कर लिया है। यह प्रक्रिया हमेशा केंद्रीय बैंक के नियमों के अधीन की जाएगी। इंटरनेट बैंकिंग शुल्कों को शुल्क अनुसूची में शामिल नहीं किया जा सकता है और बैंक इसके लिए दूसरी अनुसूची निर्दिष्ट कर सकता है, लेकिन वे शुल्क संशोधनों से संबंधित अन्य सेवाओं पर लागू होने वाले समान नियमों के अधीन होंगे।

“स्कीम” का अर्थ है मास्टरकार्ड (Mastercard), वीजाकार्ड (Visacard) या अन्य समान संस्थाओं द्वारा संचालित और यूएई स्विच (UAE Switch), जीसीसी स्विच (GCC Switch) या किसी अन्य देश के स्विच द्वारा समर्थित कार्ड भुगतान स्कीम।

“सेवा” का वही अर्थ है जो खंड 18, 19 और 20 में उस शब्द के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

“सेवा शुल्क” का अर्थ इन नियमों और शर्तों के संबंध में, ग्राहक द्वारा बैंक को देय सेवा शुल्क है।

“एसएमएस पिन (SMS PIN)” का अर्थ है ग्राहक को जारी किए गए पहचान नंबर, जो ग्राहक को एसएमएस सेवा का उपयोग करने की अनुमति देता है।

“सॉफ्टवेयर” का अर्थ है कंप्यूटर सिस्टम के संचालन से संबंधित लिखित प्रोग्रामों, प्रक्रियाओं या नियमों और संबद्ध दस्तावेजीकरण का एक समूह।

“खाता विवरण”: से तात्पर्य बैंक द्वारा ग्राहक को समय-समय पर डाक (मेल) के माध्यम से भेजे जाने वाले या ग्राहक द्वारा सीधे प्राप्त किए जाने वाले आवधिक (पिरियडिक) विवरण, या बैंक द्वारा ग्राहक की चुनी हुई अवधि के आधार पर बैंक के पास पंजीकृत उसकी ई-मेल पर भेजे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक विवरण या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ग्राहक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले विवरण से है, जो एक निश्चित अवधि के दौरान खाते में किए गए वित्तीय लेनदेन का विवरण दिखाता है, जिसमें इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं, फोन बैंकिंग, एसएमएस सेवा और अन्य बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से किए गए विभिन्न भुगतानों और स्थानांतरणों से संबंधित डेबिट शामिल हैं।

“अनुपूरक नामांकित व्यक्ति (सप्लीमेंट्री नॉमिनी)” का अर्थ है कार्डधारक द्वारा नामित वह व्यक्ति जिसे अनुपूरक कार्ड (सप्लीमेंट्री कार्ड) जारी किया जाना है।

“स्विफ्ट” का अर्थ है सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस, जो एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो दुनिया भर में अंतर-बैंक संचार सुविधाएं प्रदान करता है।

“तखारुज” का अर्थ है मुदाराबा पूल (और सामान्य पूल) की परिसंपत्तियों, लाभ समतुल्यकरण आरक्षित निधि, निवेश जोखिम आरक्षित निधि और अन्य में मुदाराबा खाताधारक के साझा हिस्से की बिक्री, और मुदाराबा खाताधारक द्वारा प्राप्त की गई राशि तखारुज का प्रतिफल होगी।

“टी-पिन (TPIN)” का अर्थ है ग्राहक को जारी किया गया एक टेलीफोन पहचान नंबर जो ग्राहक को फोन-बैंकिंग और बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य संबंधित सेवाओं तक पहुंच की अनुमति देता है।

“यूएई (UAE)” से तात्पर्य संयुक्त अरब अमीरात से है।

“उपयोगकर्ता” का अर्थ है ग्राहक द्वारा अधिकृत एक या अधिक व्यक्ति जिसे/जिन्हें इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए बैंक द्वारा जारी पासवर्ड, पिन (PIN) और उपयोगकर्ता पहचान दी गई है।

“उपयोगकर्ता पहचान” का अर्थ है इंटरनेट बैंकिंग के भीतर पहचान के उद्देश्यों के लिए बैंक द्वारा ग्राहक को सूचित की गई ग्राहक की पहचान संख्या।

“भारांक” का अर्थ है वे भारांक या भार जिनके आधार पर लाभ में मुदाराबा खाताधारकों का हिस्सा मुदाराबा खाताधारकों के बीच वितरित किया जाता है (जैसा कि खंड 16.3 में परिभाषित है)।

“आनी (Aani)” से तात्पर्य एईपी (AEP) द्वारा 'आनी योजना नियमों' के अनुसार संचालित यूएई के तत्काल (इंस्टेंट) भुगतान प्लेटफॉर्म से है, जिन नियमों और किसी भी सहायक दस्तावेजों में समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है और जिन्हें यूएई के केंद्रीय बैंक (CBUAE) द्वारा अपनाया गया है।

“**Aani App**” means the mobile application made available by AEP through which Customers may access Aani Services.

“**Aani Core Service**” means the Aani system component processing the credit transfer and direct debit claim functionalities.

“**Aani Scheme Rules**” means Aani Scheme Rules issued by AEP on February 2025, as amended from time to time.

“**Aani Services**” means, collectively:

- (a) real-time and batch credit transfers initiated or received through the Aani Core Service;
- (b) overlay services, including proxy-based payments, request-to-pay, QR-code payments, electronic direct debit authorization, and any value-added services published by AEP; and
- (c) any other service made available on Aani from time to time, all as governed by the Aani Scheme Rules and auxiliary documents.

“**AEP**” means Al Etihad Payments, the operator of Aani.

“**Proxy Identifier**” means a unique identifier (such as a mobile number, email address, or other identifier) that is linked to an Account for the purposes of Aani Services.

“**QR Code**” means a machine-readable, two-dimensional barcode that encodes information, such as payment details or account information, in a graphical format, which may be generated, presented, or scanned by the Customer through the Aani App or other Bank-approved channels to facilitate the initiation or receipt of payments or other transactions in accordance with the Aani Scheme Rules and the Bank’s requirements.

1.2 Interpretation

Unless the context requires otherwise, the following rules shall apply:

- (a) Where two or more persons constitute the expression the “Customer”, all covenants, agreements, undertakings, stipulations, obligations, conditions and other provisions hereof and their liability herein shall be deemed to be made by and be binding and applicable respectively on them jointly and each of them severally and shall also be binding on and applicable to their personal representatives, successors and/or assigns jointly and severally.
- (b) Reference to any person including the Customer, the Bank and/ or any other persons and/or legal entities shall include the personal representatives, successors and/or assigns of such person.
- (c) Reference to any person shall include any corporation, firm, partnership, society, association, statutory body and agency, whether local or foreign.
- (d) The clauses and other headings herein are for ease of reference only and shall not affect the interpretation of any provision hereof.
- (e) Reference to a statutory provision includes reference to any modification, consolidation or re-enactment of it for the time being in force, and all statutory instruments or orders made pursuant to it.
- (f) Words importing the singular meaning shall where the context so requires include the plural and vice-versa.
- (g) Words importing any gender shall include all genders.
- (h) Where a word or phrase is defined, its other grammatical forms have a corresponding meaning.
- (i) References to “month” shall mean references to a Gregorian month.

B. ACCOUNTS

2. Opening of Account

- 2.1 The Bank may open Mudarabah Accounts for the Customer, and may open Current Account for the resident Customer in the UAE (in accordance to the Central Bank’s definition of the word “Resident” as may from time to time be amended) and subject always to the laws of the UAE and the Central Bank’s regulations without any contradiction with the provisions and principles of the Islamic Shari’a.
- 2.2 The Customer shall duly complete and sign (or otherwise confirm or

“**आनी ऐप (Aani App)**” से तात्पर्य एईपी (AEP) द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल एप्लिकेशन से है जिसके माध्यम से ग्राहक ‘आनी सेवाओं’ का उपयोग कर सकते हैं।

“**आनी कोर सेवा**” से तात्पर्य आनी सिस्टम के उस घटक (कंपोनेंट) से है जो क्रेडिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट क्लेम कार्यात्मकताओं (फंक्शनैलिटीज) को प्रोसेस करता है।

“**आनी स्कीम नियम**” से तात्पर्य फरवरी 2025 में एईपी (AEP) द्वारा जारी किए गए आनी योजना नियमों से है, जिनमें समय-समय पर संशोधन किया जाता है।

“**आनी सेवाएं**” से तात्पर्य सामूहिक रूप से निम्नलिखित से हैं:

- (a) आनी कोर सेवा के माध्यम से आरंभ किए गए या प्राप्त किए गए रियल-टाइम (तत्काल) और बैच क्रेडिट स्थानांतरण;
- (b) ओवरले सेवाएं, जिनमें प्रॉक्सी-आधारित भुगतान, भुगतान-का-अनुरोध (रिक्वेस्ट-टू-पे), क्यूआर-कोड भुगतान, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्ट डेबिट अनुमति, और एईपी द्वारा जारी की गई कोई भी मूल्य-वर्धित (वैल्यू-एडेड) सेवाएं शामिल हैं; और
- (c) आनी पर समय-समय पर उपलब्ध कराई जाने वाली कोई भी अन्य सेवा, जो सभी आनी स्कीम नियमों और सहायक दस्तावेजों द्वारा शासित होती हैं।

“**एईपी(AEP)**” से तात्पर्य अल इतिहाद पेमेंट्स से है, जो आनी (Aani) का संचालक है।

“**प्रॉक्सी पहचानकर्ता**” का अर्थ है एक विशिष्ट पहचानकर्ता (जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल पता, या अन्य पहचानकर्ता) जो आनी सेवाओं के उद्देश्यों के लिए किसी खाते से जुड़ा होता है।

“**क्यूआर कोड**” का अर्थ है एक मशीन-पठनीय, द्वि-आयामी बारकोड जो भुगतान विवरण या खाता जानकारी जैसी सूचना को ग्राफिकल प्रारूप में एनकोड करता है, जिसे ग्राहक द्वारा आनी ऐप या बैंक द्वारा अनुमोदित अन्य चैनलों के माध्यम से आनी स्कीम नियमों और बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार भुगतानों या अन्य लेनदेन के शुरू करने या प्राप्त करने को सुगम बनाने के लिए उत्पन्न, प्रस्तुत, या स्कैन किया जा सकता है।

1.2 व्याख्या

जब तक संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

- (a) जहाँ दो या अधिक व्यक्ति “ग्राहक” शब्द का गठन करते हैं, वहाँ इसमें निहित सभी नियम, करार, वचन, अनुबंध, दायित्व, शर्तें एवं अन्य प्रावधान तथा उनके दायित्व संयुक्त रूप से (ज्वाइंटली) और उनमें से प्रत्येक पर व्यक्तिगत रूप से (सेवरली) बाध्यकारी और लागू माने जाएंगे, और यह उनके व्यक्तिगत प्रतिनिधियों, उत्तराधिकारियों और/अथवा समनुदेशितियों पर भी संयुक्त एवं व्यक्तिगतरूप से बाध्यकारी एवं लागू होंगे।
- (b) किसी भी व्यक्ति, जिसमें ग्राहक, बैंक और/या कोई अन्य व्यक्ति और/या विधिक संस्थाएँ शामिल हैं, के संदर्भ में ऐसे व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी और/या समनुदेशितियों शामिल होंगे।
- (c) किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में कोई भी निगम, फर्म, साझेदारी, सोसाइटी, संघ, वैधानिक निकाय एवं एजेंसी शामिल होगी, चाहे वह स्थानीय हो या विदेशी।
- (d) इसमें दिए गए खंड एवं अन्य शीर्षक केवल संदर्भ की सुविधा के लिए हैं तथा इसके किसी प्रावधान की व्याख्या को प्रभावित नहीं करेंगे।
- (e) किसी वैधानिक प्रावधान के संदर्भ में उस समय लागू उसके किसी भी संशोधन, समेकन या पुनः अधिनियमन का संदर्भ, और उसके अनुसरण में जारी किए गए सभी वैधानिक उपकरण या आदेश शामिल होंगे।
- (f) कवचन (सिंगुलर) अर्थ वाले शब्दों में, जहाँ संदर्भ के अनुसार आवश्यक हो, बहुवचन (प्लुरल) शामिल होगा और इसके विपरीत भी लागू होगा।
- (g) किसी लिंग को दर्शाने वाले शब्दों में सभी लिंग शामिल होंगे।
- (h) जहाँ किसी शब्द या वाक्यांश को परिभाषित किया गया है, वहाँ उसके अन्य व्याकरणिक रूपों का तदनुरूपी अर्थ होगा।
- (i) “माह” के संदर्भों से तात्पर्य ग्रेगोरियन माह (अंग्रेजी कैलेंडर माह) से होगा।

ख. खाते

2. खाता खोलना

- 2.1 बैंक ग्राहक के लिए मुदारबा खाते खोल सकता है, तथा संयुक्त अरब अमीरात में निवासी ग्राहक के लिए चालू खाता खोल सकता है (केंद्रीय बैंक द्वारा “निवासी” शब्द की समय-समय पर संशोधित परिभाषा के अनुसार) और यह सदैव संयुक्त अरब अमीरात के कानूनों तथा केंद्रीय बैंक के नियमों के अधीन होगा और इस्लामी शरिया के प्रावधानों और सिद्धांतों के विपरीत नहीं होगा।
- 2.2 ग्राहक खाता खोलने के आवेदन को विधिवत पूरा करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा (या अन्यथा इसकी पुष्टि या

accept) the Account Opening Application and submit all documents as are required pursuant to the opening of the Account, following which the Account may be opened subject to fulfillment of such conditions as determined by the Bank from time to time and shall be agreed upon with the Customer. The Bank may either accept or reject the Customer's application at its sole discretion without giving any reasons therefore in this respect. In case of acceptance, the Bank shall sign on the account opening application for approval.

- 2.3** An Individual Customer may open an Account in its own name or jointly with other Individual Customers.
- 2.4** The Bank may upon the Customer's request, and subject to the Bank's discretion and any applicable minimum or average balance requirements or service fees, open additional accounts under the Customer's name. Unless agreed otherwise, each account shall be deemed as being independent of the other Accounts and such Accounts shall be governed by these Terms and Conditions and shall collectively be referred to herein by the term "Account"
- 2.5** In case the Customer closes the account and does not receive the amount of the credit balance in the account or the amount due at the time of the closure, the Bank shall serve a notice to the Customer to his address provided to the Bank to be present in the Bank to receive such amount. If the Customer doesn't receive the said amount within one calendar month from the date of such notice, the Bank shall be authorized to issue a payment order with an amount equivalent to the credit balance less (i) the payment order issue fee, and (ii) the costs of the registered mail, and to dispatch the payment order by the registered mail to the Customer's last known mailing address as provided by the Customer to the Bank. If the credit balance is not sufficient to cover the said expenses; it will be transferred to the charity fund of the Bank. If later on the Customer requests such amount, it will be paid to him from the charity fund of the Bank if such fund maintains a sufficient balance; otherwise, it will be paid by the Bank within 5 (Five) Banking Days.

3. Deposits and Withdrawals

- 3.1** The Bank shall accept deposits from the Customer in cash, cheques, bank transfer or by any of the customary banking practices. Deposits by third parties into the Customer's account may be accepted without any responsibility to the Bank, unless the Bank neglects, infringes or otherwise violates these Terms and Conditions.
- 3.2** The Bank may supply chequebooks, payment instruments and related materials to the Customer in accordance with these Terms and Conditions.
- 3.3** Subject to these Terms and Conditions, drawings from each type of Account can be made by the Customer or by any Authorised Person by using any of the modes made available by the Bank, including but not limited to using the Card, withdrawal slips, cheques, standing instructions, pay orders or electronic instructions, through the channels made available by the Bank, including but not limited to point of sale, branches, Internet Banking, ATMs, mobile banking, Phone-banking or by such other modes or channels as shall be made available by the Bank from time to time subject to:
- (a) the specific features, restrictions, terms and conditions applicable to the relevant Account; and
- (b) the Bank's maximum daily withdrawal limit permitted by the Bank and fees or charges for the relevant Account, shall be as specified in the Schedule of Fees.
- 3.4** No amounts shall be credited to the Customer's Account until the Bank has received the amount in cash or its equivalent. Upon accepting negotiable instruments under realization, the Bank shall act as the Customer's collecting agent and assumes no responsibility for realization of such deposits unless the same is due to the Bank's negligence, infringement or otherwise violation of these Terms and Conditions.
- 3.5** The Bank may convert all foreign currency deposits or transfers to the Account at the Prevailing Exchange Rate of the Bank for such currency at the deposit or transfer date.
- 3.6** The Bank shall have the right to freeze or suspend operation of the Account and to refuse all or some of the deposits, credits and withdrawals if the Customer is in breach of any of these Terms and Conditions or if (i) any instructions given to the Bank are ambiguous, conflicting or not acceptable as per agreed upon or announced with the Bank; (ii) if the Bank suspects that there may be any fraud or illegality in any transactions (including, without limitation any breach of the Central Bank regulations relating to money laundering); or (iii) if the Bank requires any further instructions, information or documentation, in form and content satisfactory to the Bank but the Customer has failed to provide the same or (iv) if such

स्वीकृति देगा) तथा खाता खोलने के अनुसरण में आवश्यक सभी दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, जिसके पश्चात बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित तथा ग्राहक के साथ सहमति के अनुसार शर्तों के पूरा होने पर खाता खोला जा सकता है। बैंक अपने पूर्ण विवेक से ग्राहक के आवेदन को बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। स्वीकृति की स्थिति में, बैंक अनुमोदन के लिए खाता खोलने के आवेदन पर हस्ताक्षर करेगा।

- 2.3** कोई व्यक्तिगत ग्राहक अपने स्वयं के नाम से या अन्य व्यक्तिगत ग्राहकों के साथ संयुक्त रूप से खाता खोल सकता है।
- 2.4** बैंक ग्राहक के अनुरोध पर, बैंक के विवेकाधिकार तथा किसी भी लागू न्यूनतम या औसत शेष राशि की आवश्यकताओं या सेवा शुल्कों के अधीन, ग्राहक के नाम से अतिरिक्त खाते खोल सकता है। जब तक अन्यथा सहमति न हो, प्रत्येक खाता अन्य खातों से स्वतंत्र माना जाएगा तथा ऐसे खाते इन नियमों एवं शर्तों द्वारा शासित होंगे और इसमें सामूहिक रूप से "खाता" शब्द से संदर्भित किए जाएंगे।
- 2.5** यदि ग्राहक खाता बंद कर देता है और बंद करने के समय खाते में जमा शेष राशि या देय राशि प्राप्त नहीं करता है, तो बैंक ग्राहक द्वारा बैंक को दिए गए पते पर एक नोटिस भेजेगा कि वह बैंक में उपस्थित होकर ऐसी राशि प्राप्त करे। यदि ग्राहक ऐसे नोटिस की तारीख से एक कैलेंडर माह के भीतर उक्त राशि प्राप्त नहीं करता है, तो बैंक जमा शेष के बराबर राशि, जिसमें से (i) भुगतान आदेश जारी करने का शुल्क, तथा (ii) पंजीकृत डाक की लागत घटाकर, एक भुगतान आदेश जारी करने के लिए अधिकृत होगा, तथा भुगतान आदेश को पंजीकृत डाक द्वारा ग्राहक के अंतिम ज्ञात डाक पते पर, जो ग्राहक द्वारा बैंक को दिया गया हो, भेजने के लिए अधिकृत होगा। यदि जमा शेष उक्त व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो इसे बैंक के दान कोष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यदि बाद में ग्राहक ऐसी राशि का अनुरोध करता है, तो यदि बैंक के दान कोष में पर्याप्त शेष हो तो उसे वह राशि उस कोष से भुगतान की जाएगी; अन्यथा, बैंक द्वारा 5 (पाँच) बैंकिंग दिवसों के भीतर इसका भुगतान किया जाएगा।

3. जमा एवं निकासी

- 3.1** बैंक ग्राहक से नकद, चेक, बैंक ट्रांसफर या किसी भी पारंपरिक बैंकिंग प्रथाओं के माध्यम से जमा स्वीकार करेगा। ग्राहक के खाते में तीसरे पक्षों द्वारा जमा स्वीकार किया जा सकता है, जिसके लिए बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, जब तक कि बैंक इन नियमों और शर्तों की उपेक्षा, उल्लंघन या अतिक्रमण न करे।
- 3.2** बैंक इन नियमों एवं शर्तों के अनुसार ग्राहक को चेकबुक, भुगतान उपकरण (पेमेंट इंस्ट्रुमेंट्स) एवं संबंधित सामग्री प्रदान कर सकता है।
- 3.3** इन नियमों एवं शर्तों के अधीन, प्रत्येक प्रकार के खाते से निकासी ग्राहक द्वारा या किसी भी अधिकृत व्यक्ति द्वारा बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी भी माध्यम का उपयोग करके की जा सकती है, जिसमें कार्ड, आहरण पर्ची, चेक, स्थायी अनुदेश, भुगतान आदेश या इलेक्ट्रॉनिक अनुदेश का उपयोग करना शामिल है परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं, यह निकासी बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए चैनलों के माध्यम से की जाएगी, जिसमें पॉइंट ऑफ सेल (POS), शाखाएँ, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम (ATMs), मोबाइल बैंकिंग, फोन-बैंकिंग या ऐसे अन्य माध्यमों या चैनलों का उपयोग शामिल है लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, जो बैंक द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित के अधीन उपलब्ध कराए जाएंगे:
- (a) विशिष्ट विशेषताएँ, प्रतिबंध, निबंधन एवं शर्तें जो लागू होती हैं संबंधित खाते पर; तथा
- (b) संबंधित खाते के लिए बैंक द्वारा अनुमत अधिकतम दैनिक निकासी सीमा और शुल्क या प्रभार, जो शुल्क अनुसूची में निर्दिष्ट होंगे।
- 3.4** ग्राहक के खाते में तब तक कोई भी राशि जमा (क्रेडिट) नहीं की जाएगी जब तक कि बैंक को वह राशि नकद या उसके समतुल्य रूप में प्राप्त न हो जाए। भुनाए जाने के अधीन परक्राम्य उपकरणों (नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स) को स्वीकार करने पर, बैंक ग्राहक के संग्रह एजेंट के रूप में कार्य करेगा और ऐसे जमा की वसूली के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, जब तक कि वह बैंक की लापरवाही, उल्लंघन या इन नियमों और शर्तों के अतिक्रमण के कारण न हो।
- 3.5** बैंक सभी विदेशी मुद्रा जमा या स्थानांतरणों को जमा या स्थानांतरण की तारीख पर उस मुद्रा के लिए बैंक की प्रचलित विनिमय दर पर खाते की मुद्रा में परिवर्तित कर सकता है।
- 3.6** बैंक को खाते के संचालन को फ्रीज या निलंबित करने और सभी या कुछ जमाओं, क्रेडिट और निकासियों को अस्वीकार करने का अधिकार होगा, यदि ग्राहक इन नियम एवं शर्तों में से किसी का उल्लंघन करता है या यदि (i) बैंक को दिए गए कोई निर्देश अस्पष्ट, परस्पर विरोधी या बैंक के साथ सहमत या सहमति या घोषित नियमों के अनुसार स्वीकार्य नहीं हैं; (ii) यदि बैंक को संदेह हो कि किसी लेनदेन में कोई धोखाधड़ी या अवैधता हो सकती है (जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित केंद्रीय बैंक के नियमों का कोई भी उल्लंघन शामिल है, लेकिन यह इसी तक सीमित नहीं है); या (iii) यदि बैंक को बैंक के लिए संतोषजनक रूप एवं सामग्री में कोई अन्य निर्देश, जानकारी या दस्तावेजीकरण की आवश्यकता हो लेकिन ग्राहक उसे प्रदान करने में विफल रहा हो या (iv) यदि ऐसा

instruction is issued by the Central Bank or any other competent authority.

3.7 The Bank shall be entitled, in its sole discretion, to refuse any instrument or deposit and/or limit the amount permitted to be deposited and/or return any deposit or any part thereof at any time and from time to time.

3.8 The Bank should accept the Customer's instruction allowing a third party to withdraw funds from the Account, but only if such instructions are in a form acceptable to the Bank and on the condition that the Customer shall indemnify the Bank for all actual damages that may be sustained by the Bank as a result of executing such instructions, as herein provided or otherwise as required by the Bank.

4. Collections and Remittances

4.1 Bank cheques and negotiable instruments drawn to the order of the Customer and deposited (by such mode as shall be made available by the Bank) in the Account shall be accepted as collection items, unless agreed otherwise by the Bank and in accordance with the banking practices prevailing at Islamic banks operating in the UAE. The Bank has the right to reject cheques, drafts or any other securities drawn to the order of a third party. The Bank maintains the right to debit any Account with any unpaid and non-collected items in addition to the Bank's charges, without assuming any responsibility in case of non-collection of such items, unless the same is due to the Bank's negligence, infringement or otherwise violation of these Terms and Conditions.

4.2 Drawings against cheques under collection shall only be allowed after their actual realization. The Bank shall have the right to refuse to honor any cheque, instrument or instruction if the signature thereon or any entry, alteration or endorsement thereon is not acceptable to the Bank or if the funds available in the Account are insufficient.

4.3 The Bank shall pay the actual amount of telex/SWIFT transfers or the bank drafts/cheques received in favour of the Customer after deducting the announced banking fees/charges and commissions incurred by the Bank.

4.4 In the event the Bank agrees to accept bills, cheques, drafts or instruments drawn on banks outside the UAE (the "Foreign Instruments") for clearing or collection, the Customer irrevocably and unconditionally acknowledges and agrees as follows:

(a) the clearing or collection of Foreign Instruments is dependent upon the laws and practices of the country or state in which the drawee bank is located;

(b) the Bank may accept Foreign Instruments for clearing or collection at its absolute discretion and solely as a facility to the Customer at its request from time to time. The Bank reserves the right to refuse any Foreign Instrument at its discretion or to return any Foreign Instruments at any time;

(c) the Bank assumes no responsibility for the realization of any Foreign Instrument deposited with it or for the value given by a foreign bank or for any mail or communication delays, loss of mail or courier, operating errors, clearing system delays or losses or for any charge, expense or loss, unless the same is due to the Bank's negligence, infringement or otherwise violation of these Terms and Conditions; and

(d) In certain countries, the laws and/or regulations related to clearing of cheques may be with recourse and, even when funds have been made available, the drawee bank may return the cheque or recall the paid up funds subsequently.

4.5 The Bank shall credit all the incoming remittances and negotiable instruments of the Customer into the Accounts in the currency of such Accounts unless the Bank receives contrary instructions from the Customer. The deposit shall be at the Prevailing Exchange Rate of the Bank on the same day of deposit.

4.6 The Bank shall have the right to reject to pay for any draft or transfer if the name of the beneficiary and the Account number does not match the Bank's record or for any other reason.

4.7 All the transfers affected by the Bank according to the Customer's instructions or otherwise undertaken by the Customer shall be at the Customer's expense and responsibility, and the Bank shall not be responsible if the amounts credited to the side of the credit balance in the Customer's accounts are lower than required due to the charges or decline in value, and the Bank shall not be responsible if the Customer was unable to avail other funds on account of any restrictions issued by the concerned authorities.

4.8 The Bank and its correspondents, in cases other than the negligence, infringement or otherwise violation of these Terms and Conditions, shall

निर्देश केंद्रीय बैंक या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो।

3.7 बैंक अपने पूर्ण विवेक से, किसी भी उपकरण या जमा को अस्वीकार करने और/या जमा करने के लिए अनुमत राशि को सीमित करने और/या किसी भी समय और समय-समय पर किसी भी जमा या उसके किसी हिस्से को वापस करने का हकदार होगा।

3.8 बैंक को ग्राहक के उस निर्देश को स्वीकार करना चाहिए जो किसी तृतीय पक्ष को खाते से धनराशि निकालने की अनुमति देता है, परंतु केवल तभी जब ऐसे निर्देश बैंक को स्वीकार्य रूप में हों और इस शर्त पर कि ग्राहक बैंक को उन सभी वास्तविक नुकसानों के लिए क्षतिपूर्ति करेगा जो बैंक द्वारा ऐसे निर्देशों को निष्पादित करने के परिणामस्वरूप हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ प्रदान किया गया है या अन्यथा बैंक द्वारा आवश्यक हो।

4. संग्रह और प्रेषण

4.1 ग्राहक के आदेश पर तैयार किए गए और खाते में (बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए माध्यम से) जमा किए गए बैंक चेक और परक्राम्य उपकरणों (नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स) को संग्रह मदों के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जब तक कि बैंक द्वारा अन्यथा सहमति न हो और यह यूएई में संचालित इस्लामिक बैंकों में प्रचलित बैंकिंग प्रथाओं के अनुसार होगा। बैंक को किसी तृतीय पक्ष के आदेश पर तैयार किए गए चेक, ड्राफ्ट या किसी अन्य प्रतिभूति को अस्वीकार करने का अधिकार है। बैंक के पास किसी भी अदत और गैर-संग्रहीत मदों के साथ-साथ बैंक के शुल्कों को किसी भी खाते में डेबिट करने का अधिकार सुरक्षित है, ऐसी मदों की वसूली न होने की स्थिति में कोई जिम्मेदारी लिए बिना, जब तक कि ऐसा बैंक की लापरवाही, अतिक्रमण या इन नियम एवं शर्तों के अन्यथा उल्लंघन के कारण न हो।

4.2 वसूली के अधीन चेकों के एवज में निकासी की अनुमति केवल उनके वास्तविक भुगतान के बाद ही दी जाएगी। बैंक को किसी भी चेक, उपकरण या निर्देश का सम्मान करने से इनकार करने का अधिकार होगा, यदि उस पर किया गया हस्ताक्षर या कोई प्रविष्टि, परिवर्तन या पृष्ठांकन (एंडोर्समेंट) बैंक को स्वीकार्य नहीं है या यदि खाते में उपलब्ध धनराशि अपर्याप्त है।

4.3 बैंक ग्राहक के पक्ष में प्राप्त टेलिक्स/स्विफ्ट स्थानांतरणों या बैंक ड्राफ्ट/चेक की वास्तविक राशि का भुगतान बैंक द्वारा किए गए घोषित बैंकिंग फीस/शुल्कों और कमीशन के बाद करेगा।

4.4 स स्थिति में कि बैंक यूएई के बाहर के बैंकों पर तैयार किए गए बिलों, चेकों, ड्राफ्टों या उपकरणों (Foreign Instruments) को क्लियरिंग या संग्रह के लिए स्वीकार करने के लिए सहमत होता है, ग्राहक अपरिवर्तनीय और बिना शर्त के निम्नलिखित को स्वीकार करता है और सहमत होता है:

(a) विदेशी उपकरणों की क्लियरिंग या संग्रह उस देश या राज्य के कानूनों और प्रथाओं पर निर्भर है जिसमें भुगतानकर्ता बैंक स्थित है;

(b) बैंक अपने पूर्ण विवेक से और समय-समय पर ग्राहक के अनुरोध पर केवल एक सुविधा के रूप में क्लियरिंग या संग्रह के लिए विदेशी उपकरणों को स्वीकार कर सकता है। बैंक अपने विवेक से किसी भी विदेशी उपकरण को अस्वीकार करने या किसी भी समय किसी भी विदेशी उपकरण को वापस करने का अधिकार सुरक्षित रखता है;

(c) बैंक अपने पास जमा किए गए किसी भी विदेशी उपकरण की वसूली के लिए या किसी विदेशी बैंक द्वारा दिए गए मूल्य के लिए या किसी भी डाक या संचार विलंब, डाक या कूरियर के खो जाने, परिचालन त्रुटियों, क्लियरिंग प्रणाली के विलंब या हानियों के लिए या किसी भी शुल्क, व्यय या हानि के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, जब तक कि यह बैंक की लापरवाही, उल्लंघन या इन नियमों और शर्तों के अतिक्रमण के कारण न हो; तथा

(d) कुछ देशों में, चेकों की क्लियरिंग से संबंधित कानून और/या नियम वापसी अधिकार सहित हो सकते हैं और, यहां तक कि धनराशि उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी, अदाकर्ता बैंक चेक वापस कर सकता है या बाद में भुगतान की गई धनराशि को वापस मांग सकता है।

4.5 बैंक ग्राहक के सभी आवक प्रेषणों और परक्राम्य उपकरणों को उन खातों की मुद्रा में ही खातों में जमा (क्रेडिट) करेगा, जब तक कि बैंक को ग्राहक से इसके विपरीत निर्देश प्राप्त न हो। यह जमा, जमा के दिन ही बैंक की प्रचलित विनिमय दर पर होगा।

4.6 यदि लाभार्थी का नाम और खाता संख्या बैंक के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते हैं या किसी अन्य कारण से बैंक को किसी भी ड्राफ्ट या स्थानांतरण का भुगतान करने से इनकार करने का अधिकार होगा।

4.7 ग्राहक के निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा किए गए या अन्यथा ग्राहक द्वारा किए गए सभी स्थानांतरण ग्राहक के खर्च और जिम्मेदारी पर होंगे, और यदि शुल्कों या मूल्य में गिरावट के कारण ग्राहक के खातों में जमा पक्ष में क्रेडिट की गई राशि आवश्यकता से कम है तो बैंक जिम्मेदार नहीं होगा, और यदि संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी किसी प्रतिबंध के कारण ग्राहक अन्य धनराशि का लाभ उठाने में असमर्थ रहा हो तो बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

4.8 बैंक और इसके प्रतिनिधि, इन नियमों एवं शर्तों की लापरवाही, अतिक्रमण या अन्यथा उल्लंघन के मामलों को छोड़कर

not be liable for the consequences of any irregularity, delay, mistake, telegraphic error, omission or misinterpretation that may arise, and from and against any loss, which may be incurred through its correspondents failing properly to identify the persons named in the instructions or retaining the funds, should the Bank or its correspondents deem such retention expedient, pending confirmation of the identity of any person or of the above instruction by a letter or otherwise.

- 4.9** In the event that all or any of the transfers is unpaid and refunded to the Bank, the Customer shall only be entitled to claim the value thereof at the prevailing buying rate of the day when the refund takes place. The refund shall not be effected until the Bank has received definite advice from its correspondents that the funds are unpaid and that the original instructions have been cancelled.
- 4.10** The Customer may be required to complete forms provided by the Central Bank when depositing foreign instruments drawn in certain countries or in certain currencies.
- 4.11** Please be advised that, as per Central Bank guidelines, credit to accounts held in banks operating in UAE will be affected solely based on the beneficiary IBAN. All other information provided such as the beneficiary name and other details will not be used

5. Statements

- 5.1** The Bank shall periodically provide to the Customer statements of account by post or electronic mail at the Customer's last known mailing address as provided by the Customer to the Bank or the Bank shall provide the Customer with access to retrieve the statements of account from the other channels made available by the Bank, including but not limited to its branches or electronic banking channels, subject to any service fee specified and announced in the Schedule of Fees. The Bank may, in its sole discretion, vary the frequency of the statements of account by notice to the Customer.
- 5.2** In the case of non-receipt of a Statement of Account, the Customer shall notify the Bank of such non-receipt within thirty (30) banking days of the end of the period to which the Statement of Account relates. In the case of discrepancy in any entry or balance shown in a Statement of Account, the Customer shall notify the Bank of such discrepancy within thirty (30) banking days of the date of the Statement of Account.
- 5.3** The Customer shall be deemed to have received the Statement of Account and have irrevocably consented to the correctness of the entries, the balance shown therein, and the calculation and distribution of profit made, if any, or deduction of charges, fees or commissions and the Customer shall waive any right to challenge the transactions, entries or other dealings on the Account and shall be deemed to have accepted the same unless:
- (a) in the case of non-receipt of the Statement of Account, the Customer has notified the Bank within thirty (30) banking days of the end of the period to which the Statement of Account relates; and/or
- (b) in the case of discrepancies in any entry or the balance shown in the Statement of Account, the Customer has notified the Bank within thirty (30) banking days of the date of the Statement of Account and such notification has been agreed and accepted by the Bank.
- 5.4** Unless the Customer gives notice in writing (or by such other mode acceptable to the Bank from time to time) the address set out in the Account Opening Application shall be deemed as the approved address for the mailing of all letters, notices, advices, statements of account or other notification (legal or otherwise). The Customer shall immediately notify the Bank in writing if there is a change to any of the Customer particulars set out in the Account Opening Application.
- 5.5** The Bank may stop mailing the advices or statements of account if they are returned undelivered, consecutively on two or more occasions, until such time the Bank is provided by the Customer with an alternative address for mailing the statements.
- 5.6** The Customer shall have the right to ask for an additional copy of the Statement of Account at the Customer's own expense as per the charge specified and announced in the Schedule of Fees.

6. Standing Orders

- 6.1** The Bank shall accept requests for the execution of any standing order from the Customer provided that the Customer shall have sufficient balance in the Account in the due date(s) for the execution of such orders.

उत्पन्न होने वाली किसी भी अनियमितता, विलंब, गलती, टेलीग्राफिक त्रुटि, चूक या गलत व्याख्या के परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, और किसी भी ऐसी हानि के लिए भी उत्तरदायी नहीं होगा जो इसके प्रतिनिधियों द्वारा निर्देशों में नामित व्यक्तियों की उचित रूप से पहचान करने में विफल रहने या धनराशि को रोककर रखने के कारण हो सकते हैं, यदि बैंक या उसके प्रतिनिधि किसी व्यक्ति की पहचान या उपरोक्त निर्देश की पुष्टि किसी पत्र या अन्यथा के माध्यम से होने तक ऐसी रोक को उचित समझते हैं।

- 4.9** इस स्थिति में कि सभी या कोई भी अंतरण अप्रदत्त रहें और बैंक को वापस कर दिया जाता है, ग्राहक केवल उस दिन की प्रचलित क्रय दर पर उसके मूल्य का दावा करने का हकदार होगा जिस दिन धनवापसी (रिफंड) होती है। धनवापसी तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक बैंक को अपने प्रतिनिधियों से यह निश्चित सूचना प्राप्त न हो जाए कि धनराशि अप्रदत्त हैं और मूल निर्देश रद्द कर दिए गए हैं।
- 4.10** ग्राहक को कुछ देशों में या कुछ मुद्राओं में तैयार किए गए विदेशी उपकरणों को जमा करते समय केंद्रीय बैंक द्वारा प्रदान किए गए फॉर्मों को भरने की आवश्यकता हो सकती है।
- 4.11** कृपया ध्यान दें कि, केंद्रीय बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात में संचालित बैंकों में रखे गए खातों में जमा केवल लाभार्थी के आईबीएनएन (IBAN) के आधार पर ही प्रभावी होगा। प्रदान की गई अन्य सभी जानकारी जैसे लाभार्थी का नाम और अन्य विवरण का उपयोग नहीं किया जाएगा।

5. खाता विवरण

- 5.1** बैंक ग्राहक द्वारा बैंक को दिए गए उसके अंतिम ज्ञात डाक पते पर डाक या इलेक्ट्रॉनिक मेल (ई-मेल) द्वारा समय-समय पर खाता विवरण प्रदान करेगा, या बैंक ग्राहक को बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए अन्य चैनलों से खाता विवरण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा, जिसमें उसकी शाखाएँ या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग चैनल शामिल हैं किन्तु ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, यह सुविधा शुल्क अनुसूची (शेड्यूल ऑफ फीस) में निर्दिष्ट और घोषित किसी भी सेवा शुल्क के अधीन होगी। बैंक, अपने पूर्ण विवेक से ग्राहक को सूचना देकर खाता विवरण की आवृत्ति में बदलाव कर सकता है।
- 5.2** खाता विवरण प्राप्त न होने की स्थिति में, ग्राहक ऐसी अप्राप्त के बारे में बैंक को उस अवधि की समाप्ति के तीस (30) बैंकिंग दिनों के भीतर सूचित करेगा जिससे खाता विवरण संबंधित है। खाता विवरण में दर्शाई गई किसी प्रविष्टि या शेष राशि में विसंगति की स्थिति में, ग्राहक ऐसी विसंगति के बारे में बैंक को खाता विवरण की तारीख के तीस (30) बैंकिंग दिनों के भीतर बैंक को ऐसी विसंगति के बारे में सूचित करेगा।
- 5.3** यह माना जाएगा कि ग्राहक ने खाता विवरण प्राप्त कर लिया है और प्रविष्टियों, उसमें दर्शाई गई शेष राशि, तथा किए गए लाभ की गणना और वितरण, यदि कोई हो, या प्रभारों, शुल्कों या कमीशनों की कटौती की शुद्धता के लिए अपरिवर्तनीय रूप से सहमति दे दी है, और ग्राहक खाते पर लेनदेन, प्रविष्टियों या अन्य व्यवहारों को चुनौती देने के किसी भी अधिकार को छोड़ देगा और यह माना जाएगा कि उसने उन्हें स्वीकार कर लिया है, जब तक कि:
- (a) खाता विवरण प्राप्त न होने की स्थिति में, ग्राहक ने खाता विवरण से संबंधित अवधि की समाप्ति के तीस (30) बैंकिंग दिनों के भीतर बैंक को सूचित न किया हो; और/या
- (b) खाता विवरण में दर्शाई गई किसी प्रविष्टि या शेष राशि में विसंगतियों की स्थिति में, ग्राहक ने खाता विवरण की तारीख के तीस (30) बैंकिंग दिनों के भीतर बैंक को सूचित कर दिया हो और ऐसी सूचना बैंक द्वारा सहमत और स्वीकार कर ली गई हो।
- 5.4** जब तक ग्राहक लिखित रूप में (या समय-समय पर बैंक को स्वीकार्य किसी अन्य माध्यम से) सूचना न दे, तब तक खाता खोलने के आवेदन में दर्शाया गया पता सभी पत्रों, सूचनाओं, परामर्शों, खाता विवरणों या अन्य अधिसूचनाओं (कानूनी या अन्यथा) को भेजने के लिए अनुमोदित पता माना जाएगा। यदि खाता खोलने के आवेदन में दर्शाए गए ग्राहक के किसी विवरण में कोई परिवर्तन होता है तो ग्राहक तुरंत बैंक को लिखित रूप में सूचित करेगा।
- 5.5** यदि परामर्श या खाता विवरण लगातार दो या अधिक अवसरों पर अवितरित होकर वापस आ जाते हैं तो बैंक उनका प्रेषण तब तक रोक सकता है जब तक ग्राहक द्वारा बैंक को विवरण प्रेषित करने हेतु कोई वैकल्पिक पता प्रदान न कर दिया जाए।
- 5.6** ग्राहक को यह अधिकार होगा कि वह शुल्क अनुसूची में निर्दिष्ट और घोषित प्रभार के अनुसार अपने स्वयं के खर्च पर खाता विवरण की एक अतिरिक्त प्रति के लिए अनुरोध कर सके।

6. स्थायी आदेश

- 6.1** बैंक ग्राहक से किसी भी स्थायी आदेश के निष्पादन के अनुरोधों को स्वीकार करेगा, बशर्ते कि ऐसे आदेशों के निष्पादन की नियत तिथि(तिथियों) पर ग्राहक के खाते में पर्याप्त शेष राशि हो।

The Bank shall not be liable for any delay or error in the dispatch or in the transmission or for any error on the part of the paying bank or any of its correspondents. The Customer acknowledges that the Bank shall not be liable for such delays or errors unless the same are due to the Bank's negligence, infringement or otherwise violation of these Terms and Conditions and the Customer shall indemnify the Bank for all actual loss, damages and expenses incurred by the Bank as a result of the execution of the standing orders given by the Customer, including legal costs incurred by the Bank as a result of claims or actions against the Bank in relation to any standing orders issued by the Customer.

6.2 The Customer authorizes the Bank to debit the Customer's Account(s) for any and all charges and costs charged and/or incurred by the Bank as a result of executing the Customer's standing orders on the account (or any other accounts).

6.3 The Bank at its absolute discretion, without any prior notification to the Customer or any other legal process, shall have the right to:

(a) not execute any standing orders where there are insufficient cleared funds available in the Customer's Account to process such standing order.

(b) to prioritize the execution of the standing orders over any other payments whatsoever such as cheques presented through clearing and cheques due to be presented or other payments to be withdrawn from the Customer's Account.

6.4 All amendments for and cancellations of standing orders shall be in writing, through the Bank's prescribed form and presented at the counters of the Bank more than three (3) Banking Days prior to the execution of any standing order that was originally instructed by the Customer to be executed..

7. Instructions

7.1 The Customer shall be entitled to request the Bank to act upon Phone banking, Internet Banking, SMS Service, e-mail accompanied by electronic attestation certificate, (or such other electronic means acceptable to the Bank from time to time) with regard to the Account(s) and/or the banking services and/or the banking facilities, including without limitation, funds transfer to, from and within the Bank, breaking of deposits, rollovers, settlements of deposits, signing and sending any applications, facilities agreements and documents.

7.2 The Bank has the right, at its sole discretion, to process or refuse any instructions given by the Customer, if the Bank may incur a liability in carrying out the instruction or any part thereof, or if carrying out of any instruction will result in a breach of any law or regulation or otherwise be prejudicial to the Bank's interests; or if the Bank is prevented or delayed directly or indirectly from acting on the instruction by reasons beyond the Bank's control.

7.3 Otherwise than by the Bank's wilful misconduct, negligence or its violation of the Terms and Conditions, the Customer shall release the Bank from any indemnity and hold the Bank harmless from and against all actions, suits proceedings, actual costs, claims, demands, charges, expenses, losses and liabilities however arising in consequences of, or in any way related to the acceptance by the Bank of the Customer's instruction.

7.4 In case of death of the Customer no activity on the Account will be undertaken without fresh instructions from the legitimate heirs (approved by a legal and valid succession) of the Customer in form and content satisfactory to the Bank.

7.5 Unless otherwise instructed by the Customer in the Account Opening Application, where any of the Accounts are opened by more than one person, any such one person shall be entitled to give any such written instructions and the Bank shall be entitled to rely upon any such instructions.

7.6 The Bank may record the Customer's telephone conversations or instructions with the Bank. Such recordings will be considered valid and binding on the Customer.

8. Freezing of the Account

The Customer shall indemnify the Bank and hold it harmless against any actual damages incurred by the Bank in respect of any amount, which is blocked by reason of the compliance with legal requirements or under instruction from the Central Bank or any other competent authority or for any claim of the Bank on the Customer.

बैंक प्रेषण में या संचरण में किसी भी विलंब या त्रुटि के लिए या भुगतानकर्ता बैंक या उसके किसी प्रतिनिधि की ओर से किसी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ग्राहक स्वीकार करता है कि बैंक ऐसे विलंबों या त्रुटियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि वे बैंक की लापरवाही, उल्लंघन या इन नियमों और शर्तों के अतिक्रमण के कारण न हों, और ग्राहक बैंक द्वारा दिए गए स्थायी आदेशों के निष्पादन के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा उठाए गए सभी वास्तविक नुकसान, क्षतियों और खर्चों के लिए बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा, जिसमें ग्राहक द्वारा जारी किसी स्थायी आदेश के संबंध में बैंक के विरुद्ध दावों या कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा उठाई गई कानूनी लागतें शामिल हैं।

6.2 ग्राहक बैंक को खाते (या किसी अन्य खाते) पर ग्राहक के स्थायी आदेशों को निष्पादित करने के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा लगाए गए और/या किए गए किसी भी और सभी प्रभारों और लागतों के लिए ग्राहक के खाते (खातों) को डेबिट करने के लिए अधिकृत करता है।

6.3 बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार में, किसी पूर्व अधिसूचना के बिना

ग्राहक को या किसी अन्य कानूनी प्रक्रिया के बिना, यह अधिकार रखेगा कि:

(a) ग्राहक के खाते में ऐसे स्थायी आदेश को संसाधित करने के लिए पर्याप्त समाशोधित धनराशि उपलब्ध न हों वहाँ किसी स्थायी आदेश का निष्पादन न करे।

(b) ग्राहक के खाते से निकाली जाने वाली अन्य भुगतानों जैसे क्लियरिंग के माध्यम से प्रस्तुत चेकों और प्रस्तुत किए जाने वाले चेकों या अन्य भुगतानों की तुलना में स्थायी आदेशों के निष्पादन को प्राथमिकता दे।

6.4 स्थायी आदेशों में सभी संशोधन और रद्दीकरण लिखित रूप में, बैंक के निर्धारित फॉर्म के माध्यम से होंगे और ग्राहक द्वारा मूल रूप से निष्पादित करने के लिए निर्देशित किसी भी स्थायी आदेश के निष्पादन से तीन (3) बैंकिंग दिवसों से अधिक समय पहले बैंक के काउंटरों पर प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

7. निर्देश

7.1 ग्राहक खाते (खातों) और/या बैंकिंग सेवाओं और/या बैंकिंग सुविधाओं के संबंध में फोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एसएमएस सेवा, इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन प्रमाणपत्र के साथ ई-मेल (या समय-समय पर बैंक को स्वीकार्य ऐसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों) पर कार्रवाई करने के लिए बैंक से अनुरोध करने का हकदार होगा, जिसमें बिना किसी सीमा के, बैंक में, बैंक से और बैंक के भीतर धनराशि स्थानांतरण, जमा राशि को समय से पहले निकलना, रोलओवर (नवीनीकरण), जमा का निपटान, किसी भी आवेदन, सुविधा समझौतों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें भेजना शामिल है।

7.2 बैंक को, अपने पूर्ण विवेक से, ग्राहक द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश को संसाधित करने या अस्वीकार करने का अधिकार है, यदि निर्देश या उसके किसी भाग को पूरा करने में बैंक पर कोई दायित्व आ सकता है, या यदि किसी निर्देश को पूरा करने से किसी कानून या विनियम का उल्लंघन होगा या अन्यथा बैंक के हितों के लिए हानिकारक होगा; या यदि बैंक के नियंत्रण से परे कारणों से बैंक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्देश पर कार्य करने से रोका या विलंबित किया जाता है।

7.3 बैंक के जानबूझकर किए गए दुराचरण, लापरवाही या नियमों और शर्तों के उल्लंघन के मामलों को छोड़कर, ग्राहक बैंक को किसी भी क्षतिपूर्ति से मुक्त करेगा और बैंक द्वारा ग्राहक के निर्देश को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप, या किसी भी तरह से उससे संबंधित रूप से उत्पन्न होने वाली सभी कार्रवाइयों, मुकदमों, कार्यवाहियों, वास्तविक लागतों, दावों, मांगों, प्रभारों, व्ययों, हानियों और दायित्वों से बैंक को हानिरहित रखेगा।

7.4 ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में, बैंक को संतोषजनक रूप और सामग्री में ग्राहक के वैध उत्तराधिकारियों (कानूनी और वैध उत्तराधिकार द्वारा अनुमोदित) के नए निर्देशों के बिना खाते पर कोई गतिविधि नहीं की जाएगी।

7.5 जब तक ग्राहक द्वारा खाता खोलने के आवेदन में अन्यथा निर्देश न दिया गया हो, जहां कोई खाता एक से अधिक व्यक्ति द्वारा खोला गया हो, वहां ऐसा कोई एक व्यक्ति ऐसे कोई लिखित निर्देश देने का हकदार होगा और बैंक ऐसे किसी भी निर्देश पर भरोसा करने का हकदार होगा।

7.6 बैंक ग्राहक की बैंक के साथ टेलीफोन वार्तालापों या निर्देशों को रिकॉर्ड कर सकता है। ऐसी रिकॉर्डिंग्स को वैध और ग्राहक पर बाध्यकारी माना जाएगा।

8. खाता फ्रीज करना

ग्राहक बैंक को कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन के कारण या केंद्रीय बैंक या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के निर्देश के तहत या ग्राहक पर बैंक के किसी दावे के लिए ब्लॉक की गई किसी भी राशि के संबंध में बैंक द्वारा उठाए गए किसी भी वास्तविक नुकसान के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा और उसे सुरक्षित रखेगा।

9. Erroneous Entries

In the event that there has been any error in entries posted to the Account by the Bank, the Bank is automatically authorized in its sole discretion to process relevant entries or adjustments to effect necessary corrections. The Customer does not have the right to claim the value of any deposits into the Account posted in error by the Bank. The Customer agrees that the Bank holds the right to unilaterally claim the amounts posted in error, either from the Customer or directly from the Account, and debit the Account accordingly. In the event of such claim/s made, at any point in time since the commission of the error the Customer is obliged to immediately reimburse such claim/s in accordance with the instructions of the Bank if required.

10. Fees and the Banking Services Charges

10.1 The Bank may debit the Accounts with, and the Customer will on demand pay, any charges, expenses or commission payable against the banking services rendered in accordance with these Terms and Conditions and the banking facilities extended to the Customer at the banking charges and commissions specified in the announced Schedule of Fees. Such charges, expenses or commission may be debited directly by the Bank to any account.

10.2 The Accounts shall be subject to stipulated minimum daily balance levels as determined and announced by the Bank. The Bank shall have the right to deduct the fees specified in the announced Schedule of Fees if the daily balance falls below the determined level.

11. Set Off

The Bank is authorized at any time, to apply all or part of any credit balance which is held in the Customer's name in any Account and/or at any branch of the Bank (including the termination of any Investment Deposit or any other deposit prior of their maturity dates) towards any indebtedness or amounts due under any Financial Transaction or banking facilities, whatsoever the reason of the Customer's obligation of the same to the Bank (or if the Account is a Joint Account, any such indebtedness of any of the Customers to that Joint Account to the Bank, whether several or joint or otherwise) and whether in the same currency as the Account or not. The Bank may effect any necessary conversions at the Prevailing Exchange Rate of the Bank. All actual costs and expenses incurred by the Bank in respect of the exercise of the said right of reconciliation shall be for the account of the Customer and payable on demand.

12. Accounts in Foreign Currencies

12.1 The Customer may open Accounts in foreign currency with the approval of the Bank and the transactions in this account or these accounts shall be effected only by the Bank's forms, applications, written instructions or any other means offered by the Bank, in the same currency of the Account and subject to these Terms and Conditions.

12.2 Cash withdrawal in foreign currency notes or travelers cheques from foreign currency accounts will be subject to the Prevailing Exchange Rate of the Bank at the time of withdrawal and commission determined by the Bank from time to time and shall be announced when the withdrawal is made.

12.3 The Customer may transfer from its foreign currency accounts to its local currency accounts or vice versa at the Prevailing Exchange Rate of the Bank in the same day of transfer. The Customer acknowledges that the Bank shall not be held responsible for any exchange losses that the Customer may incur when transferring any amount from its foreign currency accounts to another currency accounts unless the same are due to the Bank's negligence, infringement or otherwise violation of these Terms and Conditions. The currency of the Customer's debt may not be converted to another currency without paying off the debt and on condition that the conversion in this case shall be made at the Prevailing Exchange Rate of the Bank when the conversion is made.

12.4 The Bank is entitled to refuse to issue cheque books for the Current Accounts in Foreign Currency. The Bank may issue Cards for Accounts in Foreign Currency to be used for cash withdrawal from ATM and purchases at point of sale.

12.5 All Deposits made at a currency other than the currency of the Account shall be converted to AED first and then from AED to the currency of the Account at the Prevailing Exchange Rate of the Bank at the time of depositing.

12.6 All Deposits in the Account in Foreign Currency through ATM shall be in AED.

9. त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियां

यदि बैंक द्वारा खाते में की गई प्रविष्टियों में कोई त्रुटि हुई हो, तो बैंक स्वतः ही अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर आवश्यक सुधार करने के लिए संबंधित प्रविष्टियां या समायोजन संसाधित करने के लिए अधिकृत तो बैंक आवश्यक सुधार करने के लिए संबंधित प्रविष्टियों या समायोजनों को संसाधित करने के लिए अपने विवेक से स्वचालित रूप से अधिकृत है। ग्राहक को बैंक द्वारा त्रुटिवश खाते में जमा की गई किसी भी राशि के मूल्य पर दावा करने का अधिकार नहीं है। ग्राहक इस बात से सहमत है कि बैंक के पास त्रुटिवश दर्ज की गई राशियों का एकतरफा दावा करने का अधिकार है, चाहे वह ग्राहक से सीधे हो या खाते से, और तदनुसार खाते से राशि डेबिट करने का अधिकार है। इस तरह के दावों के किए जाने की स्थिति में, त्रुटि होने के बाद से किसी भी समय, यदि आवश्यक हो तो ग्राहक बैंक के निर्देशों के अनुसार ऐसे दावों की तुरंत प्रतिपूर्ति (reimburse) करने के लिए बाध्य है।

10. शुल्क और बैंकिंग सेवा प्रभार

10.1 बैंक खातों को इन नियमों और शर्तों के अनुसार प्रदान की गई बैंकिंग सेवाओं और ग्राहक को दी गई बैंकिंग सुविधाओं के बदले देय किसी भी प्रभार, व्यय या कमीशन को खातों से डेबिट कर सकता है, और ग्राहक मांग किए जाने पर इसका भुगतान करेगा, ये शुल्क और कमीशन घोषित शुल्क अनुसूची (Schedule of Fees) में निर्दिष्ट दरों के अनुसार होंगे। ऐसे शुल्क, खर्च या कमीशन बैंक द्वारा सीधे किसी भी खाते से डेबिट किए जा सकते हैं।

10.2 खाते बैंक द्वारा निर्धारित और घोषित न्यूनतम दैनिक शेष राशि के स्तरों के अधीन होंगे। यदि दैनिक शेष राशि निर्धारित स्तर से नीचे गिरती है, तो बैंक को घोषित शुल्क अनुसूची में निर्दिष्ट शुल्क काटने का अधिकार होगा।

11. समायोजन

बैंक किसी भी समय, ग्राहक के नाम पर किसी भी खाते में और/या बैंक की किसी भी शाखा में रखे गए क्रेडिट बैलेंस (जमा राशि) के पूरे या किसी हिस्से को (जिसमें किसी भी निवेश जमा या किसी अन्य जमा राशि को उनकी परिपक्वता तिथियों से पहले समाप्त करना शामिल है) किसी भी वित्तीय लेनदेन या बैंकिंग सुविधाओं के तहत देय ऋण या बकाया राशियों के भुगतान के लिए उपयोग करने के लिए अधिकृत है, चाहे बैंक के प्रति ग्राहक के उक्त दायित्व का कारण जो भी हो (या यदि खाता एक संयुक्त खाता है, तो उस संयुक्त खाते के किसी भी ग्राहक की बैंक के प्रति ऐसी कोई भी ऋण, चाहे वह पृथक हो या संयुक्त हो या अन्यथा) और चाहे खाते की उसी मुद्रा में हो या नहीं। बैंक बैंक की प्रचलित विनिमय दर पर कोई भी आवश्यक रूपांतरण कर सकता है। उक्त समाधान के अधिकार के प्रयोग के संबंध में बैंक द्वारा वहन की गई सभी वास्तविक लागतें और व्यय ग्राहक के खाते पर होंगे और मांग पर देय होंगे।

12. विदेशी मुद्राओं में खाते

12.1 ग्राहक बैंक की स्वीकृति से विदेशी मुद्रा में खाते खोल सकता है और इस खाते या इन खातों में लेनदेन केवल बैंक के प्रपत्रों, आवेदनों, लिखित निर्देशों या बैंक द्वारा प्रदान किए गए किसी अन्य माध्यम से, खाते की उसी मुद्रा में तथा इन नियमों एवं शर्तों के अधीन किए जाएंगे।

12.2 विदेशी मुद्रा खातों से विदेशी मुद्रा नोटों या ट्रैवलर्स चेक के रूप में नकद निकासी, निकासी के समय बैंक की प्रचलित विनिमय दर और बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित कमीशन के अधीन होगी, और निकासी के समय इसकी घोषणा की जाएगी।

12.3 ग्राहक हस्तांतरण वाले दिन ही बैंक की प्रचलित विनिमय दर पर अपने विदेशी मुद्रा खातों से स्थानीय मुद्रा खातों में या इसके विपरीत (स्थानीय से विदेशी मुद्रा में) राशि स्थानांतरित कर सकता है। ग्राहक यह स्वीकार करता है कि अपने विदेशी मुद्रा खातों से किसी अन्य मुद्रा खातों में कोई भी राशि स्थानांतरित करते समय होने वाले किसी भी विनिमय नुकसान के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि ऐसा नुकसान बैंक की लापरवाही, उल्लंघन या इन नियमों और शर्तों के उल्लंघन के कारण न हुआ हो। ग्राहक के ऋण की मुद्रा को ऋण चुकाए बिना दूसरी मुद्रा में नहीं बदला जा सकता है, और शर्त यह है कि इस मामले में रूपांतरण को रूपांतरण के समय बैंक की प्रचलित विनिमय दर पर किया जाएगा।

12.4 बैंक को विदेशी मुद्रा में चालू खातों (Current Accounts) के लिए चेकबुक जारी करने से इनकार करने का अधिकार है। बैंक विदेशी मुद्रा में खातों के लिए कार्ड जारी कर सकता है, जिनका उपयोग एटीएम से नकद निकासी तथा बिज्जी केंद्र पर खरीदारी के लिए किया जा सके।

12.5 खाते की मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा में की गई सभी जमा राशियों को पहले AED में बदला जाएगा और फिर जमा करने के समय बैंक की प्रचलित विनिमय दर पर AED से खाते की मुद्रा में बदला जाएगा।

12.6 एटीएम के माध्यम से विदेशी मुद्रा में खाते में की गई सभी जमा राशियाँ AED में होंगी।

12.7 All withdrawals from the Account in Foreign Currency made through Card within the UAE shall be in AED only and Prevailing Exchange Rate of the Bank in respect to withdrawal by Cards shall be applied when debiting the Account.

12.8 All withdrawals from the Account in Foreign Currency made through the Card outside the UAE shall be in the currency denomination prevailing in country of withdrawal and Prevailing Exchange Rate of the Bank in respect to withdrawal by Cards shall be applied when debiting the Account unless the ATM provides a facility of dispensing the requested amount in the same Foreign Currency.

13. Joint Accounts

13.1 The Bank may open a Joint Account for two or more Customers with equality among them, unless otherwise agreed upon

13.2 The Joint Account shall be opened by all its holders or by one person or persons holding a power of attorney from the owners of the Joint Account duly authenticated by an official specialized authority. Operations of such account shall be effected according to the agreement of the account holders.

13.3 To open a Joint Account, two or more Customers will be required to duly complete and sign the applicable Account Opening Application/s and other related documents for Joint Account holders. Unless otherwise agreed, each Customer will have equal access and equal rights to operate all the Joint Accounts and services which can be operated via a Joint Account. In addition, the following conditions shall apply in respect of Joint Accounts:

(a) These Terms and Conditions shall constitute an agreement between the Joint Account holders to be jointly and severally liable as well as between the Joint Account holders and the Bank.

(b) Instructions in respect of a Joint Account may be given by the authorized Customer(s) as specified in the Account Opening Application (including withdrawal in favour of the signatory/signatories thereof) and the Joint Account holders hereby accept and ratify all actions carried out by the Bank pursuant to such instructions.

(c) Unless otherwise agreed, all the Joint Account holders shall be jointly and severally responsible for any debit balance arising on the Joint Account for any reason (and any other liability that may be incurred). The Joint Account holders' liability and their responsibility will not be discharged or otherwise affected by the death or incapacity of any one or more of them.

(d) The Bank shall be authorised to accept for deposit or credit to the Joint Account any cheque, instrument, transfer or payment order issued in the name of one or more of the Joint Account holders.

(e) Subject to the Bank's policies, the Bank shall have the right to issue the Card and PIN to each or select of the Joint Account holders if each of them is authorized to handle the account by a single signature only, and they will be held individually or jointly, responsible for all liabilities that occur from using this service.

(f) The Bank may continue to rely upon the information provided in the Account Opening Application until it is notified to the contrary by any one or more of the Joint Account holders.

(g) In the event of the demise of a Joint Account holder, the other Account holders must give notice to the Bank of that fact within a reasonable time of the date of death or loss of capacity, the Bank shall thereupon suspend the withdrawal from the Joint Account from the date of notification until a successor is appointed and may freeze or suspend operation of the Joint Account.

(h) The Terms and Conditions of the Current Accounts and Mudarabah Accounts shall apply to the Joint Account, and shall be an integral part of these terms and conditions and completing them in a manner that shall not prejudice the terms and conditions of the Joint Account.

14. Illegal Funds

The Bank shall be entitled to freeze any funds in the Account or take other action necessary if the Bank believes the funds to have been obtained other than through lawful means or arising from an unlawful transaction. The Bank's judgment in this respect shall be conclusive. The Bank may

12.7 संयुक्त अरब अमीरात के भीतर कार्ड के माध्यम से विदेशी मुद्रा में खाते से की जाने वाली सभी निकासियां केवल AED में होंगी तथा खाता डेबिट करते समय कार्ड द्वारा निकासी के संबंध में बैंक की प्रचलित विनिमय दर लागू की जाएगी।

12.8 यूएई (UAE) के बाहर कार्ड के माध्यम से विदेशी मुद्रा खाते से की जाने वाली सभी निकासियां उस देश में प्रचलित मुद्रा में होंगी जहाँ से निकासी की जा रही है, और खाता डेबिट करते समय कार्ड द्वारा निकासी के संबंध में बैंक की प्रचलित विनिमय दर लागू की जाएगी, जब तक कि एटीएम उसी विदेशी मुद्रा में मांगी गई राशि प्रदान करने की सुविधा न देता हो।

13. संयुक्त खाते

13.1 बैंक दो या अधिक ग्राहकों के लिए उनके बीच समानता के साथ एक संयुक्त खाता खोल सकता है, जब तक कि अन्यथा सहमति न हो।

13.2 संयुक्त खाता उसके सभी धारकों द्वारा या संयुक्त खाते के स्वामियों से किसी सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित मुख्तारनामा धारण करने वाले एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा खोला जाएगा। ऐसे खाते का संचालन खाता धारकों के समझौते के अनुसार किया जाएगा।

13.3 संयुक्त खाता खोलने के लिए, दो या दो से अधिक ग्राहकों को संयुक्त खाताधारकों के लिए लागू खाता खोलने के आवेदन/आवेदनों और अन्य संबंधित दस्तावेजों को विधिवत पूरा करना और उन पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा। जब तक अन्यथा सहमति न हो, प्रत्येक ग्राहक को सभी संयुक्त खातों तथा उन सेवाओं को, जिन्हें संयुक्त खाते के माध्यम से संचालित किया जा सकता है, संचालित करने की समान पहुँच एवं समान अधिकार प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त, संयुक्त खातों के संबंध में निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

(a) ये नियम और शर्तें संयुक्त खाताधारकों के बीच संयुक्त और पृथक रूप से उत्तरदायी होने के साथ-साथ संयुक्त खाताधारकों और बैंक के बीच एक समझौता मानी जाएगी।

(b) संयुक्त खाते के संबंध में निर्देश

खाता खोलने के आवेदन में निर्दिष्ट अधिकृत ग्राहक (ग्राहकों) द्वारा दिए जा सकते हैं (जिसमें इसके हस्ताक्षरकर्ता/हस्ताक्षरकर्ताओं के पक्ष में नकद निकासी भी शामिल है), और संयुक्त खाताधारक इसके द्वारा उन निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों को स्वीकार और प्रमाणित करते हैं।

(c) जब तक अन्यथा सहमति न हो, सभी संयुक्त खाता धारक किसी भी कारण से संयुक्त खाते पर उत्पन्न होने वाले किसी भी ऋणात्मक शेष राशि (तथा उत्पन्न होने वाले किसी अन्य दायित्व) के लिए संयुक्त एवं पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे। किसी एक या अधिक खाताधारकों की मृत्यु या अक्षमता से संयुक्त खाताधारकों की यह देयता और उनकी जिम्मेदारी समाप्त या अन्यथा प्रभावित नहीं होगी।

(d) बैंक संयुक्त खाता धारकों में से एक या अधिक के नाम से जारी किसी भी चेक, दस्तावेज, हस्तांतरण या भुगतान आदेश को संयुक्त खाते में जमा या क्रेडिट करने के लिए स्वीकार करने हेतु अधिकृत होगा।

(e) बैंक की नीतियों के अधीन, यदि प्रत्येक संयुक्त खाता धारक केवल एकल हस्ताक्षर द्वारा खाता संचालित करने के लिए अधिकृत हो, तो बैंक को प्रत्येक या चुनिंदा संयुक्त खाता धारकों को कार्ड एवं पिन जारी करने का अधिकार होगा, और वे इस सेवा के उपयोग से उत्पन्न होने वाले सभी दायित्वों के लिए व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

(f) बैंक खाता खोलने के आवेदन में दी गई जानकारी पर तब तक भरोसा करना जारी रख सकता है, जब तक कि किसी एक या अधिक संयुक्त खाताधारकों द्वारा इसके विपरीत सूचना न दी जाए।

(g) किसी संयुक्त खाता धारक के निधन की स्थिति में, अन्य खाता धारकों को मृत्यु या क्षमता की हानि की तारीख से उचित समय के भीतर बैंक को उस तथ्य की सूचना देनी होगी, तत्पश्चात बैंक सूचना की तारीख से किसी उत्तराधिकारी की नियुक्ति तक संयुक्त खाते से आहरण को निलंबित कर देगा तथा संयुक्त खाते के संचालन को फ्रीज या निलंबित कर सकता है।

(h) चालू खातों एवं मुदाराबा खातों के नियम एवं शर्तें संयुक्त खाते पर लागू होंगी, तथा ये इन नियमों एवं शर्तों का अभिन्न अंग होंगी और इन्हें इस प्रकार पूर्ण करेंगी कि संयुक्त खाते के नियमों एवं शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

14. अवैध धनराशि

यदि बैंक को यह विश्वास होता है कि खाते में मौजूद धन वैध साधनों के अलावा किसी अन्य तरीके से प्राप्त किया गया है या किसी गैर-कानूनी लेनदेन से प्राप्त हुआ है, तो बैंक खाते में किसी भी धनराशि को फ्रीज (लेनदेन बंद) करने या कोई अन्य आवश्यक कार्रवाई करने का हकदार होगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। बैंक

also report any money laundering, illegal and/or suspicious transactions in the Account to the authorities within the UAE or abroad. The Bank shall comply with all anti-money laundering laws and regulations in force and applicable to it from time to time and may at its discretion call for additional details or information on the Customer and/or the Accounts and provide the same to regulatory authorities involved in the said operations. The Bank will not take any responsibility for delayed execution of transactions if the information called for is not provided by the Customers in time.

C. TYPES OF ACCOUNTS

15. Current Account - Qard

- 15.1** The Customer, as lender, shall deposit, the credit balance in the Current Account as a benevolent loan granted to the Bank and is guaranteed by the Bank, on which no profit, any other form of return or contingent, even as a common practice, benefits is payable on the balance of the Current Account. The Bank undertakes to pay any amounts outstanding in the Current Account in full upon demand, subject to the Customer's compliance with these Terms and Conditions. The Bank may invest all amounts outstanding in the Current Account in such manner as the Bank, in its absolute discretion; deems fit. All returns on such investment shall be the Bank's own property and the Current Account holder shall not receive any part thereof. The Current Account shall be subject to the minimum balance or average balance requirements as may be agreed on with the Customer from time to time. If the Customer's Current Account balance falls below the minimum/average balance requirement, subject always to the Central Bank's regulations and directions, the Bank shall charge the monthly fee specified in the Schedule of Fees announced in the Bank. The Bank may accept to open Current Account in Foreign Currency approved by the Bank from time to time, in such case, the terms and conditions of Accounts in Foreign Currencies and all other related terms shall apply on the Current Account.
- 15.2** Withdrawals from a Current Account shall be made in accordance with Clause 3.3. Deposits in the Current Account shall be accepted in all branches of the Bank in and outside the UAE by cash, transfers, cheques drawn on the Bank's branches or local banks or through the Bank's ATMs or in any other means approved by the Bank.
- 15.3** The Bank shall have the right to refuse to pay any payment orders or cheques written on forms other than the Bank's forms, without any responsibility whatsoever on the part of the Bank.
- 15.4** The Customer shall draw cheques and issue orders and instructions in Arabic or English languages. The Bank shall not accept cheques, orders and instructions written in any other language.
- 15.5** The Bank shall have the right, without any obligation, to honour the value of cheque or other negotiable instruments (in accordance with the rules and principles of the Islamic Shari'a), drawn on the Current Account even if this were to cause the Current Account to be overdrawn. The Customer undertakes to pay or repay all the due amounts in the Customer's overdrawn Current Account immediately upon the request of the Bank.
- 15.6** The Bank shall have the right to refuse to pay the value of the cheques, drawings and payment orders drawn on the account if the balance is not sufficient, even if the Customer has credit balance in any other Accounts, unless the Customer has prearranged with the Bank in writing to cover the amount of cheques, or any other withdrawals from any of his current or saving accounts with the Bank.
- 15.7** The Bank shall have the right to accept from the Customer any stop payment of cheque in case it is lost or in case of the Customer's bankruptcy or in other circumstance as shall be allowed by law and agreed by the Bank. However, the Customer will bear any actual loss, damage and cost (including legal cost) due to these incidents
- 15.8** The Customer shall take due care of the chequebook, and shall bear full responsibility and liability in respect of the issuance and use of any cheques and shall be responsible in all cases arising out of theft of the chequebook or the misuse thereof or of any of the cheques contained therein, including forgery, regardless of whether the aforementioned misuse was committed by any employee(s) of the Customer or by any other person. The Customer shall sustain all the consequences of the default and indemnify and hold the Bank harmless in all respects. The Customer will promptly notify the Bank in writing of the loss or theft of any cheque or payment instrument and will return to the Bank or destroy any unused cheque, payment instruments and related materials when

खाते में किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन), अवैध और/या संदिग्ध लेनदेन की सूचना यूएई के भीतर या विदेश के अधिकारियों को भी दे सकता है। बैंक समय-समय पर लागू होने वाले सभी मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों और विनियमों का अनुपालन करेगा और अपने विवेक से ग्राहक और/या खातों के बारे में अतिरिक्त विवरण या जानकारी मांग सकता है तथा उक्त कार्यों में शामिल नियामक अधिकारियों को इसे प्रदान कर सकता है। यदि मांगी गई जानकारी ग्राहकों द्वारा समय पर प्रदान नहीं की जाती है, तो लेनदेन के निष्पादन में होने वाली देरी के लिए बैंक कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

ग. खातों के प्रकार

15. चालू खाता - क़र्ज़

- 15.1** ग्राहक, ऋणदाता के रूप में, चालू खाते में जमा राशि को बैंक को प्रदान किए गए एक सद्भावपूर्ण ऋण के रूप में जमा करेगा जिसकी गारंटी बैंक द्वारा दी जाती है, जिस पर चालू खाते की शेष राशि पर कोई लाभ, किसी अन्य प्रकार का प्रतिफल या आकस्मिक लाभ, यहां तक कि सामान्य प्रथा के रूप में भी देय नहीं है। बैंक ग्राहक द्वारा इन नियम एवं शर्तों के अनुपालन के अधीन, मांग पर चालू खाते में बकाया किसी भी राशि का पूर्ण भुगतान करने का वचन देता है। बैंक चालू खाते में उपलब्ध सभी राशियों को अपने पूर्ण विवेक से जिस भी तरीके से उचित समझे, निवेश कर सकता है। ऐसे निवेश पर सभी प्रतिफल बैंक की अपनी संपत्ति होंगे और चालू खाता धारक उसका कोई भी भाग प्राप्त नहीं करेगा। चालू खाता न्यूनतम शेष राशि या औसत शेष राशि की आवश्यकताओं के अधीन होगा जैसा कि समय-समय पर ग्राहक के साथ सहमति बनी हो। यदि ग्राहक के चालू खाते की शेष राशि न्यूनतम/औसत शेष राशि की आवश्यकता से कम हो जाती है, तो केंद्रीय बैंक के विनियमों और निर्देशों के अधीन रहते हुए, बैंक, बैंक में घोषित शुल्क अनुसूची में निर्दिष्ट मासिक शुल्क वसूल करेगा। बैंक समय-समय पर बैंक द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा में चालू खाता खोलने की अनुमति दे सकता है, ऐसी स्थिति में, विदेशी मुद्राओं में खातों के नियम एवं शर्तें तथा अन्य सभी संबंधित शर्तें चालू खाते पर लागू होंगी।
- 15.2** चालू खाते से निकासी खंड 3.3 के अनुसार की जाएगी। चालू खाते में जमा राशि यूएई के भीतर और बाहर बैंक की सभी शाखाओं में नकद, स्थानांतरण, बैंक की शाखाओं या स्थानीय बैंकों पर आहरित चेकों द्वारा या बैंक के एटीएम के माध्यम से या बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य माध्यम से स्वीकार किया जाएगा।
- 15.3** बैंक को बैंक के फॉर्मों के अलावा अन्य फॉर्मों पर लिखे किसी भी भुगतान आदेश या चेक का भुगतान करने से इनकार करने का अधिकार होगा, और इसके लिए बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 15.4** ग्राहक अरबी या अंग्रेजी भाषा में चेक आहरित करेगा और आदेश एवं निर्देश जारी करेगा। बैंक किसी अन्य भाषा में लिखे गए चेकों, आदेशों और निर्देशों को स्वीकार नहीं करेगा।
- 15.5** बैंक को, बिना किसी दायित्व के, चालू खाते पर आहरित चेक या अन्य परक्राम्य लिखतों (negotiable instruments) (इस्लामिक शरीयत के नियमों और सिद्धांतों के अनुसार) के मूल्य का सम्मान करने का अधिकार होगा, भले ही इसके कारण चालू खाते से अधिक निकासी (overdrawn) हो जाए। ग्राहक बैंक के अनुरोध पर तुरंत ग्राहक के अधिक निकासी किए गए चालू खाते में सभी देय राशियों का भुगतान या पुनर्भुगतान करने का वचन देता है।
- 15.6** यदि खाते में पर्याप्त शेष राशि नहीं है, तो बैंक को खाते पर आहरित चेकों, निकासियों और भुगतान आदेशों के मूल्य का भुगतान करने से इनकार करने का अधिकार होगा, भले ही ग्राहक के पास किसी अन्य खाते में जमा राशि क्यों न हो। यह नियम तब तक लागू रहेगा जब तक कि ग्राहक ने बैंक के साथ अपने किसी चालू या बचत खाते से चेकों की राशि या किसी अन्य निकासी को कवर करने के लिए बैंक के साथ लिखित में पूर्व-व्यवस्था न की हो।
- 15.7** चेक के खो जाने, ग्राहक के दिवालिया होने या कानून द्वारा अनुमत और बैंक द्वारा सहमत अन्य परिस्थितियों में ग्राहक से चेक का भुगतान रोकने के किसी भी अनुरोध को स्वीकार करने का बैंक को अधिकार होगा। हालांकि, इन घटनाओं के कारण होने वाली किसी भी वास्तविक हानि, क्षति और लागत (कानूनी लागत सहित) को ग्राहक स्वयं वहन करेगा।
- 15.8** ग्राहक चेकबुक का उचित ध्यान रखेगा, और किसी भी चेक के जारी करने और उपयोग के संबंध में पूर्ण जिम्मेदारी और दायित्व वहन करेगा और चेकबुक की चोरी या उसके दुरुपयोग या उसमें मौजूद किसी भी चेक से उत्पन्न सभी मामलों में जिम्मेदार होगा, जिसमें जालसाजी शामिल है, भले ही उपर्युक्त दुरुपयोग ग्राहक के किसी कर्मचारी (कर्मचारियों) द्वारा किया गया हो या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। ग्राहक इस चूक के सभी परिणामों को वहन करेगा और सभी मामलों में बैंक को क्षतिमुक्त और सुरक्षित रखेगा। ग्राहक किसी भी चेक या भुगतान लिखत के खोने या चोरी होने की सूचना बैंक को तुरंत लिखित रूप में देगा और किसी भी अप्रयुक्त चेक, भुगतान लिखतों और संबंधित सामग्री को बैंक को वापस करेगा या नष्ट कर देगा जब

the relevant Account is closed. The Customer shall not give any of the chequebooks to any third parties. The Customer shall immediately inform the Bank in writing, upon the loss or theft of a chequebook, in the absence of which otherwise the Customer shall bear all the consequences in cases of its misuse.

15.9 The Bank has the right to refuse issuing a chequebook to the Customer, without giving any reason.

15.10 The Bank has the right to close the Current Account and to cause the Customer's name to be blacklisted in accordance with the regulations of the Central Bank in force from time to time.

15.11 The total amount of cheques drawn on the Current Account but not yet presented for payment must not, at any time, exceed the available balances on the Current Account and available for withdrawal. The Bank is not obliged to honor cheques drawn against unrealized or un-cleared payments into the Current Account. The Bank shall collect a charge, which is specified in the Schedule of Fees, on any cheque that is returned unpaid for lack of funds and on any cheque deposited for collection before a period of its due date which is the period specified by the Bank at the time of the deposit of the cheque taking into consideration the Central Bank's regulations and directions.

16. Mudarabah Accounts

16.1 Qualifying Accounts

Only Mudarabah Accounts which satisfy the minimum or the average balance requirements as agreed upon with the Bank shall be the Qualifying Accounts for receiving profits of the profits accrued. To the extent and for the period any Mudarabah Accounts do not meet the minimum balance or average balance requirements, such Accounts shall:

- (a) be subject to the charges and fees specified in the announced Schedule of Fees; and
- (b) not be entitled to any returns of whatsoever nature (including profit).

16.2 General Terms of Mudarabah Accounts

(a) Under a Mudarabah Account, the Customer as (the "owner of funds") or "Rab-al-Maal") authorizes the Bank which accepted such authorization (as the "Mudarib" to invest the Customer's funds deposited in the Mudarabah Account ("Mudarabah Capital") through a designated Mudarabah pool or General Mudarabah pool or any other Mudarabah pool as may be determined by the Bank according to the provisions and principles of Islamic Shari'a in such manner as the Bank, in its absolute discretion, deems fit. The Mudarabah Capital owned by the Customers holders of the Mudarabah Accounts ("Mudarabah Accounts Holders") in the Mudarabah pool capital ("Mudarabah Pool Capital") and the owner of the funds has authorized the fund manager to mix the Mudarabah Capital with its own funds of the equity rights, balances of the of Current Accounts, other accounts deemed as Current Accounts and others in which the Bank is authorized to invest.

(b) The investment shall include the whole Mudarabah Capital except such amount necessary for the obligatory reserve and for the purposes of cash liquidity as prescribed in the instructions of the Central Bank. If the amount necessary for the purposes of cash liquidity is invested and generated a profit, such profit shall be treated as profits accrued on the Mudarabah Capital.

(c) The Customer may make withdrawals from any Mudarabah Accounts in accordance with Clause 3.3 except the Investment Deposit Account the withdrawal of which is subject to specific conditions in accordance with these Terms and Conditions.

(d) The Mudarabah Capital or credits of the Mudarabah Account shall not be guaranteed by the Bank unless in cases of Bank's negligence, infringement or otherwise violation of these Terms and Conditions.

(e) The Mudarabah Accounts Holders authorize the Bank to retain the profits of finances or investments determined to be retained by the Internal Shari'a Supervisory Committee due to violation of Shari'a principles in the execution of the finance or investment to be dispensed in charity as per its instructions.

(f) The Mudarabah Accounts Holders shall authorize the Bank to provide exemption from the profits, financing amount in the philanthropies, if necessary, or for commercial purposes including the prizes for premature payment as may determined in all cases by the Internal Shari'a Supervisory Committee.

संबंधित खाता बंद हो जाए। ग्राहक अपनी कोई भी चेकबुक किसी तीसरे पक्ष को नहीं देगा। चेकबुक के खोने या चोरी होने पर ग्राहक तुरंत बैंक को लिखित रूप में सूचित करेगा, ऐसा न करने पर इसके दुरुपयोग के मामलों में ग्राहक सभी परिणाम भुगतने के लिए उत्तरदायी होगा।

15.9 बैंक को कोई कारण बताए बिना ग्राहक को चेकबुक जारी करने से इनकार करने का अधिकार है।

15.10 बैंक को समय-समय पर प्रवृत्त केंद्रीय बैंक के विनियमों के अनुसार चालू खाता बंद करने और ग्राहक के नाम को काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में डालने का अधिकार है।

15.11 चालू खाते पर आहरित परंतु अभी तक भुगतान के लिए प्रस्तुत न किए गए चेकों की कुल राशि, किसी भी समय, चालू खाते में उपलब्ध और निकासी के लिए उपलब्ध शेष राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। बैंक चालू खाते में अप्राप्त (unrealized) या जो भुगतान अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, उनके बदले आहरित चेकों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है। धन राशि की कमी के कारण बिना भुगतान के वापस आने वाले किसी भी चेक पर और उसकी देय तिथि से पहले संग्रह (collection) के लिए जमा किए गए किसी भी चेक पर बैंक शुल्क वसूल करेगा, जो शुल्क अनुसूची में निर्दिष्ट है। यह वह अवधि होगी जो चेक जमा करने के समय बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक के नियमों और निर्देशों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट की गई हो।

16. मुदारबा खाते

16.1 पात्र खाते

केवल वे मुदारबा खाते ही अर्जित लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र खाते होंगे, जो बैंक के साथ सहमति के अनुसार न्यूनतम या औसत शेष राशि की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जिस सीमा तक और जिस अवधि के लिए कोई मुदारबा खाते न्यूनतम शेष राशि या औसत शेष राशि की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते, ऐसे खाते:

- (a) घोषित शुल्क अनुसूची में निर्दिष्ट प्रभारों और शुल्कों के अधीन होंगे; और
- (b) किसी भी प्रकार के किसी प्रतिफल (लाभ सहित) के हकदार नहीं होंगे।

16.2 मुदारबा खातों की सामान्य शर्तें

(a) मुदारबा खाते के अंतर्गत, ग्राहक "धन के स्वामी" (owner of funds) या "रब्ब-उल-माल" (Rab-al-Maal) के रूप में बैंक को अधिकृत करता है, और बैंक इस प्राधिकरण को "मुदारिब" (Mudarib - प्रबंधक) के रूप में स्वीकार करता है ताकि वह मुदारबा खाते में जमा ग्राहक की धनराशि यानी "मुदारबा पूंजी" (Mudarabah Capital) को इस्लामिक शरिया के प्रावधानों और सिद्धांतों के अनुसार एक निर्दिष्ट मुदारबा पूल (Mudarabah pool), सामान्य मुदारबा पूल (General Mudarabah pool), या बैंक द्वारा निर्धारित किसी अन्य मुदारबा पूल के माध्यम से अपने पूर्ण विवेक से निवेश कर सके। मुदारबा खातों के धारक ग्राहकों ("मुदारबा खाताधारक") के स्वामित्व वाली मुदारबा पूंजी मुदारबा पूल पूंजी ("Mudarabah Pool Capital") का हिस्सा होती है और धन के स्वामी ने निधि प्रबंधक को प्राधिकृत किया है कि वह मुदारबा पूंजी को अपनी इच्छा के अधिकारों की निधियों, चालू खातों के शेष, चालू खातों के रूप में माने जाने वाले अन्य खातों तथा अन्य खातों जिनमें बैंक को निवेश करने का प्राधिकार है, के साथ मिश्रित करे।

(b) निवेश में संपूर्ण मुदारबा पूंजी शामिल होगी, सिवाय उस राशि के जो अनिवार्य आरक्षित निधि के लिए तथा केंद्रीय बैंक के निर्देशों में निर्धारित नकद तरलता के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो। यदि नकद तरलता के प्रयोजनों के लिए आवश्यक राशि निवेश की जाती है और उससे कोई लाभ उत्पन्न होता है, तो ऐसे लाभ को मुदारबा पूंजी पर अर्जित लाभ के रूप में माना जाएगा।

(c) ग्राहक खंड 3.3 के अनुसार किसी भी मुदारबा खाते से निकासी कर सकता है, सिवाय निवेश जमा खाते के जिसकी निकासी इन नियमों और शर्तों के अनुसार विशिष्ट शर्तों के अधीन है।

(d) मुदारबा पूंजी या मुदारबा खाते के जमा को बैंक द्वारा गारंटीकृत नहीं किया जाएगा, सिवाय उन मामलों के जो बैंक की लापरवाही, उल्लंघन या इन नियमों और शर्तों के उल्लंघन के कारण हुए हों।

(e) मुदारबा खाताधारक बैंक को उन वित्तपोषणों या निवेशों के लाभ को रोक कर रखने के लिए अधिकृत करते हैं, जिन्हें आंतरिक शरिया पर्यवेक्षी समिति द्वारा वित्तपोषण या निवेश के निष्पादन में शरिया सिद्धांतों के उल्लंघन के कारण रोकने का निर्णय लिया गया हो, ताकि समिति के निर्देशों के अनुसार इसे दान में दिया जा सके।

(f) मुदारबा खाताधारक बैंक को आवश्यकता पड़ने पर परोपकारी कार्यों में वित्तपोषण राशि या लाभ से छूट प्रदान करने, या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जिसमें समय से पूर्व भुगतान के लिए पुरस्कार/पुरस्कार राशि शामिल है, जैसा कि सभी मामलों में आंतरिक शरिया पर्यवेक्षी समिति द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, छूट देने के लिए अधिकृत करेंगे।

16.3 Investment and Allocation of Profits

(a) The Mudarabah Pool Capital shall be invested by the Bank in a joint investment pool the ("General Pool") on which the funds of Bank's shareholders in terms of equity rights, credits of Current Accounts and credits of other accounts deemed as Current Accounts and may include the funds authorized to be invested by the Bank on the basis of Investment Agency (as may be applicable in the Bank), a partnership relation ("Partnership") is established between such funds and the Mudarabah Pool Capital and constitute together a ("Partnership Capital").

(b) In order to calculate and allocate the realized profits, the Bank shall make a balance sheet (with the other necessary financial statements) for the general pool for the period for which the profits are calculated and allocated on the basis of constructive liquidation (valuation) to ensure the soundness of the partnership capital and the realization of Profit to be allocated, if any. The profits realized by the general pool ("General Pool Profits") after deducting the fees and expenses (as may be applicable in the Bank in relation to the allocation of fees and expenses among the general pool and shareholders shall be allocated as follows:

- (1) The profits of the general pool shall be proportionately allocated amongst the depositors of the partnership capital as per the percentage share in the general pool owned by each depositor when the financial statement is made, or by the other manner applied by the Bank, if any, as shown in the Addendum
- (2) The Bank shall, as Mudarib, obtain its share of the profits of the Mudarabah pool capital (the "Mudarabah Profit"). The share shall be determined in accordance with the predetermined percentage of the Mudarabah Profit ("Mudarib's Profit Share")
- (3) after the deduction of the Mudarib's Profit Share from the Mudarabah Profit, the remaining sum of the Mudarabah Profit determined as per the predetermined percentage of the Mudarabah Profit ("Mudarabah Accounts Holders' Share in the Profit") shall be for the Mudarabah Accounts holders as fund owners ("Mudarabah Accounts Holders' Share in the Profit") and the Mudarabah Accounts Holders' Share in the Profit shall be distributed amongst the Mudarabah Accounts Holders as per the weightings applied by the Bank ("Weightings") and in accordance with Clause 16.3.
- (4) the updated and prevailing Mudarib's Profit Share, Mudarabah Accounts Holders' Share in the Profit and Weightings applicable to each Category will be displayed in the Bank's branches and website and may be obtained from the Bank or otherwise in accordance with the Bank's prevailing practices. The Bank reserves the right to vary the Mudarib's Profit Share and the Mudarabah Accounts Holders' Share in the Profit and/or the Weightings from time to time at its sole discretion (after obtaining the approval of the Internal Shari'a Supervisory Committee) and shall announce the same in seen place in the Bank's branches and its website or by special notice to be served to the Mudarabah Accounts Holders. Such variation shall be deemed to be effective upon the commencement of the Profit Calculation Period immediately succeeding such variation provided that such announcement or notice shall be made prior to at least thirty (30) banking days of such period. The Customer shall be deemed to have accepted such variation if the Bank does not receive any notice to the contrary within the 30-day period mentioned above.

(c) The Customer acknowledges that nothing in these Terms and Conditions shall be construed in any case as being a warranty or a representation by the Bank of any guaranteed profits, or any guaranteed repayment of any part or the entire portion, in respect of the Mudarabah Account Balances. The Customer is aware that all balance in the Mudarabah Accounts (including the Investment Deposits) are exposed to potential losses arising out of a potential loss and that such losses may even affect the principal amount of the funds deposited by the Customers in the Mudarabah Account.

(d) In respect of Savings Account, profits shall be calculated on the minimum balance for the relevant period of profits calculation of the Saving Account and shall in respect of an average balance Saving Account be calculated on the monthly average balance of the Savings Account for the relevant Profit Calculation Period of the account. The calculation shall be made using either method as applied and declared in the Bank at the time of opening the account. The profit calculation period for the Savings Account shall be one (1) calendar month starting from the first day of the month succeeding the deposit of the first amount at or after the opening of the account. Unless such deposit is made in the first day of the month on which the account is opened, the period shall then commence of that day.

(e) In cases where the Bank determines to pay to all or some Mudarabah Accounts Holders an amount higher than the profits due to them as per the achieved profits by way of donation of the Bank's Shareholders profits,

16.3 निवेश और लाभों का आवंटन

(a) मुदाराबा पूल पूंजी को बैंक द्वारा एक संयुक्त निवेश पूल ("सामान्य पूल") में निवेश किया जाएगा, जिसमें बैंक के शेयरधारकों की इक्विटी अधिकारों के रूप में निधियाँ, चालू खातों की जमा राशि और चालू खाते माने जाने वाले अन्य खातों की जमा राशि शामिल होगी और इसमें वे निधियाँ शामिल हो सकती हैं जिन्हें निवेश एजेंसी के आधार पर (जैसा बैंक में लागू हो) निवेश करने के लिए बैंक को प्राधिकृत किया गया है, ऐसी निधियाँ और मुदाराबा पूल पूंजी के बीच एक साझेदारी संबंध ("साझेदारी") स्थापित होता है और वे मिलकर एक ("साझेदारी पूंजी") का गठन करते हैं।

(b) अर्जितलाभों की गणना और आवंटन करने के लिए, बैंक उस अवधि के लिए सामान्य पूल के लिए एक बैलेंस शीट (अन्य आवश्यक वित्तीय विवरणों के साथ) तैयार करेगा जिसके लिए लाभों की गणना और आवंटन काल्पनिक परिसमापन (मूल्यांकन) के आधार पर किया जाता है, ताकि साझेदारी पूंजी की सुदृढ़ता और आवंटित किए जाने वाले लाभ की प्राप्ति, यदि कोई हो, सुनिश्चित की जा सके। सामान्य पूल द्वारा अर्जित लाभ ("सामान्य पूल लाभ" / General Pool Profits) में से शुल्कों और खर्चों को घटाने के बाद (जैसा कि सामान्य पूल और शेयरधारकों के बीच शुल्कों और खर्चों के आवंटन के संबंध में बैंक में लागू हो), लाभ का आवंटन निम्नानुसार किया जाएगा:

- (1) सामान्य पूल के लाभों को साझेदारी पूंजी के जमाकर्ताओं के बीच आनुपातिक रूप से आवंटित किया जाएगा, वित्तीय विवरण बनाए जाने के समय प्रत्येक जमाकर्ता के स्वामित्व वाले सामान्य पूल में प्रतिशत हिस्से के अनुसार, या बैंक द्वारा लागू अन्य तरीके से, यदि कोई हो, जैसा कि परिशिष्ट में दर्शाया गया है
- (2) बैंक, मुदारिब के रूप में, मुदाराबा पूल पूंजी के लाभों में से अपना हिस्सा ("मुदाराबा लाभ") प्राप्त करेगा। यह हिस्सा मुदाराबा लाभ ("मुदारिब का लाभ हिस्सा") के पूर्वनिर्धारित प्रतिशत के अनुसार निर्धारित किया जाएगा
- (3) मुदाराबा लाभ में से मुदारिब के लाभ हिस्से की कटौती के बाद, मुदाराबा लाभ की शेष बची राशि, जो मुदाराबा लाभ के पूर्व-निर्धारित प्रतिशत के अनुसार निर्धारित की गई हो ("लाभ में मुदाराबा खाताधारकों का हिस्सा"), निधि स्वामियों के रूप में मुदाराबा खाताधारकों के लिए होगी और लाभ में मुदाराबा खाताधारकों के इस हिस्से को बैंक द्वारा लागू भारांकों ("Weightings") के अनुसार और खंड 16.3 के अनुरूप मुदाराबा खाताधारकों के बीच वितरित किया जाएगा।
- (4) प्रत्येक श्रेणी पर लागू नवीनतम और प्रचलित मुदारिब का लाभ हिस्सा, लाभ में मुदाराबा खाताधारकों का हिस्सा और भारांकों (Weightings) बैंक की शाखाओं और वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे और बैंक से या बैंक की प्रचलित प्रथाओं के अनुसार प्राप्त किए जा सकते हैं। बैंक अपने पूर्ण विवेक से (आंतरिक शरिया पर्यवेक्षी समिति की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद) समय-समय पर मुदारिब के लाभ हिस्से और लाभ में मुदाराबा खाताधारकों के हिस्से और/या भारांक में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और उसे बैंक की शाखाओं और उसकी वेबसाइट में दृश्यमान स्थान पर या मुदाराबा खाताधारकों को दी जाने वाली विशेष सूचना द्वारा घोषित करेगा। ऐसा बदलाव उस लाभ गणना अवधि के शुरू होने पर प्रभावी माना जाएगा जो इस बदलाव के तुरंत बाद आएगी, बशर्त कि ऐसी घोषणा या सूचना उस अवधि से कम से कम तीस (30) बैंकिंग दिनों पहले किया गया हो। यदि बैंक को उपरोक्त 30-दिवसीय अवधि के भीतर इसके विपरीत कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो ग्राहक को इस बदलाव को स्वीकार कर चुका माना जाएगा।

(c) ग्राहक स्वीकार करता है कि इन नियमों और शर्तों में किसी भी बात को किसी भी स्थिति में मुदाराबा खाता शर्तों के संबंध में किसी भी गारंटीकृत लाभ, या किसी भी हिस्से या पूरी राशि के गारंटीकृत पुनर्भगतान के आश्वासन या प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं समझा जाएगा। ग्राहक इस बात से अवगत है कि मुदाराबा खातों में सभी शेष राशि (निवेश जमा राशियाँ सहित) किसी संभावित नुकसान के जोखिम के अधीन हैं और ऐसे नुकसान ग्राहकों द्वारा मुदाराबा खाते में जमा की गई निधियों की मूल राशि को भी प्रभावित कर सकते हैं।

(d) बचत खाते के संबंध में, लाभ की गणना बचत खाते की संबंधित लाभ गणना अवधि के लिए न्यूनतम शेष राशि पर की जाएगी और औसत शेष राशि वाले बचत खाते के संबंध में, इसकी गणना खाते की प्रासंगिक लाभ गणना अवधि के लिए बचत खाते के मासिक औसत शेष पर की जाएगी। यह गणना खाता खोलने के समय बैंक में लागू और घोषित दोनों में से किसी भी पद्धति का उपयोग करके की जाएगी। बचत खाते के लिए लाभ गणना अवधि एक (1) कैलेंडर माह होगी जो खाता खोलने के समय या उसके बाद पहली राशि जमा किए जाने के अगले माह के पहले दिन से शुरू होगी। यदि यह जमा राशि उस महीने के पहले दिन की जाती है जिसमें खाता खोला गया है, तो वह अवधि उसी दिन से शुरू होगी।

(e) जिन मामलों में जहां बैंक सभी या कुछ मुदाराबा खाताधारकों को बैंक के शेयरधारकों के लाभ के माध्यम से अर्जित लाभों के अनुसार उन्हें देय लाभों से अधिक राशि का भुगतान करने का निर्णय लेता है,

such donation shall not obligate the Bank to make such donation in the future whatsoever the times of recurrence and shall in all cases remain optional for the Bank at its absolute discretion.

(f) In cases where a Saving Account is closed prior to the applicable Profit Payment Date, the Customer agrees that it shall not be entitled to receive the profits accrued on the Mudarabah Capital for the relevant month in which the account is closed and agrees to receive an amount equivalent to the account balance on Takharuj basis for that month. However, the profits calculated for the month(s) preceding the month in which the account is closed and have not yet been paid to the Customer shall be paid upon the closure of the account except for the amounts due to the Customer of the Investment Risk Reserves and Profit Equalization Reserves included in the said Takharuj.

(g) The Mudarabah Accounts Holders authorize the Bank, to retain, if required, a certain percentage of the Mudarabah Accounts Holders' Profit of the realized profits due to be allocated to in the Investment Risk Reserves but shall not exceed certain percentage of such share as the percentage applied and declared by the Bank, if any, upon approval by the Bank's Internal Shari'a Supervisory Committee on the same, for the purposes of protecting against the future loss for which the Bank shall not be liable and maintaining the stability and sustainability of the regular allocation of the profits on the Mudarabah Accounts Holders as per the market rates in the future under the following controls:

- 1- The balance of the Investment Risk Reserves shall always remain the right of the Mudarabah Accounts Holders owning the Mudarabah accounts in the Bank at any time and the Bank shall not have the right to deduct for itself any amount of this balance, and at the liquidation of the Bank the said reserve balance shall be allocated to the Mudarabah Accounts Holder existing at that time. If anything remained thereof, it shall be dispensed in charities
- 2- Upon the allocation of the Investment Risk Reserves or any part thereof to the Mudarabah accounts holders, such allocation shall be made according to the Weightings or on pro rate basis or in any other manner as may have been agreed between the Bank and the Customer at the Account opening date, any accounts or category shall not receive more than what it deserves in accordance to that.
- 3- To facilitate the matter, it is allowable to establish a sub Investment Risk Reserve for each kind, type or category of the Mudarabah accounts according to the aforesaid rules.
- 4- The Investment Risk Reserves balance shall be invested for such reserve on Mudarabah basis under the same Terms and Conditions of the Saving Account, if a sub reserve has been established for each type of the Mudarabah accounts, then the reserve balance shall be invested under the same Terms and Conditions of this account and in this case the Investment term for the Investment Deposit shall be one month.

(h) The Mudarabah Accounts Holders shall authorize the Bank, to retain, if required, part of the Profit of the Mudarabah pool (Mudarabah Profits) of the realized profits due to be allocated to the Mudarabah Accounts Holders and the Bank in the Profit Equalization Reserves but shall not exceed certain percentage of such profits which shall be the percentage applied and declared by the Bank, if any, upon approval by the Bank's Internal Shari'a Supervisory Committee on the same, for the purposes of maintaining the stability and sustainability of the regular allocation of the profits on the Mudarabah Accounts Holders as per the market rates in the future under the following roles:

1. At all times, the balance of the Profit Equalization Reserves shall remain the right of the Mudarabah Accounts Holders owning the Mudarabah Accounts and the Bank. The Bank shall not be the sole owner of such Profit Equalization Reserves, and In case of liquidation of the Bank, the said reserve account shall be allocated to the Mudarabah Accounts Holders existing at that time. If anything remained thereof, it shall be dispensed in charities as should be determined by the Internal Shari'a Supervisory Committee.
2. The Profit Equalization Reserves balance shall be invested for such reserve on Mudarabah basis under the same Terms and Conditions of the investment of the Partnership Capital in the general pool.
3. Upon the allocation of the Profit Equalization Reserves or any part thereof to the Mudarabah Accounts Holders, such allocation shall be made as per Mudrabah Profit allocation principles.

(i) If the profits are calculated and not paid to the Customer in accordance with these Terms and Conditions, the Customer hereby authorizes the Bank to invest such profits under the same Terms and Conditions of their respective account.

तो ऐसा दान भविष्य में भी ऐसा ही दान करने के लिए बैंक को किसी भी तरह से बाध्य नहीं करेगा, चाहे यह कितनी ही बार दोहराया गया हो और सभी मामलों में यह बैंक के लिए उसके पूर्ण विवेकाधिकार पर वैकल्पिक रहेगा।

(f) ऐसे मामलों में जहाँ कोई बचत खाता लागू लाभ भुगतान तिथि से पहले बंद कर दिया जाता है, तो ग्राहक सहमत होता है कि वह उस संबंधित माह के लिए मुदरबा पूंजी पर अर्जित लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा जिसमें खाता बंद किया जाता है और उस माह के लिए तखारुज (साझेदारी से स्वैच्छिक निकास) के आधार पर खाते की शेष राशि के समतुल्य राशि प्राप्त करने के लिए सहमत होता है। हालांकि, खाता बंद होने वाले माह से पहले के माह(माहों) के लिए गणना किया गया लाभ और जो अभी तक ग्राहक को भुगतान नहीं किए गए हैं, खाते के बंद होने पर भुगतान किए जाएंगे, सिवाय उन राशियों के जो ग्राहक को उक्त तखारुज में शामिल निवेश जोखिम आरक्षित और लाभ समानीकरण आरक्षित के तहत देय हैं।

(g) मुदरबा खाताधारक बैंक को अधिकृत करते हैं कि यदि आवश्यक हो, तो वह अर्जित वास्तविक लाभ में से मुदरबा खाताधारकों को आवंटित किए जाने वाले लाभ का एक निश्चित प्रतिशत निवेश जोखिम आरक्षित में रखने के लिए रोक सकता है, परंतु यह ऐसे हिस्से के उस निश्चित प्रतिशत से अधिक नहीं होगा जो बैंक द्वारा लागू और घोषित प्रतिशत है, यदि कोई हो, इस पर बैंक की आंतरिक शरिया पर्यवेक्षी समिति की मंजूरी पर, भविष्य की हानि से सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए जिसके लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा तथा निम्नलिखित नियमों के तहत भविष्य में बाजार दरों के अनुसार मुदरबा खाताधारकों को नियमित लाभ के आवंटन की स्थिरता और निरंतरता बनाए रखना है:

- 1- निवेश जोखिम आरक्षितियों का शेष हमेशा किसी भी समय बैंक में मुदरबा खातों के स्वामी मुदरबा खाताधारकों का अधिकार बना रहेगा और बैंक को इस शेष की कोई भी राशि अपने लिए काटने का अधिकार नहीं होगा, और बैंक के परिसमापन पर उक्त आरक्षित शेष उस समय मौजूद मुदरबा खाताधारकों को आवंटित किया जाएगा। यदि उसमें से कुछ शेष रहता है, तो उसे दान में वितरित किया जाएगा।
- 2- मुदरबा खाताधारकों को निवेश जोखिम आरक्षित या उसके किसी भाग के आवंटन पर, ऐसा आवंटन भारांक के अनुसार या समानुपातिक (pro-rata) आधार पर या किसी अन्य तरीके से किया जाएगा जैसा कि बैंक और ग्राहक के बीच खाता खोलने की तिथि पर सहमत हुआ हो, कोई भी खाता या श्रेणी उससे अधिक प्राप्त नहीं करेगी जितनी वह हकदार है।
- 3- मामले को सुगम बनाने के लिए, उपरोक्त नियमों के अनुसार मुदरबा खातों के प्रत्येक प्रकार, स्वरूप या श्रेणी के लिए एक उप निवेश जोखिम आरक्षित स्थापित करने की अनुमति है।
- 4- निवेश जोखिम आरक्षित की शेष राशि को बचत खाते के उन्हीं नियमों और शर्तों के तहत मुदरबा के आधार पर निवेश किया जाएगा, यदि मुदरबा खातों के प्रत्येक प्रकार के लिए एक उप आरक्षित स्थापित किया गया है, तो आरक्षित शेष राशि को इस खाते के नियमों और शर्तों के तहत निवेश किया जाएगा और इस मामले में निवेश जमा के लिए निवेश अवधि एक माह होगी।

(h) मुदरबा खाता धारक बैंक को अधिकृत करते हैं कि वह, यदि आवश्यक हो, मुदरबा खाता धारकों तथा बैंक को आवंटित किए जाने वाले प्राप्त लाभों में से मुदरबा पूल के लाभ (मुदरबा लाभ) का कुछ भाग लाभ समकारी प्रारक्षित निधियों में आवंटित करे, परंतु यह ऐसे लाभों के एक निश्चित प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जो बैंक की आंतरिक शरिया पर्यवेक्षी समिति की स्वीकृति पर बैंक द्वारा लागू और घोषित किया गया हो और इसका उद्देश्य निम्नलिखित नियमों के तहत भविष्य में बाजार दरों के अनुसार मुदरबा खाताधारकों को नियमित लाभ के आवंटन की स्थिरता और निरंतरता बनाए रखना है:

1. हर समय, लाभ समानीकरण आरक्षित निधियों की शेष राशि पर मुदरबा खातों के स्वामी मुदरबा खाता धारकों तथा बैंक का अधिकार बना रहेगा। बैंक ऐसी लाभ समानीकरण आरक्षित निधियों का एकमात्र स्वामी नहीं होगा, और बैंक के परिसमापन (liquidation) की स्थिति में, उक्त आरक्षित खाते की राशि उस समय मौजूद मुदरबा खाताधारकों को आवंटित की जाएगी। यदि इसमें से कुछ भी शेष बचता है, तो उसे दान में दे दिया जाएगा जैसा कि आंतरिक शरिया पर्यवेक्षी समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
2. लाभ समानीकरण आरक्षित की शेष राशि को सामान्य पूल में साझेदारी पूंजी के निवेश के उन्हीं नियमों और शर्तों के तहत मुदरबा के आधार पर निवेश किया जाएगा।
3. मुदरबा खाताधारकों को लाभ समानीकरण आरक्षित या उसके किसी हिस्से का आवंटन किए जाने पर, ऐसा आवंटन मुदरबा लाभ आवंटन के सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।
- (i) यदि लाभ की गणना कर ली गई है लेकिन इन नियमों और शर्तों के अनुसार ग्राहक को उसका भुगतान नहीं किया गया है, तो ग्राहक इसके द्वारा बैंक को इस लाभ को उनके संबंधित खाते के उन्हीं नियमों और शर्तों के तहत निवेश करने के लिए अधिकृत करता है।

(j) The Mudarabah Accounts Holders shall authorize the Bank to pay the Zakat of the Investment Risk Reserves balance and their respective share in the Profit Equalization Reserves balance and dispense the same as may be determined by the Internal Shari'a Supervisory Committee.

(k) The Bank may at its discretion restrict/limit the number of withdrawals through the branches permissible during a calendar month from the Savings Account, and if the number of withdrawals exceeds the number of transactions specified by the Bank, then the Bank may collect a service charge specified in the Schedule of Fees for each additional withdrawal transaction exceeding such limit

16.4 Special Terms of the Investment Deposit Accounts

(a) the General Provisions shall apply to the Investment Deposit Account and the following additional conditions shall also apply:

(1) In relation to an Investment Deposit Account, the Customer shall select a fixed Investment Period (or such other periods approved by the Bank), provided that the minimum fixed Investment Period shall be one (1) calendar month;

(2) The profit on the Investment Deposit Account shall be calculated based on the realized profit and shall be paid to the Customer either:

(a) On the first Profit Payment Date falling immediately after the expiry of the Investment Period; or

(b) On Profit Payment Dates at such certain intervals as may be mutually agreed to between the Customer and the Bank (if such agreement exists); and

(3) Unless otherwise instructed to the Bank by the Customer fifteen (15) banking days before the expiry of Investment Period, the deposit shall be renewed automatically on the same terms and conditions. The Customer may opt to, when opening the investment deposit account, add the achieved and allocated profit to the deposit at the renewal to be invested with it and may opt not to add the same.

(b) The profit calculation period for the investment deposit shall be determined as may be requested by the Customer when opening the Investment Deposit Account and approved by the Bank and shall in any case commence from the banking day following the deposit of the investment deposit funds.

(c) The minimum limit for accepting the opening of Investment Deposit Account in AED or other currencies shall be determined by the Bank from time to time. Except for the investment term of deposits in AED, the Bank is not bound to repay deposits upon liquidation or closure of their accounts in the same currency deposited, but undertakes payment by issuing a demand draft or transfer of the same currency deposited at the exchange rate prevailing as on the day of repayment of the said deposit.

(d) The Bank is not bound to accept the closure of the Investment Deposit Account liquidation and withdrawal of the deposit request from the Customer before the expiry of the Investment Period. In special cases the Bank may allow withdrawal of the deposit prior to the expiry of the investment period in consideration of Takharuj amount to then be agreed upon as may be accepted by the Bank. If the deposit profit was calculated for the month(s) preceding the month in which Takharuj is made and has not yet paid to the Customer, the same shall be paid to the Customer at the time of Takharuj except for such amounts due to the Customer in the Investment Risk Reserves or in the Profit Equalization Reserves as the same shall be included in the Takharuj. The Customer shall, in the requests of liquidation and withdrawal of equal value of AED One (1) million or more, notify the Bank of such requests five (5) working days prior notice of the date of liquidation.

(e) Conditional upon compliance with the aforementioned, the liquidation and withdrawal of the deposit shall only be made in whole and is not acceptable to be partial and is made on the Takharuj basis and the amount paid to the Customer shall be the consideration of Takharuj as agreed upon between the Customer and the Bank.

16.5 Special Types of Mudarabah Accounts

The Bank may add special types of Mudarabah Accounts provided that the terms and conditions of the same shall be specified in the Addendum.

(j) मुदरबा खाताधारक बैंक को निवेश जोखिम आरक्षित की शेष राशि और लाभ समानीकरण आरक्षित की शेष राशि में अपने संबंधित हिस्से की जकात का भुगतान करने और आंतरिक शरिया पर्यवेक्षी समिति द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार इसे वितरित करने के लिए अधिकृत करेंगे।

(k) बैंक अपने विवेक से एक कैलेंडर महीने के दौरान बचत खाते से शाखाओं के माध्यम से स्वीकार्य नकद निकासी की संख्या को प्रतिबंधित/सीमित कर सकता है। यदि निकासी की संख्या बैंक द्वारा निर्दिष्ट लेनदेन की संख्या से अधिक हो जाती है, तो बैंक इस सीमा से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त निकासी लेनदेन के लिए शुल्क अनुसूची में निर्दिष्ट सेवा शुल्क वसूल कर सकता है।

16.4

निवेश जमा खातों की विशेष शर्तें

(a) निवेश जमा खाते पर सामान्य प्रावधान लागू होंगे तथा निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें भी लागू होंगी:

(1) निवेश जमा खाते के संबंध में, ग्राहक एक निश्चित निवेश अवधि (या बैंक द्वारा अनुमोदित ऐसी अन्य अवधियाँ) का चयन करेगा, बशर्ते कि न्यूनतम निश्चित निवेश अवधि एक (1) कैलेंडर माह होगी;

(2) निवेश जमा खाते पर लाभ की गणना अर्जित वास्तविक लाभ के आधार पर की जाएगी तथा ग्राहक को इनमें से किसी एक प्रकार से भुगतान किया जाएगा:

(a) निवेश अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद आने वाली पहली लाभ भुगतान तिथि पर किया जाएगा; या

(b) ग्राहक एवं बैंक के बीच परस्पर सहमत ऐसे निश्चित अंतरालों पर लाभ भुगतान तिथियों पर (यदि ऐसा करार विद्यमान हो); तथा

(3) जब तक ग्राहक द्वारा निवेश अवधि की समाप्ति से पंद्रह (15) बैंकिंग दिवस पूर्व बैंक को अन्यथा निर्देश न दिया जाए, जमा राशि उन्हीं नियमों एवं शर्तों पर स्वतः नवीनीकृत हो जाएगी। ग्राहक निवेश जमा खाता खोलते समय यह विकल्प चुन सकता है कि नवीनीकरण के समय प्राप्त एवं आवंटित लाभ को जमा राशि में जोड़ दिया जाए ताकि उसके साथ निवेशित किया जा सके, तथा वह इसे न जोड़ने का विकल्प भी चुन सकता है।

(b) निवेश जमा के लिए लाभ गणना अवधि का निर्धारण ग्राहक द्वारा निवेश जमा खाता खोलते समय किए गए अनुरोध और बैंक द्वारा स्वीकृत अवधि के अनुसार किया जाएगा, और यह किसी भी स्थिति में निवेश जमा राशि जमा करने के अगले बैंकिंग दिन से शुरू होगी।

(c) एईडी (AED) या अन्य मुद्राओं में निवेश जमा खाता खोलने को स्वीकार करने की न्यूनतम सीमा बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी। एईडी (AED) में जमा राशि की निवेश अवधि को छोड़कर, बैंक खातों के परिसमापन (liquidation) या बंद होने पर जमा की गई उसी मुद्रा में जमा राशि चुकाने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि वह उक्त जमा राशि के पुनर्भुगतान के दिन प्रचलित विनिमय दर पर डिमांड ड्राफ्ट जारी करके या जमा की गई उसी मुद्रा में हस्तांतरण द्वारा भुगतान करने का वचन देता है।

(d) बैंक निवेश अवधि की समाप्ति से पूर्व ग्राहक से निवेश जमा खाते के परिसमापन (liquidation) एवं जमा राशि की निकासी के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। विशेष मामलों में, बैंक निवेश अवधि की समाप्ति से पहले तखारुज राशि के प्रतिफल में जमा राशि की निकासी की अनुमति दे सकता है, जिस पर बैंक की स्वीकृति के अनुसार सहमति बनी हो। यदि तखारुज वाले महीने से पहले के महीने (महीनों) के लिए जमा राशि का लाभ तय किया गया था और अभी तक ग्राहक को भुगतान नहीं किया गया है, तो तखारुज के समय ग्राहक को उसका भुगतान कर दिया जाएगा, सिवाय उन राशियों के जो ग्राहक को निवेश जोखिम आरक्षित या लाभ समानीकरण आरक्षित के तहत देय हैं, क्योंकि इन्हें तखारुज राशि में ही शामिल कर लिया जाएगा। ग्राहक, एक (1) मिलियन एईडी (AED) या उससे अधिक मूल्य के परिसमापन और निकासी के अनुरोधों के मामले में, परिसमापन की तारीख से पांच (5) कार्य दिवस पहले बैंक को इसकी सूचना देगा।

(e) उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन के अधीन, जमा राशि का परिसमापन और निकासी केवल पूर्ण रूप में की जाएगी और इसका आंशिक होना स्वीकार्य नहीं है तथा यह निकासी तखारुज के आधार पर की जाएगी और ग्राहक को भुगतान की जाने वाली राशि तखारुज का प्रतिफल होगी, जैसा कि ग्राहक और बैंक के बीच सहमति बनी हो।

16.5

विशेष प्रकार के मुदरबा खाते

बैंक विशेष प्रकार के मुदरबा खाते जोड़ सकता है, बशर्ते कि उनके नियम और शर्तें अनुबंध में निर्दिष्ट की गई हों।

D. CARD TRANSACTIONS

17. This Clause applies to the use of a Card issued and provided by the Bank to a Cardholder.

17.1 Issuing of Cards

(a) All Cards are the property of the Bank. The Cardholder must immediately return all Cards to the Bank or its Agent upon request by the Bank or its Agent. The Bank reserves the right to withdraw the Card at its absolute discretion and/or terminate the Card with or without prior notice and in whatever circumstances it deems fit.

(b) The Card may be collected by the Cardholder or sent by post or courier to the address notified to the Bank by the Cardholder at the risk of the Cardholder.

1. Upon receipt of the Card the Cardholder shall contact or notify the Bank in the manner specified by the Bank to confirm receipt of and activate the Card.

2. Such confirmation of receipt, signature, use or activation of the Card shall constitute binding and conclusive evidence of the confirmation of the Cardholder to be bound by these Terms and Conditions.

3. In the event that the Cardholder does not wish to be bound by these Terms and Conditions, the Cardholder shall cut the Card in half and return both halves to the Bank

4. The Card is not transferable and shall be used exclusively by the Cardholder and the Cardholder agrees not to disclose the PIN, TIN or SMS PIN to any third party. The Card may not be pledged by the Cardholder as security for any purpose whatsoever.

(c) The Bank shall not be liable for any circumstances affecting the use of the Card including but not limited to:

(1) the failure of any merchant to accept or honor a Card;

(2) the manner in which the refusal to accept the Card is communicated;

(3) any machine, data processing system or transaction link malfunction,

strike or dispute relating to the transfer of funds, provision of information or the goods or services purchased;

(4) limitation of funds available through an ATM; or

(5) the Bank declining to approve any Financial Transaction or purchase transaction which is proved to be contradicting or is repugnant to the rules and principles of Islamic Shari'a.

(d) The Cardholder shall only use the Card to pay for purchases or services that are acceptable as per the rules and principles of Islamic Shari'a. The Cardholder is aware that certain purchases of goods or services, such as alcohol or the like, dealing in pork and pork related products, gambling, pornography, firearms or other illegal materials or services, are prohibited under the rules and principles of Islamic Shari'a. It is the Cardholder's responsibility to ensure that the Card is utilized to pay for goods and services which are not contrary, offensive or repugnant to the rules and principles of Islamic Shari'a.

(e) The Cardholder accepts that the issue of the Cards by the Bank and the maintenance of the Account is governed by the rules and regulations of the Scheme and in the event of any dispute, a decision taken under the Scheme shall be final unless the Cardholder proves the contrary.

(f) The Bank may at any time disclose details of the Cardholder or its Account to any Agent of the Bank for the purposes of processing a Card transaction or otherwise fulfilling the Bank's obligations with respect to the Scheme.

(g) Cardholders shall be jointly and severally liable to the Bank under these Terms and Conditions if the Account is established in two or more names or if the Card is issued to two or more persons.

17.2 Use of Card, PIN and TPIN

(a) The Bank will provide a PIN and TIN to be used in conjunction with the Card when effecting a transaction at an ATM or by Phone-banking. The Cardholder must ensure that:

(1) all Cards are immediately signed using a ballpoint pen on receipt by the appropriate Cardholder;

D. कार्ड लेनदेन

17. यह खंड बैंक द्वारा किसी कार्डधारक को जारी और प्रदान किए गए कार्ड के उपयोग पर लागू होता है।

17.1 कार्ड जारी करना

(a) सभी कार्ड बैंक की संपत्ति हैं। बैंक या उसके एजेंट द्वारा अनुरोध किए जाने पर कार्डधारक को तुरंत सभी कार्ड बैंक या उसके एजेंट को वापस करने होंगे। बैंक अपने पूर्ण विवेक से कार्ड को वापस लेने और/या बिना किसी पूर्व सूचना के और जिन भी परिस्थितियों में वह उचित समझे, कार्ड को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(b) कार्ड कार्डधारक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है या कार्डधारक द्वारा बैंक को सूचित पते पर डाक या कूरियर द्वारा कार्डधारक के जोखिम पर भेजा जा सकता है।

1. कार्ड प्राप्त होने पर कार्डधारक कार्ड की प्राप्ति की पुष्टि करने और उसे सक्रिय करने के लिए बैंक द्वारा निर्दिष्ट तरीके से बैंक से संपर्क करेगा या उसे सूचित करेगा।

2. कार्ड की प्राप्ति की ऐसी पुष्टि, हस्ताक्षर, उपयोग या सक्रियण (activation) इन नियमों और शर्तों से बाध्य होने के लिए कार्डधारक की सहमति का एक बाध्यकारी और निर्णायक प्रमाण माना जाएगा।

3. यदि कार्डधारक इन नियमों एवं शर्तों से बाध्य नहीं होना चाहता है, तो कार्डधारक कार्ड को बीच से काट देगा और दोनों हिस्सों को बैंक को वापस कर देगा

4. कार्ड गैर-हस्तांतरणीय (not transferable) है और इसका उपयोग विशेष रूप से केवल कार्डधारक द्वारा किया जाएगा और कार्डधारक पिन, टिन या एसएमएस पिन को किसी तृतीय पक्ष को प्रकट न करने के लिए सहमत होता है। कार्डधारक द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए सुरक्षा (security) के रूप में कार्ड को गिरवी नहीं रखा जा सकता है।

(c) बैंक कार्ड के उपयोग को प्रभावित करने वाली किसी भी परिस्थिति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसमें शामिल हैं परंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

(1) किसी व्यापारी द्वारा कार्ड को स्वीकार करने या उसका सम्मान करने में विफलता;

(2) वह तरीका जिससे कार्ड को स्वीकार करने से इनकार करने की बात सूचित की गई हो;

(3) किसी मशीन, डेटा प्रोसेसिंग प्रणाली या लेनदेन लिंक की खराबी, धनराशि के स्थानांतरण, जानकारी के प्रावधान या खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं से संबंधित विवाद;

(4) एटीएम के माध्यम से उपलब्ध धनराशि की सीमा; या

(5) बैंक द्वारा किसी वित्तीय लेनदेन या खरीद लेनदेन को मंजूरी देने से इनकार करना जो इस्लामिक शरिया के नियमों और सिद्धांतों के विपरीत या प्रतिकूल सिद्ध होता हो।

(d) कार्डधारक कार्ड का उपयोग केवल उन खरीदों या सेवाओं के भुगतान के लिए करेगा जो इस्लामिक शरीयत के नियमों और सिद्धांतों के अनुसार स्वीकार्य हैं। कार्डधारक इस बात से अवगत है कि कुछ वस्तुओं या सेवाओं की खरीद, जैसे कि शराब या इसी तरह के पेय, सूअर का मांस और सूअर के मांस से संबंधित उत्पादों का व्यापार, जुआ, अश्लीलता (pornography), आग्नेयास्त्र (firearms) या अन्य अवैध सामग्रियां या सेवाएं, इस्लामिक शरिया के नियमों और सिद्धांतों के तहत प्रतिबंधित (हराम) हैं। यह कार्डधारक की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि कार्ड का उपयोग उन वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए किया जाए जो इस्लामिक शरिया के नियमों और सिद्धांतों के विपरीत, अपमानजनक या प्रतिकूल न हों।

(e) कार्डधारक स्वीकार करता है कि बैंक द्वारा कार्ड जारी करना और खाते का रखरखाव योजना के नियमों और विनियमों द्वारा शासित होता है और किसी भी विवाद की स्थिति में, योजना के तहत लिया गया निर्णय अंतिम होगा, जब तक कि कार्डधारक इसके विपरीत प्रमाण न दे।

(f) बैंक किसी भी समय कार्डधारक या उसके खाते के विवरण को कार्ड लेनदेन को संसाधित करने या अन्यथा योजना के संबंध में बैंक के दायित्वों को पूरा करने के प्रयोजनों के लिए बैंक के किसी भी एजेंट को प्रकट (disclose) कर सकता है।

(g) यदि खाता दो या अधिक नामों से स्थापित किया गया है या यदि कार्ड दो या अधिक व्यक्तियों को जारी किया गया है, तो कार्डधारक इन नियमों एवं शर्तों के तहत बैंक के प्रति संयुक्त एवं पृथक् रूप से उत्तरदायी होंगे।

17.2 कार्ड, पिन (PIN) और टी-पिन (TPIN) का उपयोग

(a) बैंक एटीएम पर या फोन-बैंकिंग द्वारा लेनदेन करते समय कार्ड के साथ उपयोग किए जाने के लिए एक पिन और टिन प्रदान करेगा। कार्डधारक को यह सुनिश्चित करना होगा कि:

(1) संबंधित कार्डधारक द्वारा कार्ड प्राप्त होने पर तुरंत उस पर बॉलपॉइंट पेन से हस्ताक्षर किए जाएं;

- (2) all Cards are kept secure at all times;
- (3) the Cardholder memorises the PIN/TPIN issued for the Card and Phone-banking and then immediately destroys the PIN/TPIN notification slip;
- (4) the PIN and TPIN are not made known to any other person and to change them regularly;
- (5) when the Cardholder changes the PIN/TPIN they do not include any four numbers in sequence from the numbers printed on the front or reverse of the Card;
- (6) Cards are not used before or after the validity period stated on the Card or after any notification of cancellation or withdrawal of the Card by the Bank or its Agent; and
- (7) the Bank's record of any transaction effected in conjunction with a PIN or TPIN shall be binding on the Cardholder as to its consequence unless the Cardholder proves the contrary to what is mentioned in the records.

(b) The Bank reserves the right at all times (with the settlement of the consequences on the fees collected for the services, if any) to:

- (1) refuse to authorise any Purchase or Cash Withdrawal;
- (2) cancel or suspend the right to use any Card, PIN or TPIN in respect of all or specific functions or transactions; and
- (3) refuse to renew or replace any Card.

(c) The Bank shall not be liable to the Cardholder for any loss or damage arising from or as a result of the Bank exercising any of its rights under these Terms and Conditions.

17.3 Use of Automated Teller Machines (ATMs)

(a) The Cardholder shall be liable for all ATM transactions using the Card whether or not processed with the Cardholder's knowledge or authority (except after written notice of loss has been received and acknowledged by the Bank).

(b) In other cases than the Bank's negligence, infringement or otherwise violation of these Terms and Conditions, the Bank shall not be liable for any loss or damage where the Cardholder uses an ATM or the Phonebanking to transfer funds between Accounts, pay utility organisations or any other account or institution which maintains an arrangement with the Bank. The Cardholder shall be solely responsible and liable for:

- (1) providing the Bank with the correct details for the funds transfer, any user/ Customer/reference number and any subsequent changes in a form prescribed by the Bank; and
- (2) Settling disputes of any nature with the Beneficiary.

(c) If a funds transfer or payment request is made by the Cardholder after the Bank's end of day processing time the request shall be processed on the next Banking Day.

(d) If a Cardholder deposits an envelope or cheque in the ATM, they shall be deemed to have been received by the Bank for processing on the next Banking Day.

(e) The Bank may limit total Cash Withdrawals through ATMs from time to time during any period and advise the Customer accordingly.

17.4 Card Related Account

The Bank shall debit to the Cardholder's Account the amount of each funds transfer transaction, purchase or Cash Withdrawal. The Bank may be contacted by a merchant or a person acting on its or the merchant's behalf to confirm that the Bank will authorize a proposed Purchase or Cash Withdrawal. Purchases or Cash Withdrawals which are authorised by the Bank are treated as having been debited to the Account on the date of authorisation and will immediately reduce the credit available on the Account by the amount of the Purchase or Cash Withdrawal.

17.5 Foreign Currency Transactions

The amount of any Purchase or Cash Withdrawal in a currency other than in the Card billing currency shall be converted into the Card billing

(2) सभी कार्ड हर समय सुरक्षित रखे जाएंगे;

(3) कार्डधारक कार्ड और फोन-बैंकिंग के लिए जारी किए गए पिन/टी-पिन को याद कर ले और फिर तुरंत पिन/टी-पिन सूचना पर्ची को नष्ट कर दे;

(4) पिन और टी-पिन किसी अन्य व्यक्ति को न बताए जाएं और उन्हें नियमित रूप से बदला जाए;

(5) जब कार्डधारक पिन/टी-पिन बदले तो उसमें कार्ड के सामने या पीछे मुद्रित संख्याओं में से क्रम में कोई चार संख्याएं शामिल न हों;

(6) कार्ड पर उल्लिखित वैधता अवधि से पहले या बाद में, या बैंक या उसके एजेंट द्वारा कार्ड को रद्द करने या वापस लेने की किसी भी अधिसूचना के बाद कार्ड का उपयोग न किया जाए; और

(7) पिन या टी-पिन के संयोजन के साथ किए गए किसी भी लेनदेन का बैंक का रिकॉर्ड अपने परिणाम के रूप में कार्डधारक पर बाध्यकारी होगा, जब तक कि कार्डधारक रिकॉर्ड में उल्लिखित बातों के विपरीत साबित न कर दे।

(b) बैंक के पास हर समय यह अधिकार सुरक्षित है (सेवाओं के लिए एकत्र किए गए शुल्कों पर होने वाले परिणामों के निपटान के साथ, यदि कोई हो) कि वह:

- (1) किसी भी खरीद या नकद निकासी को अधिकृत करने से इनकार कर दे;
- (2) सभी या विशिष्ट कार्यों या लेनदेन के संबंध में किसी भी कार्ड, पिन या टी-पिन के उपयोग के अधिकार को रद्द या निलंबित कर दे; और
- (3) किसी भी कार्ड को नवीनीकृत या प्रतिस्थापित करने से इनकार कर दे।

(c) बैंक इन नियम एवं शर्तों के तहत अपने किसी भी अधिकार का प्रयोग करने से या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए कार्डधारक के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

17.3 स्वचालित टेलर मशीनों (ATMs) का उपयोग

(a) कार्डधारक कार्ड का उपयोग करके किए गए सभी एटीएम लेनदेन के लिए उत्तरदायी होगा, चाहे वे कार्डधारक की जानकारी या अधिकार से संसाधित किए गए हों या नहीं (हानि की लिखित सूचना बैंक द्वारा प्राप्त और स्वीकार किए जाने के बाद को छोड़कर)।

(b) बैंक की लापरवाही, उल्लंघन या इन नियमों और शर्तों के उल्लंघन के मामलों के अलावा, बैंक किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जहाँ कार्डधारक खातों के बीच धन हस्तांतरित करने, उपयोगिता संगठनों (बिल भुगतान) या बैंक के साथ व्यवस्था रखने वाले किसी अन्य खाते या संस्थान को भुगतान करने के लिए एटीएम या फोन-बैंकिंग का उपयोग करता है। कार्डधारक निम्नलिखित के लिए एकमात्र रूप से जिम्मेदार और उत्तरदायी होगा:

- (1) बैंक को धन राशि हस्तांतरण के लिए सही विवरण, कोई भी उपयोगकर्ता/ग्राहक/संदर्भ संख्या और बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में कोई भी बाद के परिवर्तन प्रदान करना; और
- (2) लाभार्थी के साथ किसी भी प्रकार के विवादों का निपटान करना।

(c) यदि धन राशि हस्तांतरण या भुगतान अनुरोध कार्डधारक द्वारा बैंक के दिन-समाप्ति प्रसंस्करण समय के बाद किया जाता है तो अनुरोध अगले बैंकिंग दिवस पर संसाधित किया जाएगा।

(d) यदि कार्डधारक एटीएम में कोई लिफाफा या चेक जमा करता है, तो यह माना जाएगा कि वे बैंक द्वारा प्रसंस्करण हेतु अगले बैंकिंग दिवस पर प्राप्त किए गए हैं।

(e) बैंक किसी भी अवधि के दौरान समय-समय पर एटीएम के माध्यम से कुल नकद निकासी को सीमित कर सकता है और ग्राहक को तदनुसार सूचित कर सकता है।

17.4 कार्ड से संबंधित खाता

बैंक प्रत्येक धन हस्तांतरण लेनदेन, खरीद या नकद निकासी की राशि को कार्डधारक के खाते से डेबिट करेगा। कोई व्यापारी या उसकी ओर से कार्य करने वाला व्यक्ति प्रस्तावित खरीद या नकद निकासी को बैंक द्वारा अधिकृत किए जाने की पुष्टि करने के लिए बैंक से संपर्क कर सकता है।

बैंक द्वारा अधिकृत खरीदारियों या नकद निकासियों को प्रमाणीकरण की तारीख पर खाते से डेबिट किया गया माना जाता है और यह तुरंत खरीद या नकद निकासी की राशि से खाते पर उपलब्ध क्रेडिट (जमा सीमा) को कम कर देगा।

17.5 विदेशी मुद्रा लेनदेन

कार्ड बिलिंग मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा में किसी भी खरीद या नकद निकासी की राशि कार्ड बिलिंग

currency at the Prevailing Exchange Rate including an additional fee as determined and announced by the Bank in the Schedule of Fees.

17.6 Card Related Payments

(a) The Cardholder shall ensure that sufficient funds are available in the Account, whether a credit balance or an overdraft limit agreed by the Bank, for payment of funds transfer, Purchases and Cash Withdrawals at the time of a transaction using the Card. If for any reason the Account is overdrawn by the use of the Card, the Customer shall be responsible for immediately making up the deficit by a direct payment or transfer of funds from any other Account maintained with the Bank. Failure to comply with this condition shall entitle the Bank to cancel the Card and/or make a transfer on the Customer's behalf (if more than one Account is maintained with the Bank).

(b) The Cardholder shall verify all transactions appearing on a Statement of Account and, in the event of any discrepancy or dispute advise the Bank in writing thereof within thirty (30) banking days of the Statement of Account date and proves such entry to be incorrect. If no such notice is received by the Bank, all Card transactions shall be deemed to be confirmed by the Cardholder as correct. If the disputed transaction of Purchase turns out to be genuine, the Cardholder shall pay the amount set out in the relevant Schedule of Fees together with any actual expenses incurred by the Bank in the investigation of such disputed transaction or Purchase. Without prejudice to the foregoing, the Cardholder shall immediately report to the Bank if there is reason to suspect any fraudulent, illegal or suspicious activity with regard to the Card and the Bank shall, upon receipt of such report, be entitled to temporarily suspend the usage of the Card until further notification to the Cardholder.

(c) Upon the Cardholder's request, copies of transaction vouchers shall be provided by the Bank ninety (90) banking days after the transaction date (the Cardholder shall undertake to pay for the Bank's applicable fees and charges specified in the Schedule of Fees).

(d) The Bank's records shall be considered as conclusive proof of the correctness of a funds transfer, Purchase or Cash Withdrawal transaction unless the Cardholder proves the contrary.

(e) The Bank shall credit the Account with the amount of any refund due to the Cardholder on receipt of a properly issued refund voucher or other verification of the refund by a merchant in a form acceptable to the Bank. No claim by a Cardholder against a third party may be the subject of a defense or counterclaim against the Bank.

17.7 Additional Cards

(a) Upon the written request of a Cardholder who is duly and properly authorised within the Account mandate, the Bank may supply an additional supplementary Card and PIN to a Supplementary Nominee. These Terms and Conditions shall apply to the use of such a Card and PIN, and the Cardholder shall be liable for its use as if the additional Card was used by him.

(b) The undertakings, liabilities and obligations of the Cardholder shall not be affected and in any way by the issue of a supplementary Card and by any dispute or counterclaim the Cardholder and Supplementary Nominee may have against each other. The Cardholder shall indemnify the Bank against any actual loss, damage, liability, costs and expenses whether legal or otherwise incurred by the Bank by reason of any legal disability or incapacity of the Supplementary Nominee or any breach of these Terms and Conditions by the Supplementary Nominee.

17.8 Card Charges

The Bank reserves the right to charge the Cardholder with the fees and charges specified in the announced Schedule of Fees upon request to obtain the Card or the Service. This may include, but is not limited to:

- (1) provision of a replacement Card;
- (2) provision of a Cash Withdrawal (Not a borrowing from the Bank);
- (3) a request for a copy of a transaction voucher which is subsequently confirmed as a bona fide transaction; and
- (4) a request for a duplicate copy of a statement page.

17.9 Lost and Stolen Cards

(a) The Bank may issue a PIN and/or TIN for the Cardholder to be used in conjunction with the Card when effecting a transaction at an ATM or by Phone-banking. The Cardholder agrees that the PIN/TPIN may be sent by

मुद्रा में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित की जाएगी, जिसमें बैंक द्वारा शुल्क अनुसूची में निर्धारित और घोषित एक अतिरिक्त शुल्क शामिल होगा।

17.6 काई से संबंधित भुगतान

(a) काईधारक यह सुनिश्चित करेगा कि काई का उपयोग करते हुए लेनदेन के समय धनराशि हस्तांतरण, खरीद और नकद निकासी के भुगतान के लिए खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हों, चाहे वह जमा शेष हो या बैंक द्वारा सहमत ओवरड्राफ्ट सीमा हो। यदि किसी भी कारण से काई के उपयोग द्वारा खाते से अधिक निकासी (overdrawn) हो जाती है, तो ग्राहक सीधे भुगतान करके या बैंक में रखे किसी अन्य खाते से धनराशि हस्तांतरण करके इस कमी (deficit) को तुरंत पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा। इस शर्त का अनुपालन न करने पर बैंक काई को रद्द करने और/या ग्राहक की ओर से धनराशि हस्तांतरण करने (यदि बैंक के पास एक से अधिक खाते बनाए रखे गए हों) का हकदार होगा।

(b) काईधारक खाता विवरण पर दिखाई देने वाले सभी लेनदेनों की पुष्टि करेगा और, किसी विसंगति या विवाद की स्थिति में खाता विवरण की तिथि के तीस (30) बैंकिंग दिनों के भीतर बैंक को लिखित रूप में सूचित करेगा और यह सिद्ध करेगा कि ऐसी प्रविष्टि गलत है। यदि बैंक को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो सभी काई लेनदेनों को काईधारक द्वारा सही रूप में पुष्ट माना जाएगा। यदि खरीद का विवादित लेनदेन वास्तविक (genuine) निकलता है, तो काईधारक संबंधित शुल्क अनुसूची में निर्धारित राशि का भुगतान करेगा, साथ ही ऐसे विवादित लेनदेन या खरीद की जाँच में बैंक द्वारा उठाए गए किसी भी वास्तविक खर्च का भी भुगतान करेगा। यदि काईधारक के पास काई के संबंध में किसी भी धोखाधड़ी, अवैध या संदिग्ध गतिविधि का संदेह करने का कारण है, तो वह तुरंत बैंक को सूचना देगा और बैंक, ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, काईधारक को अगली अधिसूचना तक काई के उपयोग को अस्थायी रूप से निलंबित करने का हकदार होगा।

(c) काईधारक के अनुरोध पर, लेनदेन की तिथि के नब्बे (90) बैंकिंग दिनों के बाद बैंक द्वारा लेनदेन वाउचरों की प्रतियां प्रदान की जाएंगी (काईधारक शुल्क अनुसूची में निर्दिष्ट बैंक के लागू शुल्कों और प्रभावों का भुगतान करने का वचन देगा)।

(d) बैंक के अभिलेखों को धनराशि हस्तांतरण, खरीद या नकद निकासी लेनदेन की शुद्धता के निर्णायक प्रमाण के रूप में माना जाएगा, जब तक कि काईधारक इसके विपरीत सिद्ध न कर दे।

(e) बैंक किसी मर्चेन्ट (व्यापारी) द्वारा स्वीकार्य रूप में उचित रूप से जारी रिफंड वाउचर या रिफंड के अन्य सत्यापन प्राप्त होने पर काईधारक को देय किसी भी रिफंड की राशि खाते में क्रेडिट (जमा) कर देगा। किसी तृतीय पक्ष के विरुद्ध काईधारक का कोई दावा बैंक के विरुद्ध बचाव या प्रतिदावे का विषय नहीं हो सकता।

17.7 अतिरिक्त काई

(a) खाता अधिदेश (Account mandate) के अंतर्गत विधिवत और उचित रूप से प्राधिकृत काईधारक के लिखित अनुरोध पर, बैंक किसी अनुपूरक नामांकित व्यक्ति को एक अतिरिक्त अनुपूरक काई और पिन प्रदान कर सकता है। ये नियम और शर्तें ऐसे काई और पिन के उपयोग पर लागू होंगी, और काईधारक इसके उपयोग के लिए उसी तरह उत्तरदायी होगा जैसे कि अतिरिक्त काई का उपयोग उसने स्वयं किया हो।

(b) अनुपूरक काई जारी करने से और काईधारक तथा अनुपूरक नामांकित व्यक्ति के बीच एक-दूसरे के खिलाफ किसी भी विवाद या प्रतिदावे से काईधारक के वचन, देनदारियां और दायित्व किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होंगे। काईधारक अनुपूरक नामांकित व्यक्ति की किसी भी कानूनी अक्षमता या इन नियमों और शर्तों के उल्लंघन के कारण बैंक द्वारा किए गए किसी भी वास्तविक नुकसान, क्षति, दायित्व, लागत और खर्चों (चाहे कानूनी हो या अन्यथा) के खिलाफ बैंक को क्षतिमुक्त रखेगा।

17.8 काई प्रभार

बैंक काई या सेवा प्राप्त करने के अनुरोध पर घोषित शुल्क अनुसूची में निर्दिष्ट शुल्कों और प्रभावों को काईधारक से वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, किन्तु यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- (1) प्रतिस्थापन काई का प्रावधान;
- (2) नकद निकासी का प्रावधान (बैंक से ऋण नहीं);
- (3) किसी लेनदेन वाउचर की प्रति के लिए अनुरोध जिसे बाद में एक वास्तविक लेनदेन के रूप में पुष्टि की जाती है; और
- (4) किसी विवरण पृष्ठ की द्वितीय प्रति के लिए अनुरोध।

17.9 खोए और चोरी हुए काई

(a) बैंक काईधारक के लिए एक पिन और/या टिन जारी कर सकता है जिसका उपयोग एटीएम पर या फोन-बैंकिंग द्वारा लेनदेन करते समय काई के साथ किया जाना है। काईधारक सहमत होता है कि पिन/टी-पिन इसके द्वारा भेजा जा सकता है

post to him/her at his/her own risk. The Cardholder shall be fully liable to the Bank for all Card Transactions made with the PIN/TPIN whether with or without the knowledge of the Cardholder

(b) The Cardholder shall use all reasonable precautions to prevent the loss or theft of the Card and shall not disclose the PIN or TPIN to any party.

(c) If any Card is lost or stolen or if the PIN or TPIN becomes known to any person other than the Cardholder or Supplementary Nominee or the Card or the PIN or TPIN is for any other reason liable to be misused, the Cardholder must, as soon as possible, notify the Bank without delay and subsequently file a police report at the nearest police station where such loss or theft or disclosure occurred or was discovered. In such circumstances, the Bank shall be entitled to temporarily suspend the use of the Card until further notice to the Cardholder. If a Card is subsequently found it must not be used and instead must be returned to the Bank immediately cut in two across the magnetic stripe.

(d) Without prejudice to the Cardholders' obligation to report the lost, stolen or misused Card, the Cardholder is required to notify the Bank in writing of any loss or theft of the Card, TPIN or PIN immediately following such loss or theft. The Bank shall in good faith take the necessary measures to prevent use of a Card on receipt of such notification. However, the Bank shall assume no responsibility until it has received such written notice.

(e) The Bank may upon request from the Cardholder issue a replacement for any lost or stolen Card or a new PIN or TIN on these Terms and Conditions or such other terms and conditions that the Bank may deem fit and shall notify the Cardholder of the same upon filling the application.

17.10 Liability for Unauthorised Card Use

(a) The Cardholder shall be liable for any actual losses arising from the use of any Card, TIN or PIN by any unauthorised person before the Bank receives notification of loss or theft of a Card, TPIN or PIN in accordance with this Clause 17. The Cardholder shall be liable for all actual damages to the Bank arising from the use of any Card by any person obtaining possession of that Card with the Cardholder's consent or where a Cardholder has been negligent.

(b) The Cardholder shall assist the Bank or its Agent in the investigation of the loss, theft or possible misuse of a Card, or the disclosure of the PIN or TPIN and the recovery of a Card. The Cardholder consents to the disclosure to Agents of any relevant information concerning the Account in connection with such investigation or recovery.

17.11 Information

(a) The Bank may analyse certain information about the transactions on the Account and may use the information to tell the Cardholder about products, services and benefits which may be appropriate to the Cardholder.

(b) The Bank may monitor and record the Cardholder telephone calls to the Bank or to its Agent. Such telephone recordings shall be the sole property of the Bank.

(c) The Cardholder shall advise the Bank in writing immediately in respect of any change to a Cardholder's name, business and/or home telephone numbers, financial circumstances and the address to which correspondences are sent.

(d) The Cardholder permits the Bank to disclose information concerning the Cardholder including, but not limited to, the Account of the Cardholder to the Bank's employees agent, associates, branches, assignees, agents or other parties authorized by the Bank.

(e) The Customer hereby authorises the Bank to fix a Close Circuit Television (CCTV) camera at its premises to capture and retain the Customer's image (by photo, video recording or other means) and to provide the same to the police, central bank or any other competent authorities at anytime without any approval by or notification to the Customer.

17.12 Additional Features

(a) The Bank may make available additional features to Cardholders subject to such terms and conditions as notified to the Cardholder from time to time.

उसके अपने जोखिम पर उसे डक द्वारा भेजा जा सकता है। कार्डधारक पिन/टी-पिन के साथ किए गए सभी कार्ड लेनदेन के लिए बैंक के प्रति पूरी तरह उत्तरदायी होगा, चाहे वह कार्डधारक की जानकारी में हो या न हो।

(b) कार्डधारक कार्ड के खो जाने या चोरी होने से बचाने के लिए सभी उचित सावधानियां बरतेगा और किसी भी पक्ष को पिन या टी-पिन प्रकट नहीं करेगा।

(c) यदि कोई कार्ड खो जाता है या चोरी हो जाता है या यदि पिन या टी-पिन कार्डधारक या पूरक नामांकित व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ज्ञात हो जाता है या कार्ड या पिन या टी-पिन का किसी अन्य कारण से दुरुपयोग होने की संभावना है, तो कार्डधारक को जल्द से जल्द बिना किसी देरी के बैंक को सूचित करना होगा और तत्पश्चात निकटतम पुलिस स्टेशन पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज करानी होगी जहां ऐसा नुकसान या चोरी या प्रकटीकरण हुआ या पता चला। ऐसी परिस्थितियों में, बैंक कार्डधारक को अगली सूचना तक कार्ड के उपयोग को अस्थायी रूप से निलंबित करने का हकदार होगा। यदि कोई कार्ड बाद में मिल जाता है तो उसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और इसके बजाय उसे मैग्नेटिक स्ट्रिप के आर-पार दो भागों में काटकर तुरंत बैंक को लौटाया जाना चाहिए।

(d) खोए, चोरी हुए या दुरुपयोग किए गए कार्ड की रिपोर्ट करने के कार्डधारक के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्डधारक को कार्ड, टी-पिन या पिन के खोने या चोरी होने के तुरंत बाद ऐसे नुकसान या चोरी के बारे में बैंक को लिखित रूप में सूचित करना आवश्यक है। बैंक सदभावपूर्वक ऐसी अधिसूचना प्राप्त होने पर कार्ड के उपयोग को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करेगा। तथापि, जब तक बैंक को ऐसी लिखित सूचना प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक बैंक कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

(e) बैंक कार्डधारक के अनुरोध पर किसी भी खोए या चोरी हुए कार्ड के प्रतिस्थापन या इन नियमों और शर्तों पर या ऐसे अन्य नियमों और शर्तों पर जो बैंक उपयुक्त समझे, एक नया पिन या टिन जारी कर सकता है और आवेदन भरने पर कार्डधारक को इसकी सूचना देगा।

17.10 अनधिकृत कार्ड उपयोग के लिए देयता

(a) इस खंड 17 के अनुसार बैंक को कार्ड, टी-पिन या पिन के खो जाने या चोरी होने की सूचना मिलने से पहले, किसी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा उनके उपयोग से होने वाले किसी भी वास्तविक नुकसान के लिए कार्डधारक उत्तरदायी होगा। कार्डधारक की सहमति से उस कार्ड का प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा या जहां कार्डधारक लापरवाह रहा हो, किसी भी कार्ड के उपयोग से बैंक को होने वाली सभी वास्तविक क्षतियों के लिए कार्डधारक उत्तरदायी होगा।

(b) कार्डधारक कार्ड के खोने, चोरी होने या संभावित दुरुपयोग, या पिन या टी-पिन के प्रकटीकरण की जांच और कार्ड की रिकवरी (वापसी) में बैंक या उसके एजेंट की सहायता करेगा। कार्डधारक ऐसी जांच या रिकवरी (वापसी) के संबंध में खाते से संबंधित किसी भी प्रासंगिक जानकारी को एजेंटों के समक्ष प्रकट करने की सहमति देता है।

17.11 जानकारी

(a) बैंक खाते में होने वाले लेनदेन के बारे में कुछ जानकारी का विश्लेषण कर सकता है और कार्डधारक को उन उत्पादों, सेवाओं और लाभों के बारे में बताने के लिए इस जानकारी का उपयोग कर सकता है जो कार्डधारक के लिए उपयुक्त हो सकते हैं।

(b) बैंक कार्डधारक के बैंक या उसके एजेंट को किए गए टेलीफोन कॉलों की निगरानी और रिकॉर्ड कर सकता है। ऐसी टेलीफोन रिकॉर्डिंग बैंक की एकमात्र संपत्ति होगी।

(c) कार्डधारक के नाम, व्यवसाय और/या घर के टेलीफोन नंबरों, वित्तीय परिस्थितियों और उस पते में किसी भी बदलाव के संबंध में, जिस पर पत्राचार भेजा जाता है, कार्डधारक तुरंत बैंक को लिखित रूप में सूचित करेगा।

(d) कार्डधारक बैंक को अपने कर्मचारियों, एजेंट, सहयोगियों, शाखाओं, समनुदेशितियों (assignees), एजेंटों या बैंक द्वारा अधिकृत अन्य पक्षों को कार्डधारक के खाते सहित (लेकिन इसी तक सीमित नहीं) कार्डधारक से संबंधित जानकारी प्रकट करने की अनुमति देता है।

(e) ग्राहक इसके द्वारा बैंक को अपने परिसर में एक क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (CCTV) कैमरा लगाने के लिए अधिकृत करता है ताकि ग्राहक की छवि (फोटो, वीडियो रिकॉर्डिंग या अन्य माध्यमों से) को कैप्चर और रिटेन (सुरक्षित) किया जा सके और ग्राहक की किसी भी मंजूरी या अधिसूचना के बिना किसी भी समय इसे पुलिस, केंद्रीय बैंक या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारियों को प्रदान किया जा सके।

17.12 अतिरिक्त विशेषताएं

(a) बैंक समय-समय पर कार्डधारक को अधिसूचित नियमों और शर्तों के अधीन कार्डधारकों को अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है।

(b) The Bank may replace, remove, amend or vary any or all of the additional features. Any such changes shall be effective upon giving notice to the Cardholder.

17.13 Termination

(a) Either the Bank or the Cardholder may terminate the use or provision of a Card and the Account at any time on written notice to the other party. If either party exercises its right to terminate the use or provision of a Card then all Cards issued in respect of the Account must be returned to the Bank cut in two across the magnetic stripe.

(b) The Account shall be closed only after the full payment of all charges and liabilities under the Account.

(c) The Bank may terminate the Card and Account or demand payment or repayment of the outstanding balance on the Account at any time. Subject to the Bank's rights and powers under these Terms and Conditions, and until such termination takes place, the Bank shall provide renewed Cards to the Cardholder on expiry of the Card from time to time.

(d) In the event of termination by the Bank any outstanding balance in the Account may be set-off by the Bank against any funds, encumbered, assets or securities of the Cardholder that are held by the Bank.

17.14 Indemnity

The Cardholder shall indemnify the Bank against any actual liability, loss, charge, demand, damage, whether direct or indirect, proceedings, costs and expenses whether legal or otherwise which the Bank may incur by reason of infringement of these Terms and Conditions or any breach thereof by the Cardholder. All costs and expense in such regard may be debited to the Account and shall be payable to the Bank by the Cardholder in accordance with these Terms and Conditions.

17.15 General Provisions

(a) The failure or delay by the Bank to insist in any one or more instances upon the strict performance of the any of the provisions of these Terms and Conditions or to exercise any of its rights, powers, or privileges hereunder shall not be construed as a waiver or preclusion of any such provisions or the relinquishment of any such rights, powers or privileges which shall continue in full force and effect and any waiver by the Bank of breach of any of these Terms and Conditions shall not prevent the subsequent enforcement of them and shall not be deemed a waiver of any subsequent breach.

(b) Any notice issued to Cardholders by the Bank as required within these Terms and Conditions shall be served by any means available to the Bank that ensures the delivery of the notice to the Cardholder and as permitted by law.

(c) The Bank reserves the right to determine the priority of Card transactions against cheques presented or any other existing arrangements with the Bank.

17.16 Exclusion of Liability

(a) Except in cases of the Bank's negligence, infringement or otherwise violation of these Terms and Conditions, the Bank shall not be liable for any loss or damage howsoever incurred or suffered by the Cardholder by reason of the Bank or a merchant or other bank or financial institution or any ATM or other party refusing to allow a Card Transaction or accept the Card or the Card number or the PIN/TIN or to extend or provide Cash Withdrawals.

(b) The Bank shall not be responsible for the refusal of any merchant or member institution of Visa/MasterCard International to honor or accept the Card or for any defect or deficiency in the goods or service supplied to the Cardholder by any merchant or, where applicable, for any breach or non-performance by a merchant of Card Transactions.

(c) In the event of any dispute between the Cardholder and any merchant, bank, financial institution or any other person, the Cardholder's liability to the Bank shall not in any way be affected by such dispute or any counterclaim or right of set-off which the Cardholder may have against such merchant, bank or financial institution or person.

(d) The Bank shall not be liable in any way to the Cardholder for any loss or damage of whatever nature due to or arising from any disruption or failure or defect in any ATM or other machine or communication system or facilities or data processing system or transmission link or any industrial or other dispute or anything or cause, whether beyond the control of the Bank.

(b) बैंक किसी भी या सभी अतिरिक्त सुविधाओं को बदल सकता है, हटा सकता है, संशोधित कर सकता है या उनमें भिन्नता ला सकता है। ऐसा कोई भी बदलाव कार्डधारक को नोटिस देने पर प्रभावी होगा।

17.13 समाप्ति

(a) बैंक या कार्डधारक में से कोई भी दूसरे पक्ष को लिखित सूचना देकर किसी भी समय कार्ड और खाते के उपयोग या प्रावधान को समाप्त कर सकता है। यदि कोई भी पक्ष किसी कार्ड के उपयोग या प्रावधान को समाप्त करने के अपने अधिकार का प्रयोग करता है तो खाते के संबंध में जारी किए गए सभी कार्ड को चुंबकीय पट्टी (magnetic stripe) से दो भागों में काटकर बैंक को वापस किया जाना चाहिए।

(b) खाता केवल खाते के तहत सभी शुल्कों और देनदारियों के पूर्ण भुगतान के बाद ही बंद किया जाएगा।

(c) बैंक किसी भी समय कार्ड और खाते को समाप्त कर सकता है या खाते पर बकाया शेष राशि के भुगतान या पुनर्भुगतान की मांग कर सकता है। इन नियमों और शर्तों के अंतर्गत बैंक के अधिकारों और शक्तियों के अधीन, और जब तक ऐसी समाप्ति नहीं हो जाती, बैंक समय-समय पर कार्ड की समाप्ति पर कार्डधारक को नवीनीकृत कार्ड प्रदान करेगा।

(d) बैंक द्वारा समाप्ति की स्थिति में, खाते में किसी भी बकाया शेष राशि का मिलान/प्रतिस्तुलन (set-off) बैंक द्वारा कार्डधारक की किसी भी ऐसी निधि, भारयुक्त संपत्तियों (encumbered assets) या प्रतिभूतियों (securities) के विरुद्ध किया जा सकता है जो बैंक के पास रखी हों।

17.14 क्षतिपूर्ति

कार्डधारक बैंक को किसी भी वास्तविक दायित्व, हानि, प्रभार, मांग, क्षति, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, कार्यवाहियों, लागतों एवं व्ययों के विरुद्ध, चाहे वे विधिक हों या अन्यथा, क्षतिपूर्ति करेगा, जो बैंक को इन नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन या कार्डधारक द्वारा इनके किसी अतिक्रमण के कारण उठाने पड़ सकते हैं। इस संबंध में सभी लागत और खर्च खाते से डेबिट किए जा सकते हैं और इन नियमों और शर्तों के अनुसार कार्डधारक द्वारा बैंक को देय होंगे।

17.15 सामान्य प्रावधान

(a) बैंक द्वारा किसी एक या अधिक अवसरों पर इन नियमों एवं शर्तों के किसी प्रावधान के कठोर पालन पर आग्रह करने या इनके अंतर्गत अपने किसी अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार का प्रयोग करने में विफलता या विलंब को ऐसे किसी प्रावधान के अधित्याग या निवारण अथवा ऐसे किसी अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार के परित्याग के रूप में नहीं समझा जाएगा, जो पूर्ण बल एवं प्रभाव में बने रहेंगे, और बैंक द्वारा इन नियमों एवं शर्तों में से किसी के उल्लंघन का कोई अधित्याग उनके पश्चातवर्ती प्रवर्तन को नहीं रोकेंगा तथा किसी पश्चातवर्ती उल्लंघन का अधित्याग नहीं माना जाएगा।

(b) इन नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार बैंक द्वारा कार्डधारकों को जारी कोई भी नोटिस बैंक को उपलब्ध किसी भी ऐसे माध्यम से तामील किया जाएगा जो कार्डधारक को नोटिस की सुपुर्दगी सुनिश्चित करे तथा जो कानून द्वारा अनुमत हो।

(c) बैंक प्रस्तुत किए गए चेकों या बैंक के साथ किसी अन्य मौजूदा व्यवस्थाओं के विरुद्ध कार्ड लेनदेन की प्राथमिकता निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

17.16 दायित्व का अपवर्जन / छूट

(a) बैंक की लापरवाही, उल्लंघन या इन नियमों और शर्तों के उल्लंघन के मामलों को छोड़कर, बैंक, किसी मर्चेंट (व्यापारी), अन्य बैंक या वित्तीय संस्थान, किसी एटीएम या किसी अन्य पक्ष द्वारा कार्ड लेनदेन की अनुमति देने, कार्ड या कार्ड नंबर या पिन/टिन को स्वीकार करने से इनकार करने, या नकद निकासी की सुविधा देने या प्रदान करने से मना करने के कारण कार्डधारक को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

(b) बैंक किसी व्यापारी या वीजा/मास्टरकार्ड इंटरनेशनल की सदस्य संस्था द्वारा कार्ड का सम्मान करने या स्वीकार करने से इनकार करने के लिए, या किसी व्यापारी द्वारा कार्डधारक को आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवा में किसी दोष या कमी के लिए, या जहाँ लागू हो, किसी व्यापारी द्वारा कार्ड लेनदेनों के किसी उल्लंघन या गैर-निष्पादन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(c) कार्डधारक और किसी भी मर्चेंट, बैंक, वित्तीय संस्थान या किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में, बैंक के प्रति कार्डधारक का दायित्व ऐसे किसी भी विवाद, प्रतिदावे या सेट-ऑफ (प्रतिस्तुलन) के अधिकार से किसी भी तरह प्रभावित नहीं होगा जो कार्डधारक का उस मर्चेंट, बैंक, वित्तीय संस्थान या व्यक्ति के खिलाफ हो सकता है।

(d) बैंक किसी एटीएम या अन्य मशीन या संचार प्रणाली या सुविधाओं या डेटा प्रसंस्करण प्रणाली या ट्रांसमिशन लिंक में किसी व्यवधान या विफलता या दोष या किसी औद्योगिक या अन्य विवाद या किसी वस्तु या अन्य कारण उत्पन्न किसी भी प्रकार की हानि या क्षति के लिए, चाहे वह बैंक के नियंत्रण से परे हो, कार्डधारक के प्रति किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

(e) The Bank shall not be liable in any way to the Cardholder for any loss or damage of whatever nature due to or arising from the use of the Card outside the UAE as long as this is due to a reason that is beyond the Bank's control.

E. PHONEBANKING & MOBILE BANKING

18. The Phone Banking and Mobile Banking shall be subject to the terms and conditions of the Bank attached to the Account Application Form. Accepting of which, is a condition of utilizing these services.

F. INTERNET BANKING

19. The Internet Banking shall be subject to the terms and conditions of the Bank displayed on the Bank's website. Accepting of which, is a condition of utilizing the Internet Banking services.

G. SMS SERVICES

20. The short message services ("SMS") shall be subject to the terms and conditions of the Bank attached to the Account Application Form. Accepting of which, is a condition of utilizing the Internet Banking services.

H. SAFETY DEPOSIT BOXES

21. At its sole discretion, the Bank may render the Safety Deposit Box Service to Customers who wish to keep valuable physical items and documents stored within a secure area in the Bank. This service shall be subject to the terms and conditions of the lease agreement determined by the Bank and to the fees and deposit amount specified in the Schedule of Fees.

I. MISCELLANEOUS

22. Disclosure
- 22.1 The Customer irrevocably agrees that the Bank may at its discretion and for any purpose (including for the purpose of fraud prevention, audit and debt collection, or if required by any competent government or regulatory body) share any information, details or data relating to the Customer and/or the Accounts and/or the Customer's transactions with the Bank or its affiliates or branches or any credit agency or any person who may enter into contractual relations with the Bank as the Bank may consider appropriate without notice to the Customer
- 22.2 The Customer irrevocably agrees that the Bank may transfer or sub-contract the provision of any part of the services provided to the Customer to any third party. The Bank shall remain liable to the Customer for any actual damages incurred or suffered by the Customer as a result of the negligence, breach or default of any such third party.
- 22.3 In case of the death of the Customer, the installments of any credit facility extended to the Customer (if any) shall become immediately due and payable and the Account shall be frozen and no amounts in the name of the deceased Customer shall be released unless a formal order by the competent court is received by the Bank to this effect, and the Bank shall only be responsible therefore from the date on which it has been notified about the death. The Bank will continue to collect any and all relevant installments, contributions, charges, etc. till the date it is notified about the Death.
- 22.4 The Bank may open such Accounts (as may be approved by the Bank from time to time in accordance with the Central Bank rules and regulations and applicable federal and local laws) for minors under the signature of his natural guardian or legal guardian until the minor is the age of majority, whereupon such minor shall be entitled to operate the relevant Account in his own right without the need for any consent of the natural guardian or legal guardian or any party.
- 22.5 The Bank shall keep duplicate of the correspondences, telegraphs and invoices sent or issued in respect of the financial transactions and shall also keep all incoming correspondences, telegraphs, invoices and other documents relating to the financial transactions including the original cheques that may be required to be kept and maintained by the Bank in accordance with the banking common practices and the same shall be kept in such organized manner that facilitates auditing every 5 years from the date of issuance of incoming thereof. After the above date, the Customer shall authorize the Bank to destroy the said documents without any liability on the part of the Bank.

(e) जब तक यूएई (UAE) के बाहर कार्ड के उपयोग के कारण या उससे उत्पन्न होने वाला कोई भी नुकसान या क्षति बैंक के नियंत्रण से बाहर के कारणों से होती है, तब तक बैंक उसके लिए कार्डधारक के प्रति किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

E. फोन बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग

18. फोन बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग, खाता आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न बैंक के नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। इन सेवाओं का उपयोग करने के लिए इन्हें स्वीकार करना एक अनिवार्य शर्त है।

F. इंटरनेट बैंकिंग

19. इंटरनेट बैंकिंग, बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित बैंक के नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने के लिए इन्हें स्वीकार करना एक अनिवार्य शर्त है।

G. एसएमएस सेवाएं

20. लघु संदेश सेवाएं ("SMS"), खाता आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न बैंक के नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने के लिए इन्हें स्वीकार करना एक अनिवार्य शर्त है।

H. सुरक्षा जमा बॉक्स (तिजोरियां / लॉकर)

21. बैंक अपने एकमात्र विवेकाधिकार पर, सुरक्षा जमा बॉक्स सेवा उन ग्राहकों को प्रदान कर सकता है जो मूल्यवान भौतिक वस्तुओं एवं दस्तावेजों को बैंक के भीतर किसी सुरक्षित क्षेत्र में संग्रहीत रखना चाहते हैं। यह सेवा बैंक द्वारा निर्धारित पट्टा समझौते (lease agreement) के नियमों और शर्तों तथा शुल्क अनुसूची में निर्दिष्ट शुल्कों और जमा राशि के अधीन होगी।

I. विविध

22. प्रकटीकरण
- 22.1 ग्राहक अपरिवर्तनीय रूप से सहमत होता है कि बैंक अपने विवेकाधिकार पर तथा किसी भी प्रयोजन हेतु (जिसमें धोखाधड़ी की रोकथाम, लेखापरीक्षा एवं ऋण वसूली के प्रयोजन, या यदि किसी सक्षम सरकारी या नियामक निकाय द्वारा आवश्यक हो, शामिल हैं) ग्राहक और/या खातों और/या ग्राहक के लेनदेनों से संबंधित कोई भी जानकारी, विवरण या डेटा, बैंक द्वारा उपयुक्त समझे जाने अनुसार, ग्राहक को सूचना दिए बिना, बैंक या उसकी सहयोगी संस्थाओं या शाखाओं या किसी ऋण एजेंसी या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा कर सकता है जो बैंक के साथ संविदात्मक संबंधों में प्रवेश कर सकता है।
- 22.2 ग्राहक अपरिवर्तनीय रूप से सहमत होता है कि बैंक ग्राहक को प्रदान की गई सेवाओं के किसी भी भाग के प्रावधान को किसी तृतीय पक्ष को हस्तांतरित या उप-अनुबंधित कर सकता है। ऐसे किसी तीसरे पक्ष की लापरवाही, उल्लंघन या चूक के परिणामस्वरूप ग्राहक को होने वाले या भुगतने पड़ने वाले किसी भी वास्तविक नुकसान के लिए बैंक ग्राहक के प्रति उत्तरदायी रहेगा।
- 22.3 ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में, ग्राहक को प्रदान की गई किसी ऋण सुविधा की किस्तें (यदि कोई हों) तुरंत देय हो जाएंगी तथा खाता फ्रीज कर दिया जाएगा और मृतक ग्राहक के नाम से कोई राशि तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि बैंक को इस आशय का सक्षम न्यायालय द्वारा औपचारिक आदेश प्राप्त न हो जाए, और बैंक केवल उसी तारीख से इसके लिए जिम्मेदार होगा जिस तारीख को उसे मृत्यु के बारे में सूचित किया गया है। बैंक मृत्यु के बारे में सूचित किए जाने की तिथि तक सभी संबंधित किस्तें, अंशदान, शुल्क आदि एकत्र करना जारी रखेगा।
- 22.4 बैंक अवयस्कों के लिए ऐसे खाते (जैसा कि केंद्रीय बैंक के नियमों एवं विनियमों तथा लागू संघीय और स्थानीय कानूनों के अनुसार बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया जाए) उनके प्राकृतिक अभिभावक या कानूनी अभिभावक के हस्ताक्षर के तहत तब तक खोल सकता है जब तक अवयस्क वयस्कता की आयु का न हो जाए, जिसके बाद ऐसा अवयस्क प्राकृतिक अभिभावक या कानूनी अभिभावक या किसी पक्ष की किसी सहमति की आवश्यकता के बिना अपने स्वयं के अधिकार में संबंधित खाते को संचालित करने का हकदार होगा।
- 22.5 बैंक वित्तीय लेनदेन के संबंध में भेजे या जारी किए गए पत्राचार, टेलीग्राफ और चालानों की प्रतिलिपि रखेगा और वित्तीय लेनदेन से संबंधित सभी आवक पत्राचार, टेलीग्राफ, चालान और अन्य दस्तावेज भी रखेगा, जिसमें मूल चेक शामिल हैं जिन्हें बैंकिंग सामान्य प्रथाओं के अनुसार बैंक द्वारा रखना और बनाए रखना आवश्यक हो सकता है, और इन्हें इस तरह के व्यवस्थित तरीके से रखा जाएगा जो उनके आने या जारी होने की तारीख से हर 5 साल में ऑडिटिंग की सुविधा प्रदान करे। उपरोक्त तिथि के बाद, ग्राहक बैंक को बैंक की ओर से बिना किसी दायित्व के उक्त दस्तावेजों को नष्ट करने के लिए अधिकृत करेगा।

23. Account Disable/Enable Service

23.1 ADIB may provide Customers with the ability to temporarily disable and subsequently re-enable eligible accounts being accounts notified by ADIB from time to time, excluding accounts subject to legal, regulatory, security or operational restrictions) through approved ADIB- digital channels notified by ADIB from time to time as an additional account protection measure. Subject to applicable law and the obligations of ADIB in respect of unauthorized or fraudulent transactions, any request submitted through an authenticated ADIB channel shall be deemed a valid instruction from the Customer.

23.2 While an account is disabled, certain customer-initiated transactions and services may be restricted or declined, as ADIB may specify through the relevant channel. However, certain transactions, obligations and services may continue to be processed, as ADIB may specify through the relevant channel, in accordance with applicable laws, regulations, product terms and conditions, and operational requirements, including incoming payments and transfers, standing instructions, finance or Covered card payment obligations, cheque processing, fees and charges and profit, if achieved, calculation and credit to account, where applicable. Disabling or re-enabling an account may not take effect immediately due to operational, legal, regulatory or processing requirements.

23.3 Disabling an account does not constitute account closure, fraud reporting, complaint registration or a dispute claim, and does not limit any mandatory legal or regulatory rights to raise a complaint, dispute or unauthorized transaction claim. Customers must promptly notify the Bank through the designated fraud, dispute or complaint channels and within applicable timeframes of any suspected unauthorized activity or fraud.

23.4 The Customer remains responsible for obligations and transactions processed in accordance with applicable laws, regulations and product terms and conditions except to the extent prohibited by applicable laws or regulations or to the extent any loss is caused directly by the Bank's fraud, negligence, misconduct or error, and nothing in this service shall limit the Bank's rights to restrict, suspend, block or otherwise manage an account where required by law, regulation or the ADIB's Terms and Conditions, provided that ADIB will provide notice of any such restriction, suspension, blocking or other account management where required or permitted by law.

23.5 The Service is subject to system availability, security checks, and maintenance. ADIB may send application confirmations, status updates, or other notifications through approved channels. Any applicable fees shall be disclosed in the relevant Banking Services and Tariff Board and/or the Fees and Charges Schedule for other products. ADIB reserves the right to retain records of applications and related actions for legal, regulatory, audit, security, and operational purposes.

24. Closure of Account

24.1 The Bank shall have the right at any time in its discretion, and with 60 calendar days notice to the Customer, to close any Account and to request immediate settlement thereof.

24.2 Without prejudice to the Bank's aforesaid right, the Bank shall be entitled to close the Current Account without notice to the Customer if the Customer issues any cheques with insufficient funds in the Account.

24.3 Upon closure of the Current Account, any unused cheques relating to the Account must be returned by the Customer to the Bank. The Bank will discharge its liability to the Customer by issuing and mailing to the Customer a postal draft in the amount of the credit balance remaining in the Account after deducting any actual charges, fees and other expenses incurred by the Bank in relation to the closure of the Account. If there is debit balance in the Account, the Customer shall immediately pay the Bank the amount due from the Customer upon receipt of the Bank's advice of the closure of the Account.

25. Non- Waiver: If the Bank does not at any time exercise the full implementation of any clause or obligation set out in this terms and conditions, or if the Bank delays the implementation thereof, the same shall not be considered to be a waiver of its right or abandonment of the full implementation at a subsequent time.

26. Customer's Information

26.1 The Bank's books, records and accounts shall be conclusive and binding. Any certificate, printout or Statement of Account issued by the Bank shall be final and conclusive evidences against the Customer of the correctness thereof in any legal proceedings or otherwise, unless the Customer proves the contrary to what is mentioned in the records.

26.2 The Customer acknowledges and accepts that telephone calls by or to the Bank may be recorded for the protection of the interest of the Customer and the Bank.

26.3 The Customer acknowledges and agrees that the Bank may maintain, transfer, process and store its data, information and records in electronic

23 खाता निष्क्रिय/सक्रिय करने की सेवा

23.1 एडीआईबी (ADIB) ग्राहकों को अतिरिक्त खाता सुरक्षा उपाय के रूप में, एडीआईबी (ADIB) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अनुमोदित एडीआईबी-डिजिटल चैनलों के माध्यम से, पात्र खातों (अर्थात् वे खाते जिनके बारे में एडीआईबी समय-समय पर जानकारी देता है, सिवाय उन खातों के जिन पर कानूनी, नियामक, सुरक्षा या परिचालन प्रतिबंध हों) को अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने और बाद में पुनः सक्रिय करने की क्षमता प्रदान कर सकता है। लागू कानून और अनधिकृत या धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेन के संबंध में एडीआईबी के दायित्वों के अधीन, किसी प्रमाणित एडीआईबी चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया कोई भी अनुरोध ग्राहक की ओर से एक वैध निर्देश माना जाएगा।

23.2 जब कोई खाता निष्क्रिय होता है, तब ग्राहक द्वारा शुरू किए गए कुछ-आरंभित लेनदेन और सेवाएं प्रतिबंधित या अस्वीकृत की जा सकती हैं, जैसा कि एडीआईबी संबंधित चैनल के माध्यम से निर्दिष्ट कर सकता है। तथापि, कुछ लेनदेन, दायित्व और सेवाएं, जैसा कि एडीआईबी संबंधित चैनल के माध्यम से निर्दिष्ट कर सकता है, लागू कानूनों, विनियमों, उत्पाद के नियमों एवं शर्तों तथा परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार संसाधित होती रह सकती हैं, जिनमें आने वाले भुगतान एवं हस्तांतरण, स्थायी निर्देश(स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन्स), वित्त या कवर्ड कार्ड भुगतान दायित्व, चेक प्रसंस्करण, शुल्क एवं प्रभार तथा लाभ (यदि अर्जित हुआ हो) की गणना और खाते में जमा (जहाँ लागू हो) शामिल हैं। परिचालन, कानूनी, नियामक या प्रसंस्करण आवश्यकताओं के कारण किसी खाते को निष्क्रिय या पुनः सक्रिय करना तत्काल प्रभावी नहीं हो सकता।

23.3 किसी खाते को निष्क्रिय करना खाता बंद करना, धोखाधड़ी की रिपोर्ट करना, शिकायत पंजीकरण या विवाद का दावा नहीं माना जाएगा और यह शिकायत, विवाद या अनधिकृत लेनदेन का दावा करने के किसी भी अनिवार्य कानूनी या नियामक अधिकार को सीमित नहीं करता। ग्राहकों को किसी भी संदिग्ध अनधिकृत गतिविधि या धोखाधड़ी के बारे में निर्दिष्ट धोखाधड़ी, विवाद या शिकायत चैनलों के माध्यम से और लागू समय-सीमा के भीतर बैंक को तुरंत सूचित करना चाहिए।

23.4 ग्राहक लागू कानूनों, विनियमों और उत्पाद के नियमों एवं शर्तों के अनुसार संसाधित किए गए दायित्वों और लेनदेन के लिए जिम्मेदार रहेगा, सिवाय उस सीमा तक जहाँ लागू कानूनों या विनियमों द्वारा इस पर रोक लगाई गई हो या उस सीमा तक जहाँ कोई हानि सीधे बैंक की धोखाधड़ी, लापरवाही, कदाचार या त्रुटि के कारण हुई हो, और इस सेवा में कुछ भी बैंक के उन अधिकारों को सीमित नहीं करेगा जिनके तहत वह कानून, विनियम या एडीआईबी के नियमों एवं शर्तों के अनुसार आवश्यक होने पर किसी खाते को प्रतिबंधित, निलंबित, अवरुद्ध या अन्यथा प्रबंधित कर सकता है, बशर्त कि एडीआईबी कानून द्वारा आवश्यक या अनुमत होने पर ऐसे किसी प्रतिबंध, निलंबन, अवरुद्ध या अन्य खाता प्रबंधन की सूचना प्रदान करेगा।

23.5 यह सेवा सिस्टम की उपलब्धता, सुरक्षा जांच और रखरखाव के अधीन है। एडीआईबी अनुमोदित चैनलों के माध्यम से पुष्टिकरण या स्थिति संबंधी सूचनाएं भेज सकता है। कोई भी लागू शुल्क संबंधित बैंकिंग सेवा एवं टैरिफ बोर्ड और/या अन्य उत्पादों की शुल्क एवं प्रभार अनुसूची में प्रकट किया जाना चाहिए। एडीआईबी कानूनी, नियामक, लेखा-परीक्षा और सुरक्षा प्रयोजनों के लिए अनुरोधों और कार्रवाइयों के रिकॉर्ड रख सकता है।

24. खाता बंद करना

24.1 बैंक को किसी भी समय अपने विवेकाधिकार में, और ग्राहक को 60 कैलेंडर दिनों की सूचना के साथ, किसी भी खाते को बंद करने और उसके तत्काल निपटान का अनुरोध करने का अधिकार होगा।

24.2 बैंक के उपर्युक्त अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ग्राहक खाते में अपर्याप्त धनराशि के साथ कोई चेक जारी करता है, तो बैंक को ग्राहक को सूचना दिए बिना चालू खाता बंद करने का अधिकार होगा।

24.3 चालू खाता बंद होने पर, खाते से संबंधित किसी भी अप्रयुक्त चेक को ग्राहक द्वारा बैंक को वापस किया जाना चाहिए। बैंक खाते को बंद करने के संबंध में बैंक द्वारा किए गए किसी भी वास्तविक प्रभार, शुल्क और अन्य खर्चों को काटने के बाद खाते में बची शेष जमा राशि का पोस्टल ड्राफ्ट जारी करके और ग्राहक को डाक द्वारा भेजकर ग्राहक के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करेगा। यदि खाते में डेबिट बैलेंस (ऋणात्मक शेष) है, तो ग्राहक खाता बंद होने की बैंक की सूचना प्राप्त होने पर तुरंत बैंक को देय राशि का भुगतान करेगा।

25. गैर-परित्याग: यदि बैंक किसी भी समय इन नियम एवं शर्तों में निर्धारित किसी खंड या दायित्व का पूर्ण कार्यान्वयन नहीं करता है, या यदि बैंक उसके कार्यान्वयन में विलंब करता है, तो इसे उसके अधिकार का अधित्याग या किसी बाद के समय में पूर्ण कार्यान्वयन के परित्याग के रूप में नहीं माना जाएगा।

26. ग्राहक की जानकारी

26.1 बैंक की बहियां, रिकॉर्ड और खाते निर्णायक और बाध्यकारी होंगे। बैंक द्वारा जारी कोई भी प्रमाणपत्र, प्रिंटआउट या खाता विवरण किसी भी कानूनी कार्यवाही या अन्यथा में ग्राहक के विरुद्ध उसकी सत्यता का अंतिम और निर्णायक साक्ष्य होगा, जब तक कि ग्राहक रिकॉर्ड में उल्लिखित बातों के विपरीत साबित न कर दे।

form, on microfilm or other methods (including in processing centers and databases outside of the UAE) and further agrees that the messages, cables, telexes fax, microfilms, tapes computer printouts and photocopies, which may be exhibited by the Bank as an extract from its files, books, records or accounts shall constitute conclusive evidence of the genuineness of the contents thereof.

- 26.4** The Customer acknowledges and agrees that the Bank may utilise the services of third party contractors and that any such third party may have access to the Bank's books and records including information regarding the Customer and the Account. However, the third party should sign confidentiality agreement with the Bank to safeguard the Customer's interest as per specifications of the Central Bank.
- 26.5** The Customer irrevocably consents to the disclosure and reporting by the Bank, its officers, employees and/or agents, in any whatsoever, of the disclosure of any information relating to the Customer and its account relationship with the Bank (including without limitation, credit balances and deposits with the Bank, account history and other Customer related information) as the Bank, its officers, employees, and/or agents may in their absolute discretion deem fit, including:
- (a) the Bank's head office, any of its representative offices, subsidiaries, affiliates and branch in any jurisdiction and any related corporations of the Bank;
 - (b) service providers including persons to whom the Bank has outsourced any operational functions which may be engaged by the Bank to carry out any of the Bank's businesses or operations (including without limitation, ATMs or other network providers) within or outside of the UAE and are under a duty of confidentiality to the Bank;
 - (c) any guarantor, third party pledgor or security provider;
 - (d) any legal advisers or accountants or other professional advisors acting for the Bank and/or agents and independent contractors;
 - (e) any regulatory, fiscal, supervisory or governmental authority in any jurisdiction; and/or
 - (f) any other person(s) which the Bank considers, is in its interest to make such disclosure.

The Customer will not assert any claim, and waives any right to assert any claim, against the Bank for any loss, damage or injury suffered or alleged as a result of any such disclosure or reporting.

27. Force Majeure

- 27.1** The obligation to pay any amounts deposited with the Bank is limited to payment by the branch at which the Account is maintained. The Bank shall not be liable for its inability to pay from such branch due to restrictions on convertibility or transferability, requisitions, involuntary transfers, acts of war or civil strife or other similar causes beyond the Bank's control. In such event no other office, branch, subsidiary or affiliate of the Bank shall be responsible or liable to the Customer.

28. Notices

- 28.1** Any notice or communication posted to the Customer at the address stated in the Account Opening Application shall be deemed to have been duly received by the Customer fifteen (15) banking days after the date of posting of the same unless the Customer proves that the same is undelivered. The Bank shall not be liable for any delay or loss of mail for reasons beyond the Bank's control. Notification of any change of address of the Customer shall not be binding on the Bank until the Bank's records have been amended.
- 28.2** Where the Bank is required to give notice to the Customer under these Terms and Conditions, such notice shall be considered valid and binding on the Customer if it is displayed at the Bank's branches or on its website, sent by post, SMS or fax or otherwise notified to the Customer on the Statement of Account or through other electronic means deemed fit to deliver the notice to the Customer.
- 28.3** Subject to these Terms and Conditions, the Customer acknowledges and agrees that the Bank may use any contact details available in the Bank's records provided by the Customer including his/ her mobile and/ or telephone number(s), registered email address and postal address (residential and correspondence) to contact the Customer for any services or operational reasons and to notify the Customer of any changes and when adding any addendum to the Terms and Conditions and/ or the Addendum including without limitation, fees, charges, expenses or for any type of accounts and/ or banking services not specified in these Terms and Conditions and the Addendum and for any

- 26.2** ग्राहक स्वीकार करता है और सहमत होता है कि ग्राहक और बैंक के हित की सुरक्षा के लिए बैंक द्वारा या बैंक को किए गए टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड किए जा सकते हैं।
- 26.3** ग्राहक स्वीकार करता है और सहमत होता है कि बैंक अपने डेटा, जानकारी और रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक रूप में, माइक्रोफिल्म पर या अन्य तरीकों से (यूई के बाहर प्रोसेसिंग केंद्रों और डेटाबेस सहित) बनाए रख सकता है, स्थानांतरित कर सकता है, संसाधित कर सकता है और संग्रहीत कर सकता है और आगे सहमत होता है कि संदेश, केबल, टेलिक्स, फैक्स, माइक्रोफिल्म, टेप, कंप्यूटर प्रिंटआउट और फोटोकॉपी, जिन्हें बैंक अपनी फाइलों, बहियों, रिकॉर्ड या खातों से एक उद्धरण के रूप में प्रदर्शित कर सकता है, उनकी विषयवस्तु की प्रामाणिकता का निर्णायक साक्ष्य होंगे।
- 26.4** ग्राहक स्वीकार करता है और सहमत होता है कि बैंक तृतीय पक्ष ठेकेदारों की सेवाओं का उपयोग कर सकता है और ऐसे किसी भी तृतीय पक्ष की बैंक की बहियों और रिकॉर्ड तक पहुंच हो सकती है, जिसमें ग्राहक और खाते के बारे में जानकारी शामिल है। हालांकि, तृतीय पक्ष को केंद्रीय बैंक के विनिर्देशों के अनुसार ग्राहक के हित की रक्षा के लिए बैंक के साथ गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करने चाहिए।
- 26.5** ग्राहक अपरिवर्तनीय रूप से बैंक, उसके अधिकारियों, कर्मचारियों और/या एजेंटों द्वारा, किसी भी रूप में, ग्राहक और बैंक के साथ उसके खाता संबंध से संबंधित किसी भी जानकारी (जिसमें बिना किसी सीमा के, बैंक के पास क्रेडिट शेष और जमा, खाता इतिहास और अन्य ग्राहक संबंधी जानकारी शामिल है) के प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग के लिए सहमति देता है, जैसा कि बैंक, उसके अधिकारी, कर्मचारी और/या एजेंट अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त समझें, जिसमें शामिल हैं:
- (a) बैंक का प्रधान कार्यालय, इसके किसी भी प्रतिनिधि कार्यालय, सहायक कंपनियां, संबद्ध कंपनियां और किसी भी क्षेत्राधिकार में शाखा और बैंक की कोई भी संबंधित कंपनियां;
 - (b) सेवा प्रदाता, जिनमें वे व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें बैंक ने कोई परिचालन कार्य आउटसोर्स किया है, जिन्हें बैंक द्वारा यूई के भीतर या बाहर बैंक के किसी भी कारोबार या परिचालन को करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है (जिसमें बिना किसी सीमा के, एटीएम या अन्य नेटवर्क प्रदाता शामिल हैं) और जो बैंक के प्रति गोपनीयता के कर्तव्य के अधीन हैं;
 - (c) कोई भी गारंटीदाता, तृतीय पक्ष गिरवीकर्ता या प्रतिभूति प्रदाता;
 - (d) बैंक के लिए कार्य करने वाले कोई भी कानूनी सलाहकार या लेखाकार या अन्य पेशेवर सलाहकार और/या एजेंट और स्वतंत्र ठेकेदार;
 - (e) किसी भी क्षेत्राधिकार में कोई भी नियामक, राजकोषीय, पर्यवेक्षी या सरकारी प्राधिकरण; और/या
 - (f) कोई भी अन्य व्यक्ति जिनके संबंध में बैंक मानता है कि ऐसा प्रकटीकरण करना उसके हित में है।
- ग्राहक कोई दावा नहीं करेगा, और किसी भी दावे को करने के किसी भी अधिकार का परित्याग करता है किसी भी ऐसे प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग के परिणामस्वरूप हुई या कथित किसी भी हानि, क्षति या चोट के लिए बैंक के विरुद्ध दावा।
- 27. अप्रत्याशित घटना**
- 27.1** बैंक के पास जमा की गई किसी भी राशि का भुगतान करने की बाध्यता उस शाखा द्वारा भुगतान तक सीमित है जिसमें खाता बनाए रखा जाता है। बैंक अपरिवर्तनीयता या हस्तांतरणीयता पर प्रतिबंधों, अधिग्रहणों, अनैच्छिक हस्तांतरणों, युद्ध या नागरिक अशांति के कृत्यों या बैंक के नियंत्रण से परे अन्य समान कारणों से ऐसी शाखा से भुगतान करने में अपनी असमर्थता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में बैंक का कोई अन्य कार्यालय, शाखा, सहायक कंपनी या सहयोगी ग्राहक के प्रति जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।
- 28. सूचनाएं**
- 28.1** खाता खोलने के आवेदन में बताए गए पते पर ग्राहक को डाक द्वारा भेजी गई कोई भी सूचना या संचार, डाक भेजने की तारीख के पंद्रह (15) बैंकिंग दिनों बाद ग्राहक द्वारा विधिवत प्राप्त माना जाएगा, जब तक कि ग्राहक यह साबित न कर दे कि वह उसे वितरित नहीं हुआ है। बैंक अपने नियंत्रण से परे कारणों से डाक के किसी विलंब या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ग्राहक के पते में किसी परिवर्तन की सूचना बैंक पर तब तक बाध्यकारी नहीं होगी जब तक बैंक के अभिलेखों में संशोधन न कर दिया जाए।
- 28.2** जहाँ इन नियमों और शर्तों के तहत बैंक के लिए ग्राहक को नोटिस देना आवश्यक है, ऐसा नोटिस ग्राहक पर वैध और बाध्यकारी माना जाएगा यदि इसे बैंक की शाखाओं में या उसकी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है, डाक, एसएमएस या फैक्स द्वारा भेजा जाता है या खाता विवरण पर या ग्राहक को नोटिस देने के लिए उचित समझे जाने वाले अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सूचित किया जाता है।
- 28.3** इन नियमों और शर्तों के अधीन, ग्राहक स्वीकार करता है और सहमत होता है कि बैंक ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए और बैंक के अभिलेखों में उपलब्ध किसी भी संपर्क विवरण, जिसमें उसका मोबाइल और/या टेलीफोन नंबर, पंजीकृत ईमेल पता और डाक पता (आवासीय और पत्राचार) शामिल हैं, का उपयोग किसी भी सेवा या परिचालन कारणों से ग्राहक से संपर्क करने और ग्राहक को किसी भी परिवर्तन की सूचना देने तथा नियमों और शर्तों और/या परिशिष्ट में कोई अनुबंध जोड़ते समय कर सकता है, जिसमें बिना किसी सीमा के, शुल्क, प्रभार, खर्च या इन नियमों और शर्तों तथा परिशिष्ट में निर्दिष्ट न किए गए किसी भी प्रकार के खातों और/या बैंकिंग सेवाओं के लिए और ग्राहक के दैनिक खाता परिचालन से संबंधित किसी अन्य सामान्य संचार के लिए भी शामिल है।

- other general communication related to the Customer's day-to-day account operation.
- 28.4** The Customer acknowledges and confirms that the contact details provided by him/her to the Bank are correct, accurate, complete and up to date. The Customer shall be responsible to promptly notify the Bank in the event of any changes made to such contact details and to update his/her latest contact details in the Bank's records at all times. The Customer understands and agrees that the Bank shall not be liable in the event that the Customer fails to receive any notification from the Bank by reason of Customer not providing to the Bank his / her latest contact details.
- 29. Rules and Principles of Islamic Shari'a, and the Authorization of the Internal Shari'a Supervisory Committee**
- The Customer acknowledges and agrees that these Terms and Conditions shall be subject to the rules and principles of the Islamic Shari'a as per the Shari'a standards of the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- 30. Prevailing Language**
- These Terms and Conditions have been drafted in Arabic, and then translated into English. In case of any shortage, discrepancy, contradiction or difference between the Arabic language and the English language in these Terms and Conditions, the Arabic language shall prevail and shall be considered the dominant language and the reference for interpreting the intention of the parties and the terms of the contract.
- 31. Governing Law and Jurisdiction**
- 31.1** These Terms and Conditions shall be governed by and construed in accordance with the Federal laws of the UAE any other local laws as may be applicable to the extent that such laws do not contradict with the rules and principles of the Islamic Shari'a as stipulated above in Clause (28), in case of contradiction, the rules and principles of Islamic Shari'a shall prevail, and the Customer hereby irrevocably submits to the exclusive jurisdiction of the courts of UAE to hear and determine any suit, action or proceeding and to settle any disputes which may arise out of or in connection with these Terms and Conditions.
- 31.2** Submission to the jurisdiction of the courts of UAE shall not limit the right of the Bank to bring proceedings against the Customer in any other court of competent jurisdiction.
- 28.4** ग्राहक स्वीकार करता है और पुष्टि करता है कि उसके द्वारा बैंक को प्रदान किए गए संपर्क विवरण सही, सटीक, पूर्ण और अद्यतित (up to date) हैं। ग्राहक ऐसे संपर्क विवरण में किए गए किसी भी परिवर्तन की स्थिति में बैंक को तुरंत सूचित करने और हर समय बैंक के अभिलेखों में अपने नवीनतम संपर्क विवरण को अपडेट करने के लिए जिम्मेदार होगा। ग्राहक समझता है और सहमत होता है कि बैंक उस स्थिति में उत्तरदायी नहीं होगा जब ग्राहक बैंक को अपने नवीनतम संपर्क विवरण प्रदान न करने के कारण बैंक से कोई सूचना प्राप्त करने में विफल रहता है।
- 29. इस्लामिक शरिया के नियम और सिद्धांत, तथा आंतरिक शरिया पर्यवेक्षी समिति का प्राधिकरण**
- ग्राहक स्वीकार करता है और सहमत होता है कि ये नियम और शर्तें इस्लामी वितीय संस्थानों के लिए लेखांकन एवं लेखापरीक्षा संगठन के शरिया मानकों के अनुसार इस्लामी शरिया के नियमों और सिद्धांतों के अधीन होंगी।
- 30. प्रधान भाषा**
- इन नियमों और शर्तों का मसौदा (draft) अरबी भाषा में तैयार किया गया है, और फिर उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। इन नियमों और शर्तों में अरबी भाषा और अंग्रेजी भाषा के बीच किसी भी कमी, विसंगति, विरोधाभास या अंतर के मामले में, अरबी भाषा ही मान्य (prevail) होगी और उसे ही प्रधान भाषा तथा पक्षों की मंशा और अनुबंध की शर्तों की व्याख्या के लिए संदर्भ माना जाएगा।
- 31. शासी कानून और क्षेत्राधिकार**
- 31.1** ये नियम और शर्तें संयुक्त अरब अमीरात के संघीय कानूनों और किसी अन्य लागू स्थानीय कानूनों द्वारा शासित होंगी और उन्हीं के अनुसार इनका अर्थ निकाला जाएगा, बशर्ते कि ये कानून ऊपर खंड (28) में उल्लिखित इस्लामिक शरिया के नियमों और सिद्धांतों का विरोधाभास न करते हों, विरोधाभास की स्थिति में, इस्लामिक शरिया के नियम और सिद्धांत ही मान्य (prevail) होंगे, ग्राहक इसके द्वारा इन नियमों और शर्तों से उत्पन्न या उनके संबंध में होने वाले किसी भी मुकदमे, कार्रवाई या कार्यवाही की सुनवाई, निर्धारण और विवादों के निपटारे के लिए यूएई की अदालतों के अनन्य क्षेत्राधिकार (exclusive jurisdiction) को अपरिवर्तनीय रूप से स्वीकार करता है।
- 31.2** संयुक्त अरब अमीरात के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करने से ग्राहक के खिलाफ किसी भी अन्य सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत में कार्यवाही शुरू करने का बैंक का अधिकार सीमित नहीं होगा।

ADDENDUM

Section 1

These specific terms and conditions contained in this Addendum are made pursuant to the Terms and Conditions (for Accounts and Islamic Banking Services).

In the event of conflict between the Addendum and the Terms and Conditions, the conditions stated in the Terms and Conditions shall prevail unless provided otherwise by means of amendments in this Addendum.

Whereas the Customer wishes to open a bank account and/or obtain banking services from the Bank and the Bank has agreed to provide such services.

In this Addendum, unless and to the extent context otherwise requires, the terms used in this Addendum shall have the same meaning used in the Terms and Conditions.

1. In condition 15.1 of the Terms and Conditions in respect of the requirement of the balance of the Current Account, the Customer shall maintain the minimum balance or the average balance specified in the Schedule of Fees announced across all of the Bank's branches and at www.adib.ae. If the Current Account balance falls below the balance stipulated in the above mentioned Schedule of Fees, the Bank shall charge the monthly fee specified in the same Schedule of Fees.
2. In condition 16.1 of the Terms and Conditions in respect of the requirement of the balance of the Mudarabah Accounts, the Customer shall maintain the minimum or the average balance which qualify the Account for receiving profit of the profits accrued as specified in the announced Schedule of Fees and/or Announcement of Profit Distribution Method across all of the Bank's branches and at www.adib.ae.
3. In condition 16.3 of the Terms and Conditions, the applicable in respect of Mudarib's Profit Share and Mudarabah Accounts Holders' Share in the Profit and Weightings is specified in Announcement of Profit Distribution Method announced across all of the Bank's branches and at www.adib.ae.
4. With reference to condition 16.3(d) of the Terms and Conditions in respect of Savings Account profits calculation, the period of the profit calculation shall be one calendar month. The profit calculation will be starting from the day the Account was opened, in accordance to the requirements specified in clause number 2 above of the Addendum.
5. In condition 16.3 (f) of the Terms and Conditions in respect of cases where a Saving Account is closed prior to the applicable Profit Payment Date, the Customer agrees to receive an amount that may be equivalent to the Account balance on Takharuj basis for that month. Such as the Customer will be required to sign the (Takharuj/ Early Termination of Mudarabah Account "investment account" Form) available across all of the Bank's branches.
6. In condition 16.3 (g) of the Terms and Conditions, the certain percentage to be retained by the Bank (if required) of the Mudarabah Accounts Holders Profit of the realized profits due to be allocated to in the Investment Risk Reserves is the applicable and announced percentage set out in the Announcement of Profit Distribution Method.
7. In conditions 16.3 (h) i, ii and iii of the Terms and Conditions, the Profit Equalization Reserve is not applicable in the Bank, and wherever it refers to the term Profit Equalization Reserve other than these conditions, shall be read as Investment Risk Reserve as explained in condition 16.3 (g), i, ii, iii, iv of the Terms and Conditions; considering that the term Profit Equalization Reserve which was used earlier by the Bank was intended to have the meaning of the Investment Risk Reserve.
8. In respect of condition 16.4 (a) i of the Terms and Conditions, the Customer shall select a fixed Investment Period from one of the periods set out in the Announcement of Profit Distribution Method which announced across all of the Bank's branches and at www.adib.com.
9. In condition 16.4 (a) ii of the Terms and Conditions and in respect of the realized Profit Payment Date to the Customer on the Investment Deposit Account, the Customer will be paid on the first Profit Payment Date falling immediately after the expiry of the Investment Period.

परिशिष्ट

अनुभाग 1

इस परिशिष्ट में निहित ये विशिष्ट नियम और शर्तें, नियमों और शर्तों (खातों और इस्लामी बैंकिंग सेवाओं के लिए) के अनुसरण में बनाई गई हैं।

परिशिष्ट और नियमों और शर्तों के बीच टकराव की स्थिति में, नियमों और शर्तों में उल्लिखित शर्तें ही मान्य होंगी, जब तक कि इस परिशिष्ट में संशोधनों के माध्यम से अन्यथा प्रावधान न किया गया हो।

चूँकि ग्राहक बैंक खाता खोलना चाहता है और/या बैंक से बैंकिंग सेवाएँ प्राप्त करना चाहता है और बैंक ऐसी सेवाएँ प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है।

इस परिशिष्ट में, जब तक और जिस सीमा तक संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो, इस परिशिष्ट में उपयोग किए गए शब्दों का वही अर्थ होगा जो नियमों और शर्तों में उपयोग किया गया है।

1. चालू खाते के शेष की आवश्यकता के संबंध में नियमों और शर्तों की शर्त 15.1 में, ग्राहक बैंक की सभी शाखाओं में और www.adib.ae पर घोषित शुल्क अनुसूची में निर्दिष्ट न्यूनतम शेष या औसत शेष बनाए रखेगा। यदि चालू खाते का शेष उपरोक्त शुल्क अनुसूची में निर्धारित शेष से नीचे गिर जाता है, तो बैंक उसी शुल्क अनुसूची में निर्दिष्ट मासिक शुल्क वसूल करेगा।
2. मुदाराबा खातों के शेष की आवश्यकता के संबंध में नियमों और शर्तों की शर्त 16.1 में, ग्राहक न्यूनतम या औसत शेष बनाए रखेगा जो खाते को बैंक की सभी शाखाओं में और www.adib.ae पर घोषित शुल्क अनुसूची और/या लाभ वितरण पद्धति की घोषणा में निर्दिष्ट अर्जित लाभों में से लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य बनाता है।
3. नियमों और शर्तों की शर्त 16.3 के संदर्भ में, मुदारिब के लाभ हिस्से, लाभ में मुदाराबा खाताधारकों के हिस्से और भाराकों (Weightings) के संबंध में लागू नियम बैंक की सभी शाखाओं और www.adib.ae पर घोषित लाभ वितरण पद्धति की घोषणा में निर्दिष्ट हैं।
4. बचत खाते के लाभ गणना के संबंध में नियमों और शर्तों की शर्त 16.3(d) के संदर्भ में, लाभ गणना की अवधि एक कैलेंडर माह होगी। लाभ गणना उस दिन से शुरू होगी जिस दिन खाता खोला गया था, इस अनुबंध के उपरोक्त खंड संख्या 2 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार।
5. लागू लाभ भुगतान तिथि से पहले बचत खाता बंद किए जाने के मामलों के संबंध में नियमों और शर्तों की शर्त 16.3(f) के संदर्भ में, ग्राहक उस महीने के लिए तखारुज के आधार पर खाते के शेष के बराबर राशि प्राप्त करने के लिए सहमत है। इसके लिए ग्राहक को बैंक की सभी शाखाओं में उपलब्ध (तखारुज/मुदाराबा खाता "निवेश खाता" की समय-पूर्व समाप्ति फॉर्म) पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा।
6. नियमों और शर्तों की शर्त 16.3 (g) में, अर्जित वास्तविक लाभ में से निवेश जोखिम आरक्षित में आवंटित करने के लिए बैंक द्वारा रोकी जाने वाली (यदि आवश्यक हो) मुदाराबा खाताधारकों के लाभ का निश्चित प्रतिशत वही होगा जो लाभ वितरण पद्धति की घोषणा में लागू और घोषित किया गया है।
7. नियमों और शर्तों की शर्त 16.3 (h) i, ii और iii में, लाभ समानीकरण आरक्षित इस बैंक में लागू नहीं है, और जहां भी यह इन शर्तों के अलावा लाभ समानीकरण आरक्षित शब्द को संदर्भित करती है, उसे नियमों और शर्तों की शर्त 16.3 (g), i, ii, iii, iv में समझाए अनुसार निवेश जोखिम आरक्षित के रूप में पढ़ा जाएगा; यह ध्यान में रखते हुए कि बैंक द्वारा पहले प्रयुक्त लाभ समानीकरण आरक्षित शब्द का उद्देश्य निवेश जोखिम आरक्षित का अर्थ देना ही था।
8. नियमों और शर्तों की शर्त 16.4 (a) i के संबंध में, ग्राहक बैंक की सभी शाखाओं और www.adib.com पर घोषित लाभ वितरण पद्धति की घोषणा में निर्धारित अवधियों में से एक निश्चित निवेश अवधि का चयन करेगा।
9. नियमों और शर्तों की शर्त 16.4 (a) ii में और निवेश जमा खाते पर ग्राहक को अर्जित लाभ भुगतान तिथि के संबंध में, ग्राहक को निवेश अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद आने वाली पहली लाभ भुगतान तिथि पर भुगतान किया जाएगा।

10. In condition 16.4 (c) of the Terms and Conditions related to the minimum limit for accepting opening of the Investment Deposit Account, the minimum limit is specified in the Schedule of Fees and/or Announcement of Profit Distribution Method which is available across all of the Bank's branches and at www.adib.com.
11. In condition 16.4 (d) of the Terms and Conditions in relation to the closure of the Investment Deposit Account before the expiry of the Investment Period, the Customer will be required to sign the (Takharruj /Early Termination of Mudarabah Account "investment account" Form) available across all of the Bank's branches;
12. In condition 17.9 (d) of the Terms and Conditions in respect of the obligation of the Cardholder to report lost or stolen Cards to the Bank in writing, and to mitigate the risk of lost or stolen Card, the Bank will accept also the Cardholder to notify the Bank by telephone via Customer Service numbers (600543216) (24 hrs) from within UAE or (+9712 6100600) (24 hrs) if dialing from outside UAE. However, for the avoidance of doubt, the Bank shall not be liable for any losses to the Cardholder for a transaction that was authorized by the Cardholder prior to the Cardholder notifying the Bank of the lost or stolen Card by telephone or written notice but was processed after such notification.
13. The currency of the General Pool is AED. For Accounts in Foreign Currencies, the balance of these accounts is calculated in AED according to the Prevailing Exchange Rate of the Bank at the time of profit calculation.
14. For the purpose of this Addendum wherever it refers to Schedule of Fees, shall be read as Banking Services & Tariff Board;
15. For the purposes of this Addendum, the accounts balance means the daily closing balance.
16. **Dormant Account**

Definitions

Dividend means dividends declared by the Bank to its shareholders and held in trust in the Bank's books for shareholders. to claim in accordance with the rules and guidelines issued by the financial market regulator

Dormant Account Customer means a customer (individual or corporate) who holds account(s) with a Bank, where all held accounts are individually eligible for dormancy and who holds no Outstanding Facilities with the same Bank in accordance with Article 2 of the Regulation;

Investment Deposit Accounts means all customer deposits placed in a Bank account for a fixed term period, with or without an early termination or any account in the Bank' balance sheet that has a similar treatment;

Investment Accounts means an investment account is a portfolio account where a Bank invests the funds in assets (equity, mutual funds, Sukuk, structured products etc.) on behalf of a Customer;

Outstanding Financings means any financing due from customers, including but not limited to covered card balances, financing products, covered drawings, etc. and off balance sheet products, also due from customers, such as bank guarantees, etc.

Regulation means the UAE Central Bank Dormant Accounts Regulation issued pursuant to Circular No.1/2020 dated 15 January 2020;

Safe Deposit Boxes means an individually secured container, in a Bank's vaults, hired out to Bank's Customers for the safekeeping of their belongings.

- 16.1 Criteria for Determining Dormant Accounts and Unclaimed Balances

Dormant Deposit Accounts

(a) A personal savings or call or current account where there has been no transactions (withdrawals or deposits) or non-financial actions (service requests, due diligence, particular update, etc) for a period of 3 years from the date of the last transactions on the account, other than transactions initiated by the Bank (such as profit and fees posted by the system or manually) and there has been no communication from the Customer (whether written or electronic).

10. निवेश जमा खाता खोलना स्वीकार करने के लिए न्यूनतम सीमा से संबंधित नियमों और शर्तों की शर्त 16.4 (c) में, न्यूनतम सीमा शुल्क अनुसूची और/या लाभ वितरण पद्धति की घोषणा में निर्दिष्ट है जो बैंक की सभी शाखाओं में और www.adib.com पर उपलब्ध है।

11. निवेश अवधि की समाप्ति से पहले निवेश जमा खाता बंद करने के संबंध में नियमों और शर्तों की शर्त 16.4(d) के संदर्भ में, ग्राहक को बैंक की सभी शाखाओं में उपलब्ध (तखारुज / मुदाराबा खाता "निवेश खाता" समय-पूर्व बंद करने का फॉर्म) पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा;

12. कार्डधारक द्वारा बैंक को खोए या चोरी हुए कार्डों की लिखित सूचना देने के दायित्व के संबंध में मुख्य नियमों और शर्तों की शर्त 17.9(d) के संदर्भ में, और खोए या चोरी हुए कार्ड के जोखिम को कम करने के लिए, बैंक कार्डधारक द्वारा ग्राहक सेवा नंबरों पर टेलीफोन के माध्यम से सूचित करना भी स्वीकार करेगा, जो यूएई के भीतर से (600543216) (24 घंटे) या यूएई के बाहर से डायल करने पर (+9712 6100600) (24 घंटे) हैं। हालांकि, किसी भी संदेह से बचने के लिए, कार्डधारक द्वारा टेलीफोन या लिखित नोटिस द्वारा बैंक को कार्ड खो जाने या चोरी होने की सूचना देने से पहले कार्डधारक द्वारा अधिकृत किए गए किसी भी लेनदेन के लिए बैंक कार्डधारक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, भले ही वह लेनदेन ऐसी सूचना के बाद संसाधित हुआ हो।

13. सामान्य पूल की मुद्रा AED (यूएई दिरहम) है। विदेशी मुद्राओं में खातों के लिए, इन खातों के शेष की गणना लाभ गणना के समय बैंक की प्रचलित विनिमय दर के अनुसार एडई (AED) में की जाएगी।

14. इस परिशिष्ट के उद्देश्य के लिए जहाँ कहीं भी शुल्क अनुसूची का संदर्भ आता है, उसे बैंकिंग सेवाएँ और टैरिफ बोर्ड के रूप में पढ़ा जाएगा।

15. इस परिशिष्ट के उद्देश्यों के लिए, खाते के शेष का अर्थ दैनिक क्लोजिंग बैलेंस (daily closing balance) है।

16. **निष्क्रिय खाता**

परिभाषाएं

लाभांश का अर्थ है बैंक द्वारा अपने शेयरधारकों को घोषित लाभांश और

जो शेयरधारकों के लिए बैंक की पुस्तकों में ट्रस्ट (धरोहर) के रूप में रखा गया है, जिनका दावा इसके अनुसार किया जाना है

वित्तीय बाजार नियामक द्वारा जारी नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार

निष्क्रिय खाता ग्राहक का अर्थ ऐसे ग्राहक (व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट) से है जिसके बैंक में खाता/खाते हैं, जहाँ रखे गए सभी खाते व्यक्तिगत रूप से निष्क्रियता के लिए पात्र हैं और विनियमन के अनुच्छेद 2 के अनुसार उसी बैंक के साथ उसकी कोई भी बकाया सुविधाएँ (Outstanding Facilities) नहीं हैं।

निवेश जमा खाते का अर्थ है एक निश्चित अवधि के लिए किसी बैंक खाते में रखी गई सभी ग्राहक जमा राशियाँ, चाहे उसमें समय से पूर्व समाप्ति का विकल्प हो या न हो, या बैंक के तुलन-पत्र में कोई भी खाता जिसका समान व्यवहार होता है;

निवेश खाते का अर्थ है एक निवेश खाता एक पोर्टफोलियो खाता है जहाँ बैंक ग्राहक की ओर से धन को परिसंपत्तियों (इक्विटी, म्यूचुअल फंड, सुकुक/Sukuk, संरचित उत्पाद आदि) में निवेश करता है;

बकाया वित्तपोषण का अर्थ है ग्राहकों से देय कोई भी वित्तपोषण,

जिसमें कवर किए गए कार्ड शेष, वित्तपोषण उत्पाद शामिल हैं परंतु उन तक सीमित नहीं हैं,

कवर किए गए आहरण, आदि और तुलन-पत्र से इतर उत्पाद, जो भी

ग्राहकों से देय हैं, जैसे बैंक गारंटियाँ, आदि।

विनियमन का अर्थ 15 जनवरी 2020 को परिपत्र संख्या 1/2020 के अनुसार जारी संयुक्त अरब अमीरात केंद्रीय बैंक निष्क्रिय खाता विनियमन है;

सुरक्षा जमा बॉक्स का अर्थ बैंक के वॉल्ट (तिजोरी कक्ष) में एक व्यक्तिगत रूप से सुरक्षित कंटेनर है, जो बैंक के ग्राहकों को उनकी वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए किराए पर दिया जाता है।

- 16.1 निष्क्रिय खातों एवं बिना दावे की जमा धन राशियों के निर्धारण के लिए मानदंड

निष्क्रिय जमा खाते

(a) एक व्यक्तिगत बचत या कॉल या चालू खाता, जिसमें खाते पर अंतिम लेनदेनों की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक कोई लेनदेन (निकासी या जमा) या गैर-वित्तीय कार्रवाई (सेवा अनुरोध, उचित तत्परता, विशेष अपडेट आदि) न हुई हो, बैंक द्वारा आरंभ किए गए लेनदेनों (जैसे कि सिस्टम द्वारा या मैन्युअल रूप से दर्ज किया गया लाभ/मुनाफा और शुल्क) के अतिरिक्त, तथा ग्राहक की ओर से कोई संचार (चाहे लिखित हो या इलेक्ट्रॉनिक) न हुआ हो।

(b) Investment Deposit Account where there is no automatic renewable clause and where the deposit has matured, but neither renewal nor claim request has been made in the past 3 years since the deposit matured (or) where there is an automatic renewable clause, but there is no communication (whether written, electronic or verbal) from the Customer within a period of 3 years from the date of first maturity.

(c) A closed ended Investment Account or redeemable Investment Account where there is no communication from the Customer for a period of 3 years from final maturity or redemption date. An open-ended Investment Account will be treated as dormant; when the Customer's other accounts have been classified as dormant in accordance with the Regulation. However, the Bank shall liquidate or dispose of the assets in the open-ended Investment Account only as per stated terms and conditions of the Account.

The Bank must wait for a period of three months to receive a response from the Dormant Customers. After the passage of 3 months from the date of classifying the account as Dormant Account, If the Bank has not received response from the Dormant Customers after attempting to contact them through written, electronic or verbal (recorded) channels, the Bank must transfer the money in the Dormant Account to the dormant account ledger.

16.2 Unclaimed Bankers Cheques, Bank Drafts or Cashiers Orders:

Bankers cheques, Bank drafts or cashiers orders, which have been issued at the request of a Customer against a cash deposit, or by debit to his/her account, that have not been claimed by the beneficiary and remain unclaimed by the beneficiary or the Customer for a period of 1 year (despite the efforts of the Bank to contact the Customer) shall be classified as dormant accounts.

In such cases, the Bank must initiate communication with issuers of such unclaimed bankers cheques, bank drafts or cashier orders notifying them of non-encashment of the issued instruments and if after a period of 3 months has elapsed and if still no claim is received, the balances should be transferred to the "unclaimed balances account" within the Bank, after deducting actual charge (if any) incurred by the Bank and the Central Bank is notified of this action.

16.3 Unclaimed Dividends:

The rules and guidelines issued by the financial market regulator will govern the unclaimed Dividend maintenance and re-claim process in whatever Account such unclaimed Dividend balances are held in.

16.4 Unclaimed Contents of Safe Deposit Boxes:

Where charges for a safe deposit box remain outstanding for a period of more than 3 years and the Bank has not received a reply from the Safe Deposit Box tenant or the tenant has not made alternative arrangements in relation to the Safe Deposit Box, it shall be classified as a dormant Safe Deposit Box.

The Bank shall send a final notice to the dormant Safe Deposit Box tenant's last known address and wait for a period of 3 months for a response. If there is no response from the Safe Deposit Box tenant after such period, the shall apply to the court to appoint a person to supervise the opening of the Safe Deposit Box and provide direction regarding the disposal of the contents found in the Safe Deposit Box or the appointment of a court receiver.

To comply with all abovementioned cases, the Customer shall not have another active Account (liability or assets) with the Bank. Safe Deposit Box operations by nominees is not sufficient to regard them as in the status of Dormant Safe Deposit Boxes.

16.5 Claim of Funds From a Dormant Account:

If a Dormant Account Customer requested to activate a Dormant Account, he/she should personally, or through a legal representative, approach the Bank and submit a claim with all relevant documentation to prove his/her identity and the Bank may reactivate such Dormant Customer Account after verifying the identity of the Dormant Customer in accordance with the Bank's authentication channels.

(b) निवेश जमा खाता, जिसमें कोई स्वतः नवीनीकरण खंड न हो और जहाँ जमाराशि परिपक्व हो चुकी हो, परंतु जमाराशि के परिपक्व होने के बाद से पिछले 3 वर्षों में न तो नवीनीकरण और न ही दावा अनुरोध किया गया हो, (या) जहाँ स्वतः नवीनीकरण खंड हो, परंतु पहली परिपक्वता की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के भीतर ग्राहक की ओर से कोई संचार (चाहे लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या मौखिक) न हुआ हो।

(c) एक क्लोज्ड-एंडेड निवेश खाता (closed-ended Investment Account) या प्रतिदेय निवेश खाता, जिसमें अंतिम परिपक्वता या प्रतिदान (redemption) तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक ग्राहक की ओर से कोई संचार न हुआ हो। एक ओपन-एंडेड निवेश खाता (open-ended Investment Account) तब निष्क्रिय माना जाएगा; जब ग्राहक के अन्य खातों को विनियमन के अनुसार निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया हो। हालांकि, बैंक ओपन-एंडेड निवेश खाते में परिसंपत्तियों का परिसमापन या निपटान केवल खाते के उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के अनुसार करेगा।

बैंक को निष्क्रिय ग्राहकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए तीन माह की अवधि तक प्रतीक्षा करनी होगी। खाते को निष्क्रिय खाते के रूप में वर्गीकृत करने की तारीख से 3 माह बीत जाने के बाद, यदि बैंक ने निष्क्रिय ग्राहकों से लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या मौखिक (रिकॉर्डेड) माध्यमों से संपर्क करने का प्रयास करने के बाद उनसे प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं की है, तो बैंक को निष्क्रिय खाते में मौजूद धनराशि को निष्क्रिय खाता बही में स्थानांतरित करना होगा।

16.2 बिना दावे के बैंकर चेक, बैंक ड्राफ्ट या कैशियर आदेश:

बैंकर चेक, बैंक ड्राफ्ट या कैशियर आदेश, जो किसी ग्राहक के अनुरोध पर नकद जमा के बदले, या उसके खाते को डेबिट करके जारी किए गए हैं, जिनका लाभार्थी द्वारा दावा नहीं किया गया हो और जो लाभार्थी या ग्राहक द्वारा 1 वर्ष की अवधि तक बेदावा बने रहें (ग्राहक से संपर्क करने के बैंक के प्रयासों के बावजूद), निष्क्रिय खातों के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे।

ऐसे मामलों में, बैंक को ऐसे बेदावा बैंकर चेक, बैंक ड्राफ्ट या कैशियर आदेशों के जारीकर्ताओं के साथ संचार आरंभ करना होगा, जिसमें उन्हें जारी किए गए लिखतों के भुनाए न जाने की सूचना दी जाएगी और यदि 3 माह की अवधि बीत जाने के बाद भी कोई दावा प्राप्त नहीं होता है, तो बैंक द्वारा उठाए गए वास्तविक प्रभार (यदि कोई हो) की कटौती के बाद शेष राशि को बैंक के भीतर "बेदावा शेष खाते" में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और केंद्रीय बैंक को इस कार्यवाई की सूचना दी जानी चाहिए।

16.3 बिना दावे वाले लाभार्थ:

वित्तीय बाजार नियामक द्वारा जारी नियम एवं दिशानिर्देश, बेदावा लाभार्थ के रखरखाव एवं पुनर्दावा प्रक्रिया को शासित करेंगे, चाहे ऐसे लावारिस लाभार्थ की शेष राशि किसी भी खाते में रखी गई हो।

16.4 सुरक्षा जमा बॉक्स की बेदावा सामग्री:

जहाँ किसी सुरक्षा जमा बॉक्स के प्रभार 3 वर्ष से अधिक की अवधि तक बकाया रहें और बैंक को सुरक्षा जमा बॉक्स किरायेदार से कोई उत्तर प्राप्त न हुआ हो या किरायेदार ने सुरक्षा जमा बॉक्स के संबंध में कोई वैकल्पिक व्यवस्था न की हो, तो इसे एक निष्क्रिय सुरक्षा जमा बॉक्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

बैंक निष्क्रिय सुरक्षा जमा बॉक्स किरायेदार के अंतिम ज्ञात पते पर एक अंतिम नोटिस भेजेगा और प्रतिक्रिया के लिए 3 माह की अवधि तक प्रतीक्षा करेगा। यदि ऐसी अवधि के बाद सुरक्षा जमा बॉक्स किरायेदार से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो बैंक सुरक्षा जमा बॉक्स के खोलने की देखरेख करने तथा सुरक्षा जमा बॉक्स में पाई गई सामग्री के निपटान के संबंध में निर्देश देने के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति हेतु, या किसी न्यायालय रिसीवर की नियुक्ति हेतु न्यायालय में आवेदन करेगा।

उपर्युक्त सभी मामलों का अनुपालन करने के लिए, ग्राहक का बैंक के साथ कोई अन्य सक्रिय खाता (देयता या परिसंपत्ति) नहीं होना चाहिए। नामांकित व्यक्तियों द्वारा सुरक्षा जमा बॉक्स का संचालन उन्हें निष्क्रिय सुरक्षा जमा बॉक्सों की स्थिति में मानने के लिए पर्याप्त नहीं है।

16.5 निष्क्रिय खाते से धनराशि का दावा:

यदि कोई निष्क्रिय खाता ग्राहक किसी निष्क्रिय खाते को सक्रिय करने का अनुरोध करता है, तो उसे व्यक्तिगत रूप से, या किसी विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से, बैंक से संपर्क करना चाहिए और अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ एक दावा प्रस्तुत करना चाहिए, तथा बैंक अपने प्रमाणीकरण माध्यमों के अनुसार निष्क्रिय ग्राहक की पहचान सत्यापित करने के बाद ऐसे निष्क्रिय ग्राहक खाते को पुनः सक्रिय कर सकता है।

17. Customer Information:

17.1 Provision of Data:

To enable the Bank to consider whether to provide or continue to provide the Customer with any Service, the Bank may require the Customer to supply to the Bank from time to time information about the Customer (including personal information and data (collectively "Data"). Failure to provide such information to the Bank may result in the Bank's inability to provide or continue to provide such Service to the Customer. The Customer represents and warrants that all such information is accurate and correct and undertakes to notify the Bank immediately and in writing if any information previously provided to the Bank by the Customer changes or becomes inaccurate or incorrect, together with the relevant documents evidencing or supporting such change, as required by the Bank

17.2 Use of Data:

Data will be used for considering the Customer's request and subject to the Bank agreeing to provide or continue to provide the relevant Service, the Data and all information relating to transactions or dealings with the Bank will be used in connection with the provision of such Service to the Customer.

The Bank will use, store, disclose, transfer (whether within or outside UAE) and/or exchange Data and other details and/or information to or with all such persons as the Bank may consider necessary including, without limitation, any Bank group member, insurers, third party contractors, third party financial institutions, credit verification and credit reporting agencies, credit bureaus, debt collection agencies, court(s), tribunal(s), regulatory body(ies), lawyers, auditors and other professional advisors engaged by the Bank including Al Etihad Credit Bureau; any other entity that the Bank may engage or communicate with for data processing, statistical risk analysis, advice in relation to Customer relationships or any other entity in order to enable the Bank to perform its obligations hereunder or under any other agreement to which the Bank is a party or to enforce the Customer's obligations hereunder or otherwise at the Bank's sole discretion, and any other service provider for any and all purposes:

- a) in connection with such Service and/or in connection with matching for whatever purpose (whether or not with a view to taking any adverse action against the Customer) Data with other personal data of the Customer in the Bank's possession;
- b) in connection with the provision of banker's references about the Customer to other financial institutions or other persons;
- c) in connection with the conducting of any checks with any banks, financial institutions, debt collection agencies, credit bureaus, and/or any credit reporting agency (including without limitation upon an application for any credit facility or upon periodic review or renewal of such facility);
- d) of promoting, improving and furthering the provision of other financial services by the Bank and any other Bank group member to the Customer; and/or
- e) any other purposes and to such persons as may be in accordance with Bank's general policy on disclosure of personal data as set out in any statements, circulars, notices or other terms and conditions made available by the Bank to the Customer from time to time.

The Customer authorizes the Bank for disclosure of information and/ or Data in all of the cases mentioned above without prior consent or approval or notification in any manner whatsoever.

If the Data includes information or data of any other person, the Customer confirms and warrants that the Customer has obtained such person's consent to the provision of such information or data to the Bank for the foregoing purposes and for its disclosure to the persons specified above.

The Customer has the right to request access to, and corrections of any of the Data or to request that the Data shall not be used by the Bank for its marketing and promotional purposes. Any request may be made in writing and addressed to the Bank's Information Security Officer at such address and number as specified by the Bank from time to time. The Bank will comply with such request unless the Bank may or is required to refuse to do so under any applicable law, regulation or court order in UAE or elsewhere with which the Bank is customarily expected to comply.

17. ग्राहक की जानकारी:

17.1 डेटा का प्रावधान:

बैंक को यह विचार करने में सक्षम बनाने के लिए कि ग्राहक को कोई सेवा प्रदान की जाए या प्रदान करना जारी रखा जाए या नहीं, बैंक ग्राहक से समय-समय पर ग्राहक के बारे में जानकारी (जिसमें व्यक्तिगत जानकारी एवं डेटा (सामूहिक रूप से "डेटा") शामिल है) बैंक को आपूर्ति करने की मांग कर सकता है। बैंक को ऐसी जानकारी प्रदान करने में विफलता के परिणामस्वरूप बैंक ग्राहक को ऐसी सेवा प्रदान करने या जारी रखने में असमर्थ हो सकता है। ग्राहक यह प्रमाणित करता है एवं आश्वासन देता है कि ऐसी सभी जानकारी सटीक एवं सही है तथा वचन देता है कि यदि ग्राहक द्वारा पूर्व में बैंक को प्रदान की गई कोई जानकारी बदल जाती है या असत्य या गलत हो जाती है, तो वह बैंक की आवश्यकतानुसार ऐसे बदलाव को प्रमाणित करने या उसका समर्थन करने वाले प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ तुरंत और लिखित रूप में बैंक को सूचित करेगा।

17.2 डेटा का उपयोग:

डेटा का उपयोग ग्राहक के अनुरोध पर विचार करने के लिए किया जाएगा और बैंक द्वारा संबंधित सेवा प्रदान करने या प्रदान करना जारी रखने पर सहमत होने के अधीन, डेटा और बैंक के साथ लेनदेन या व्यवहार से संबंधित सभी जानकारी का उपयोग ग्राहक को ऐसी सेवा प्रदान करने के संबंध में किया जाएगा।

बैंक अपने पूर्ण विवेक से उन सभी व्यक्तियों को डेटा और अन्य विवरणों और/या जानकारी का उपयोग, भंडारण (store), प्रकटीकरण (disclose), हस्तांतरण (transfer - चाहे यूएई के भीतर हो या बाहर) और/या विनिमय (exchange) कर सकता है जिन्हें बैंक आवश्यक समझता है, जिसमें बिना किसी सीमा के, बैंक समूह का कोई भी सदस्य, बीमाकर्ता, तृतीय पक्ष ठेकेदार, तृतीय पक्ष वित्तीय संस्थान, क्रेडिट सत्यापन और क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसियां, क्रेडिट ब्यूरो, ऋण वसूली एजेंसियां, न्यायालय, न्यायाधिकरण, नियामक निकाय, व बैंक द्वारा नियुक्त वकील, लेखा परीक्षक और अन्य पेशेवर सलाहकार शामिल हैं, जिनमें अल एतिहाद क्रेडिट ब्यूरो भी शामिल है; कोई भी अन्य संस्था जिसे बैंक डेटा प्रोसेसिंग, सांख्यिकीय जोखिम विश्लेषण, ग्राहक संबंधों के संबंध में सलाह के लिए नियुक्त या संपर्क कर सकता है या कोई अन्य संस्था जो बैंक को इस अनुबंध के तहत या किसी अन्य समझौते (जिसमें बैंक एक पक्ष है) के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए या इस अनुबंध के तहत ग्राहक के दायित्वों को लागू करने के लिए आवश्यक हो, और किसी भी और सभी उद्देश्यों के लिए कोई अन्य सेवा प्रदाता शामिल है:

- a) ऐसी सेवा के संबंध में और/या बैंक के पास मौजूद ग्राहक के अन्य व्यक्तिगत डेटा के साथ किसी भी उद्देश्य के लिए डेटा का मिलान करने के संबंध में (चाहे ग्राहक के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई करने के दृष्टिकोण से हो या नहीं);
- b) अन्य वित्तीय संस्थानों या अन्य व्यक्तियों को ग्राहक के संबंध में बैंक संदर्भ प्रदान करने के संबंध में;
- c) किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान, ऋण वसूली एजेंसी, क्रेडिट ब्यूरो और/या किसी भी क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी के साथ किसी भी जांच के संचालन के संबंध में (जिसमें बिना किसी सीमा के, किसी क्रेडिट सुविधा के आवेदन पर या ऐसी सुविधा की आवधिक समीक्षा या नवीनीकरण के समय की जाने वाली जांच शामिल है);
- d) बैंक और किसी अन्य बैंक समूह के सदस्य द्वारा ग्राहक को दी जाने वाली अन्य वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने, सुधारने और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से; और/या
- e) कोई भी अन्य उद्देश्यों और ऐसे व्यक्तियों को जैसा कि व्यक्तिगत डेटा के प्रकटीकरण पर बैंक की सामान्य नीति के अनुसार हो सकता है, जैसा कि बैंक द्वारा ग्राहक को समय-समय पर उपलब्ध कराए गए किसी भी विवरण, परिपत्रों, सूचनाओं या अन्य नियमों एवं शर्तों में निर्धारित किया गया हो।

ग्राहक बैंक को उपर्युक्त सभी मामलों में किसी भी प्रकार से पूर्व सहमति या अनुमोदन या अधिसूचना के बिना जानकारी और/या डेटा के प्रकटीकरण के लिए अधिकृत करता है।

यदि डेटा में किसी अन्य व्यक्ति की जानकारी या डेटा शामिल है, तो ग्राहक पुष्टि करता है और आश्वासन देता है कि ग्राहक ने ऐसी जानकारी या डेटा को उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए बैंक को प्रदान करने और उपर्युक्त निर्दिष्ट व्यक्तियों को इसके प्रकटीकरण के लिए ऐसे व्यक्ति की सहमति प्राप्त कर ली है।

ग्राहक को किसी भी डेटा तक पहुंच और उसमें सुधार का अनुरोध करने का अधिकार है, या यह अनुरोध करने का अधिकार है कि डेटा का उपयोग बैंक द्वारा अपने विपणन (marketing) और प्रचार उद्देश्यों के लिए न किया जाए। ऐसा कोई भी अनुरोध लिखित रूप में किया जा सकता है और बैंक के सूचना सुरक्षा अधिकारी को संबोधित किया जा सकता है, जो बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट पते और नंबर पर भेजा जाएगा। बैंक ऐसे अनुरोध का अनुपालन करेगा, जब तक कि यूएई या अन्य जगहों पर लागू किसी कानून, विनियमन या आदेश के तहत बैंक को ऐसा करने से मना करने की आवश्यकता न हो या वह ऐसा करने के लिए बाध्य न हो, जिससे बैंक से सामान्यतः अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है।

17.3 Disclosure:

The Customer agrees that, subject to secrecy and permitted disclosure provisions under the Central Bank regulation and other laws, the Bank may disclose the state of any Account or any transaction of the Customer with the Bank or any other information relating to the Customer or the Customer's transactions or dealings with the Bank (including, without limitation, any Data), whether or not acquired through the keeping of any Account for the purposes of any legal process which concerns the Bank or the Customer. Disclosure may also be made to government and regulatory agencies and authorities and to credit rating agencies including Al Etihad Credit Bureau.

Without limiting the generality of the foregoing, the Customer acknowledges and agrees that the Bank and any other Bank group member are required to act in accordance with applicable laws and regulations in UAE and other jurisdictions including, without limitation, all regulations issued by the Central Bank from time to time, sanctions and anti-tax evasion-related laws and regulations. The Customer agrees that the Bank may take, and may instruct any other Bank group member (or may be so instructed by any other Bank group member) to take any action which it or such other Bank group member, in its absolute discretion, considers appropriate in connection with such laws and regulations including, without limitation, intercepting and/or investigating any payment message and other information or communications sent to, by or on behalf of the Customer via the systems of the Bank or any other Bank group member, delaying, blocking or refusing to make any payment. Other than for gross negligence or wilful misconduct of the Bank and/or other Bank group member in which case the Bank and/or other Bank group member shall be liable for actual loss or damage suffered by the Customer, neither the Bank nor any other Bank group member shall be liable for any loss or damage (whether direct or indirect including, without limitation, loss of profit) suffered by any person arising as a result of or in connection with any such action, delay, blocking or failure to make any payment.

18. Anti-Money Laundering:

The Customer undertakes and warrants to comply with all applicable laws, rules, regulations and disclosures as required by the Anti-Money Laundering laws of the UAE and to any Anti Money Laundering monitoring and procedures prescribed by the Bank from time to time.

The Customer confirms that the monies deposited for the opening of the Account with the branch and all credits thereafter deposited in this Account are from legitimate source(s) and in no way do they constitute or are in breach of UAE Anti Money Laundering laws and Central Bank regulations.

19. Other than the gross negligence or wilful misconduct of the Bank, the Customer agrees to indemnify and keep the Bank indemnified, for and/or in respect of all or any actual loss or damage arising from the use, share and disclosure of any of his/her personal data, credit and financial information with any party. Customer further agrees to indemnify and keep the Bank indemnified for and/or in respect of all or any actual loss or damage arising from seeking/obtaining any of his/her personal data, credit and financial information from any party.
20. Customer understands that the Bank makes no warranty concerning the accuracy, validity, and/or completeness of any such information whatsoever sought, obtained, or disclosed by the Bank. Therefore, Customer understand, agree and confirm that the Bank will not be responsible to compensate him for any loss or damage, whether direct or indirect the Customer may suffer as a result of the inaccuracy, invalidity and/or incompleteness of any such information.

Section 2

Special Short Term Investment (STI) Account Terms and Conditions

ADIB Short Term Investment (STI) Account (the "Short Term Investment (STI) Account") is subject to the Terms and Conditions and the Addendum, in addition to the following special terms and conditions which apply only to ADIB Short Term Investment (STI) Account;

1. The Short Term Investment (STI) Account is a Mudarabah Account in accordance with the Terms and Conditions;
2. The minimum balance to open a Short Term Investment (STI) Account for Customers is specified in the Schedule of Fees announced across all of the Bank's branches and at www.adib.com;

17.3 प्रकटीकरण:

ग्राहक इस बात से सहमत है कि केंद्रीय बैंक के विनियमों और अन्य कानूनों के तहत गोपनीयता और अनुमत प्रकटीकरण प्रावधानों के अधीन, बैंक किसी भी खाते की स्थिति या बैंक के साथ ग्राहक के किसी भी लेनदेन या ग्राहक से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी या बैंक के साथ ग्राहक के लेनदेन या व्यवहार (जिसमें बिना किसी सीमा के, कोई भी डेटा शामिल है) को बैंक या ग्राहक से संबंधित किसी भी कानूनी प्रक्रिया के उद्देश्यों के लिए प्रकट कर सकता है, चाहे वह जानकारी किसी खाते के रखरखाव के माध्यम से प्राप्त की गई हो या नहीं। प्रकटीकरण सरकारी और नियामक एजेंसियों और प्राधिकरणों तथा अल एतिहाद क्रेडिट ब्यूरो सहित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को भी किया जा सकता है।

उपयुक्त की व्यापकता को सीमित किए बिना, ग्राहक स्वीकार करता है और सहमत होता है कि बैंक और कोई भी अन्य बैंक समूह सदस्य यूएई और अन्य क्षेत्राधिकारों में लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार कार्य करने के लिए अपेक्षित हैं, जिसमें बिना किसी सीमा के, केंद्रीय बैंक द्वारा समय-समय पर जारी सभी विनियम, प्रतिबंध और कर चोरी रोधी संबंधी कानून एवं विनियम शामिल हैं। ग्राहक सहमत होता है कि बैंक कोई भी कार्रवाई कर सकता है, और किसी अन्य बैंक समूह सदस्य को (या किसी अन्य बैंक समूह सदस्य द्वारा उसे निर्देश दिया जा सकता है) कोई भी कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है जिसे वह या ऐसा अन्य बैंक समूह सदस्य, अपने पूर्ण विवेकाधिकार में, ऐसे कानूनों और विनियमों के संबंध में उपयुक्त समझे, जिसमें बिना किसी सीमा के, बैंक या किसी अन्य बैंक समूह सदस्य की प्रणालियों के माध्यम से ग्राहक को, ग्राहक द्वारा या ग्राहक की ओर से भेजे गए किसी भी भुगतान संदेश और अन्य जानकारी या संचार को रोकना और/या उसकी जांच करना, किसी भी भुगतान को करने में विलंब करना, अवरोध करना या इनकार करना शामिल है। बैंक और/या अन्य बैंक समूह सदस्य की घोर लापरवाही या जानबूझकर किए गए दुर्व्यवहार के अलावा, जिस स्थिति में बैंक और/या अन्य बैंक समूह सदस्य ग्राहक द्वारा उठाई गई वास्तविक हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी होंगे, न तो बैंक और न ही कोई अन्य बैंक समूह सदस्य ऐसी किसी कार्रवाई, विलंब, अवरोध या किसी भी भुगतान को करने में विफलता के परिणामस्वरूप या उसके संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा उठाई गई किसी भी हानि या क्षति (चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जिसमें बिना किसी सीमा के, लाभ की हानि शामिल है) के लिए उत्तरदायी होगा।

18. मनी लॉन्ड्रिंग रोधी:

ग्राहक यूएई के मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानूनों द्वारा आवश्यक सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और प्रकटीकरणों का तथा बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निगरानी और प्रक्रियाओं का अनुपालन करने का वचन देता है और आश्वस्त करता है।

ग्राहक इस बात की पुष्टि करता है कि शाखा में खाता खोलने के लिए जमा की गई राशि और उसके बाद इस खाते में जमा किए गए सभी जमा वैध स्रोत(स्रोतों) से हैं और वे किसी भी प्रकार से संयुक्त अरब अमीरात के धन शोधन निवारण कानूनों और केंद्रीय बैंक के विनियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं।

19. बैंक की घोर लापरवाही या जानबूझकर किए गए कदाचार के मामलों को छोड़कर, ग्राहक किसी भी पक्ष के साथ अपने किसी भी व्यक्तिगत डेटा, क्रेडिट और वित्तीय जानकारी के उपयोग, साझाकरण और प्रकटीकरण से उत्पन्न होने वाले सभी या किसी भी वास्तविक नुकसान या क्षति के लिए बैंक को क्षतिमुक्त रखने और लगातार क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत है। ग्राहक किसी भी पक्ष से अपने किसी भी व्यक्तिगत डेटा, क्रेडिट और वित्तीय जानकारी को मांगने/प्राप्त करने से उत्पन्न होने वाले सभी या किसी भी वास्तविक नुकसान या क्षति के संबंध में भी बैंक को क्षतिमुक्त रखने और लगातार क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत है।
20. ग्राहक समझता है कि बैंक द्वारा माँगी गई, प्राप्त की गई या प्रकट की गई ऐसी किसी भी जानकारी की सटीकता, वैधता और/या पूर्णता के संबंध में बैंक कोई वारंटी नहीं देता। इसलिए, ग्राहक समझता है, सहमत है और पुष्टि करता है कि ऐसी किसी भी जानकारी की अशुद्धता, अमान्यता और/या अपूर्णता के परिणामस्वरूप उसे होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति (चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष) के लिए बैंक क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

अनुभाग 2

विशेष अल्पकालिक निवेश खाता नियम और शर्तें

एडीआईबी अल्पकालिक निवेश खाता नियमों और शर्तों तथा परिशिष्ट के अधीन हैं, साथ ही निम्नलिखित विशेष नियमों और शर्तों के भी अधीन हैं जो केवल एडीआईबी अल्पकालिक निवेश खाते पर लागू होती हैं;

1. अल्पकालिक निवेश खाता नियमों और शर्तों के अनुसार एक मुदरबा खाता है;
2. ग्राहकों के लिए अल्पकालिक निवेश खाता खोलने हेतु न्यूनतम शेष राशि बैंक की सभी शाखाओं में और www.adib.com पर घोषित शुल्क अनुसूची में निर्दिष्ट है;

3. For the purposes of Condition 16.1 of the Terms and Conditions and in respect of profit calculations, the daily minimum closing balance which qualify the Short Term Investment (STI) Account to be a Mudarabah Account on that day is specified in the Schedule of Fees announced across all of the Bank's branches and at www.adib.com;
4. The calculation of profit and loss will be calculated on monthly basis, based on the monthly average of the daily closing balance available in the Account for the days in which the Account's balance is equal or higher than the daily minimum closing balance which qualify the Account to be a Mudarabah Account on that day;
5. On the first working day of each month, total daily profits earned for the previous month (if any) will be added to Short Term Investment (STI) Account;
6. All withdrawals from the Short Term Investment (STI) Account will be permitted against the written instructions of the Customer or the Authorized Person. Issuance of cheque-book and/or ATM card for this Account will not be allowed;
7. The Customer can obtain a detailed statement of Account. Upon the Customer request, a detailed statement of account may be mailed every three (3) months to his/her registered postal address with the Bank.

Section 3

Special Terms and Conditions for Banoon Account – Children's Savings Account

Banoon Account – Children's Saving Account (the "Banoon Account") is subject to the Terms and Conditions and the Addendum, in addition to the following special terms and conditions which apply only to Banoon Account;

1. Definitions
 - "**Banoon Card**" means a debit card issued by the Bank from time to time to the Guardian, Grantor or Custodian for the benefit of the Minor and includes without limitation of the Minor and includes without limitation any subsequent, renewal and replacement card;
 - "**Custodian**" means a person nominated by a court and granted custody of the Minor;
 - "**Grantor**" means any person who donates money to the Banoon Account including the mother of the Minor for whom the account is opened;
 - "**Guardian**" means a father or grandfather of the Minor;
2. Specific Terms and Conditions
 - 2.1 Banoon Account is a Mudarabah Account according to the Terms and Conditions. The Terms and Conditions of the Mudarabah Accounts are incorporated herein by reference and shall be applicable to all Banoon Accounts including the special terms and conditions of profit calculation and distributions except what is set out in the Announcement of Profit Distribution Method which available across all of the Bank's branches and at www.adib.ae, which is applicable only to Banoon Account, and also the charges which are hereby waived by the Bank;
 - 2.2 The "Donation to Minor Declaration" in Banoon Account Opening Form, is an integral part of these Special Terms and Conditions;
 - 2.3 The minimum balance to open a Banoon Account is specified in the Schedule of Fees announced across all of the Bank's branches and at www.adib.ae;
 - 2.4 Withdrawal from a Banoon Account is restricted to be only through a teller in the Bank's branches or any ATM;
 - 2.5 ADIB's phone banking, ADIB Mobile Banking Application, E-ADIB internet banking and SMS banking services are available for information purposes only with respect to Banoon Account;
 - 2.6 The Grantor must be one of the Bank's Customers to be able to open a Banoon Account(s) under his/her Relationship Information Management (RIM) number;

3. नियमों और शर्तों की शर्त 16.1 के उद्देश्यों के लिए और लाभ गणना के संबंध में, वह दैनिक न्यूनतम समापन शेष जो अल्पकालिक निवेश खाते को उस दिन मुदरबा खाता होने के योग्य बनाता है, बैंक की सभी शाखाओं में और www.adib.com पर घोषित शुल्क अनुसूची में निर्दिष्ट है;
4. लाभ और हानि की गणना मासिक आधार पर की जाएगी, जो उन दिनों के लिए खाते में उपलब्ध दैनिक समापन शेष के मासिक औसत पर आधारित होगी जिनमें खाते का शेष उस दैनिक न्यूनतम समापन शेष के बराबर या उससे अधिक हो जो खाते को उस दिन मुदरबा खाता बनने के योग्य बनाता है;
5. प्रत्येक माह के पहले कार्य दिवस पर, पिछले माह के लिए अर्जित कुल दैनिक लाभ (यदि कोई हो) अल्पकालिक निवेश खाते में जोड़ दिया जाएगा;
6. अल्पकालिक निवेश खाते से सभी निकसियों की अनुमति केवल ग्राहक या अधिकृत व्यक्ति के लिखित निर्देशों के आधार पर ही दी जाएगी। इस खाते के लिए चेक-बुक और/या एटीएम कार्ड जारी करने की अनुमति नहीं होगी;
7. ग्राहक खाते का विस्तृत विवरण प्राप्त कर सकता है। ग्राहक के अनुरोध पर, बैंक के पास उसके पंजीकृत ड्राक पते पर हर तीन (3) महीने में एक विस्तृत खाता विवरण ड्राक द्वारा भेजा जा सकता है।

अनुभाग 3

बनून खाता – बच्चों के बचत खाते के लिए विशेष नियम और शर्तें

बनून खाता – बच्चों का बचत खाता ("the Banoon Account") नियमों और शर्तों तथा परिशिष्ट के अधीन है, साथ ही निम्नलिखित विशेष नियमों और शर्तों के भी अधीन है जो केवल बनून खाते पर लागू होती हैं;

1. परिभाषाएं
 - "**बनून कार्ड**" का अर्थ बैंक द्वारा समय-समय पर अभिभावक, प्रदाता/दाता या संरक्षक को नाबालिग के लाभ के लिए जारी किए जाने वाले डेबिट कार्ड से है, और इसमें बिना किसी सीमा के कोई भी बाद का, नवीनीकृत या बदला गया कार्ड शामिल है;
 - "**संरक्षक**" का अर्थ वह व्यक्ति है जिसे किसी न्यायालय द्वारा नामित किया गया हो और नाबालिग की कस्टडी (संरक्षण) प्रदान की गई हो;
 - "**प्रदाता / दाता**" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो बनून खाते में धन दान करता है, जिसमें उस नाबालिग की माता भी शामिल है जिसके लिए खाता खोला गया है;
 - "**अभिभावक**" का अर्थ है नाबालिग का पिता या दादा;
2. विशिष्ट नियम और शर्तें
 - 2.1 बनून खाता नियमों और शर्तों के अनुसार एक मुदरबा खाता है। मुदरबा खातों के नियम और शर्तें संदर्भ के रूप में यहाँ शामिल की गई हैं और लाभ की गणना एवं वितरण के विशेष नियमों और शर्तों को छोड़कर सभी बनून खातों पर लागू होंगी, सिवाय उन नियमों के जो लाभ वितरण पद्धति की घोषणा जो बैंक की सभी शाखाओं और www.adib.ae पर उपलब्ध है, और जो केवल बनून खाते पर लागू होती हैं। इसके साथ ही बैंक द्वारा इस खाते पर लगने वाले प्रभारों को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है;
 - 2.2 बनून खाता खोलने के फॉर्म में "नाबालिग को दान की घोषणा" इन विशेष नियमों और शर्तों का अभिन्न अंग है;
 - 2.3 बनून खाता खोलने के लिए न्यूनतम शेष राशि बैंक की सभी शाखाओं में और www.adib.ae पर घोषित शुल्क अनुसूची में निर्दिष्ट है;
 - 2.4 बनून खाते से नकद निकासी केवल बैंक की शाखाओं में किसी टेलर के माध्यम से या किसी एटीएम के माध्यम से करने तक सीमित है;
 - 2.5 एडीआईबी की फोन बैंकिंग, एडीआईबी मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन, ई-एडीआईबी इंटरनेट बैंकिंग और एसएमएस बैंकिंग सेवाएं बनून खाते के संबंध में केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए उपलब्ध हैं;
 - 2.6 प्रदाता का बैंक का मौजूदा ग्राहक होना अनिवार्य है ताकि वह अपने रिलेशनशिप इफॉर्मेशन मैनेजमेंट (RIM) नंबर के तहत बनून खाता खोल सके;

Section 4

Special Terms and Conditions for Ghina Salary Account

ADIB Ghina Salary Account (the "Ghina Salary Account") is subject to the Terms and Conditions and the Addendum, in addition to the following specific terms and conditions which apply only to Ghina Salary Account:-

1. Ghina Salary Account is a Mudarabah Account in accordance with the Terms and Conditions;
2. In respect of profit calculations for Ghina Salary Account, no minimum balance is requested to qualify the Ghina Salary Account to be a Mudarabah Account;
3. The calculation of profit and loss will be calculated on monthly basis, based on the monthly average balance available in the Account;
4. On the first working day of each month, total daily profits earned for the previous month (if any) will be added to the Ghina Salary Account;
5. In the event that the balance of Ghina Salary account falls below the minimum account balance, the fee as stipulated in the Banking Service and Tariff Board shall apply.
6. Ghina Salary Account's holder can apply for a cheque book.

Section 5

Takaful protection for Ghina Savings Account

All existing and new ADIB Ghina Saving Account holders who are eligible for Takaful protection are automatically enrolled in the following Takaful schemes without any evidence of Takaful underwriting.

1. ABU DHABI ISLAMIC BANK – GHINA PROTECTION TAKAFUL SCHEME for (Death due to Accident)
The applicable terms & conditions of this scheme are available on the following link <https://adibm.com/GhnTkfl-AD-TnC>.
Copy of the relevant Takaful Insurance policy which is automatically renewed when effective available on the following link <https://adibm.com/GhnTkfl-AD-Pol>.
2. ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC – GHINA PROTECTION TAKAFUL SCHEME for (Death due to Natural Causes)
The applicable terms & conditions of this scheme are available on the following link <https://adibm.com/GhnTkfl-ND-TnC>. Copy of the relevant Takaful Insurance policy which is automatically renewed when effective available on the following link <https://adibm.com/GhnTkfl-ND-Pol>.

Section 6

Special Terms and Conditions for ADIB Universal Account

ADIB Universal Account is governed by the terms and conditions of ADIB Saving Account and all other terms and conditions contained under the General Terms and Conditions for Accounts and Islamic Banking Services, available on ADIB's website <https://adibm.com/bsa> (the "UNIVERSAL Account") in addition to the following terms and conditions which apply only to ADIB Universal Account:

1. The list of services and benefits exclusively offered by Abu Dhabi Islamic Bank (the "Bank" or "ADIB") to Universal Account holders are available on the Banking Services and Tariff Board, copy of which is available on ADIB website. To view the Banking Services and Tariff Board, please visit the following link: <https://www.adib.ae/en/siteassets/personal/banking-services-and-tariff-board.pdf>
2. The monthly fee that is applicable on Universal Account is specified in the ADIB Banking Services and Tariff Board, as amended by the Bank from time to time in accordance with the Terms and Conditions,

अनुभाग 4

घिना वेतन खाता(Ghina Salary Account) के लिए विशेष नियम और शर्तें

एडीआईबी घिना वेतन खाता (ADIB Ghina Salary Account) नियमों और शर्तों तथा परिशिष्ट (Addendum) के अधीन है, इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विशिष्ट नियम और शर्तें लागू होंगी जो केवल घिना वेतन खाते पर लागू होती हैं:-

1. घिना वेतन खाता नियमों और शर्तों के अनुसार एक मुदारबा खाता है;
2. घिना वेतन खाते के लाभ गणना के संबंध में, घिना वेतन खाते को मुदारबा खाता बनाने के लिए योग्य बनाने हेतु कोई न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं है;
3. लाभ और हानि की गणना मासिक आधार पर की जाएगी, जो खाते में उपलब्ध मासिक औसत शेष पर आधारित होगी;
4. प्रत्येक माह के पहले कार्य दिवस पर, पिछले माह के लिए अर्जित कुल दैनिक लाभ (यदि कोई हो) घिना वेतन खाते में जोड़ दिया जाएगा;
5. यदि घिना वेतन खाते की शेष राशि न्यूनतम खाता शेष से नीचे गिरती है, तो बैंकिंग सेवा एवं शुल्क बोर्ड में निर्धारित शुल्क लागू होगा।
6. घिना वेतन खाते का धारक चेक बुक के लिए आवेदन कर सकता है।

अनुभाग 5

घिना बचत खाते के लिए तकाफुल संरक्षण (Takaful protection for Ghina Savings Account)

सभी मौजूदा और नए एडीआईबी घिना बचत खाताधारक जो तकाफुल सुरक्षा के लिए पात्र हैं, उन्हें बिना किसी तकाफुल जोखिम-अंकन (Takaful underwriting) के निम्नलिखित तकाफुल योजनाओं में स्वचालित रूप से नामांकित कर दिया जाता है:

1. अबू धाबी इस्लामिक बैंक – घिना संरक्षण तकाफुल स्कीम (दुर्घटना के कारण मृत्यु के लिए)
इस योजना के लागू नियम और शर्तें निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं: <https://adibm.com/GhnTkfl-AD-TnC>
संबंधित तकाफुल बीमा पॉलिसी की प्रति, जो प्रभावी होने पर स्वतः नवीनीकृत हो जाती है, निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: <https://adibm.com/GhnTkfl-AD-Pol>
2. अबू धाबी इस्लामिक बैंक पीजेएससी – घिना संरक्षण तकाफुल योजना (प्राकृतिक कारणों से मृत्यु के लिए)
इस योजना के लागू नियम और शर्तें निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं: <https://adibm.com/GhnTkfl-ND-TnC> संबंधित तकाफुल बीमा पॉलिसी की प्रति, जो प्रभावी होने पर स्वतः नवीनीकृत हो जाती है, निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: <https://adibm.com/GhnTkfl-ND-Pol>

अनुभाग 6

एडीआईबी सार्वभौमिक (ADIB UNIVERSAL) खाते के लिए विशेष नियम और शर्तें

एडीआईबी सार्वभौमिक (ADIB Universal) खाता, एडीआईबी बचत खाते के नियमों और शर्तों तथा खातों एवं इस्लामिक बैंकिंग सेवाओं के सामान्य नियमों और शर्तों के अधीन है, जो एडीआईबी की वेबसाइट <https://adibm.com/bsa> पर उपलब्ध हैं, इसके अतिरिक्त निम्नलिखित नियम और शर्तें लागू होंगी जो केवल एडीआईबी सार्वभौमिक खाते पर लागू होती हैं:

1. अबू धाबी इस्लामिक बैंक ("बैंक" या "ADIB") द्वारा सार्वभौमिक खाता धारकों को विशेष रूप से प्रदान की जाने वाली सेवाओं और लाभों की सूची बैंकिंग सेवा एवं शुल्क बोर्ड पर उपलब्ध है, जिसकी प्रति एडीआईबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बैंकिंग सेवा एवं शुल्क बोर्ड देखने के लिए, कृपया निम्नलिखित लिंक पर जाएं: <https://www.adib.ae/en/siteassets/personal/banking-services-and-tariff-board.pdf>
2. सार्वभौमिक खाते पर लागू मासिक शुल्क एडीआईबी बैंकिंग सेवा एवं शुल्क बोर्ड में निर्दिष्ट है, जिसे नियमों और शर्तों के अनुसार बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है,

- ADIB may, at its sole discretion, close the account in case of non-receipt of Universal Account fee for 6 consecutive months. ADIB may use any contact details available in ADIB's records provided by the Customer including his/ her mobile and/or telephone number(s), registered email address to notify the Customer 60 days prior closure of the account.
- ADIB reserves the right to make changes to Universal Account, including changes to fees, and the services and benefits from time to time, provided that ADIB will give the Customer 60 days prior written notification to the implementation of such changes. If the Customer continued using the account on or after the passage of such notice period, it will be deemed that he/she has accepted the new change(s).
- Universal Account is a digital account and account holders will be serviced through dedicated branches of ADIB branches network, the list which will be provided on ADIB website on the following link: <https://adibm.com/xprsacc>

Section 7

Value Added Tax

For the purpose of these Terms and Conditions, "VAT" means value added tax imposed on the supply of goods or services under the UAE Federal Decree-Law No. 8 of 2017 and the related executive regulations or any similar future tax.

Any payments made by the Customer to the Bank under these Terms and Conditions for products and services provided shall be exclusive of VAT. The Customer shall pay to the Bank an amount equal to any VAT, if and/or when it becomes applicable, in addition to and at the same time as such payments are made.

Section 8

Digital / Electronic Signature

- The Customer understands and agrees that the Bank may from time to time offer products, services or banking facilities through digital and electronic channels and platforms. The Customer acknowledges and agrees that such offers may be accepted by the Customer by means of secure digital or electronic signature which shall be deemed to be a valid signature as the original signature of the Customer and shall constitute a valid, binding and enforceable signature of the Customer.
- The Customer agrees that any digitally or electronically signed instrument, document, contract, agreement or terms and conditions (including these Terms and Conditions and the Addendum) shall be deemed (i) to be "written" or "in writing," (ii) to have been signed by the Customer and (iii) to constitute a record created and maintained in the ordinary course of business and an original written record when printed from electronic files. Such paper copies or "printouts," if introduced as evidence in any judicial, arbitral, mediation or administrative proceeding, will be admissible as between the Bank and the Customer to the same extent and under the same conditions as other original business records created and maintained in documentary form.
- Neither the Bank nor the Customer shall contest the admissibility of true and accurate copies of digitally or electronically signed instruments, documents, contracts, agreements or terms and conditions.
- The Customer further understands and agrees that no certification authority or third party verification is necessary to validate the Customer's digital or electronic signature and the lack of such certification or third party verification shall not in any way affect the enforceability of the Customer's digital or electronic signature of any resulting instrument, document, contract, agreement or terms and conditions between the Customer and the Bank. Furthermore, the Customer understands, acknowledges and agrees a digital or electronic signature of the Customer's representative or appointed attorney to any instrument, document, contract, agreement or terms and conditions or any person authorised access to Customer's accounts for and on behalf of the Customer shall constitute a valid, binding and enforceable signature as the original signature of the Customer.
- For the purposes of this section, "digital or electronic signature" means any letters, numbers, symbols, fingerprints, codes, images, graphics, algorithms, voice or processing system or any combination thereof in electronic form applied to, incorporated in, or logically associated with data message with the intention of authenticating or approving the same.

- लगातार 6 महीनों तक सार्वभौमिक खाते का शुल्क प्राप्त न होने की स्थिति में, एडीआईबी अपने पूर्ण विवेक से खाते को बंद कर सकता है। खाता बंद करने से 60 दिन पहले ग्राहक को सूचित करने के लिए एडीआईबी ग्राहक के मोबाइल और/या टेलीफोन नंबर और पंजीकृत ईमेल पते सहित बैंक के रिकॉर्ड में उपलब्ध किसी भी संपर्क विवरण का उपयोग कर सकता है।
- एडीआईबी समय-समय पर सार्वभौमिक खाते में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसमें शुल्कों, सेवाओं और लाभों में बदलाव शामिल हैं; बशर्ते कि एडीआईबी ऐसे बदलावों को लागू करने से 60 दिन पहले ग्राहक को लिखित अधिसूचना देगा। यदि ग्राहक इस नोटिस अवधि के बीतने पर या उसके बाद खाते का उपयोग जारी रखता है, तो यह मान लिया जाएगा कि उसने नए बदलाव (बदलावों) को स्वीकार कर लिया है।
- सार्वभौमिक खाता एक डिजिटल खाता है और खाता धारकों को एडीआईबी शाखा नेटवर्क की समर्पित शाखाओं के माध्यम से सेवा प्रदान की जाएगी, जिसकी सूची एडीआईबी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर प्रदान की जाएगी: <https://adibm.com/xprsacc>

अनुभाग 7

मूल्य वर्धित कर / वैट

इन नियमों और शर्तों के उद्देश्य के लिए, "VAT" (वैट) का अर्थ यूएई संघीय डिक्ली-कानून संख्या 8 वर्ष 2017 (UAE Federal Decree-Law No. 8 of 2017) और संबंधित कार्यकारी नियमों के तहत वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर लगाए गए मूल्य वर्धित कर या भविष्य के किसी भी समान कर से है।

इन नियमों और शर्तों के तहत प्रदान किए गए उत्पादों और सेवाओं के लिए ग्राहक द्वारा बैंक को किए जाने वाले किसी भी भुगतान में वैट (VAT) शामिल नहीं होगा। यदि और/या जब भी वैट लागू होता है, तो ग्राहक बैंक को ऐसे शुल्कों के भुगतान के साथ और उसी समय वैट के बराबर राशि का भुगतान अतिरिक्त रूप से करेगा।

अनुभाग 8

डिजिटल / इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर

- ग्राहक समझता है और सहमत है कि बैंक समय-समय पर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों और प्लेटफॉर्मों के माध्यम से उत्पाद, सेवाएं या बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर सकता है। ग्राहक स्वीकार करता है और सहमत होता है कि ऐसे प्रस्तावों को ग्राहक द्वारा सुरक्षित डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के माध्यम से स्वीकार किया जा सकता है, जिसे ग्राहक के मूल हस्ताक्षर के रूप में एक वैध हस्ताक्षर माना जाएगा और यह ग्राहक का एक वैध, बाध्यकारी और प्रवर्तनीय हस्ताक्षर होगा।
- ग्राहक सहमत है कि कोई भी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित लिखत, दस्तावेज़, अनुबंध, समझौता या नियमों और शर्तों (इन नियमों और शर्तों और अनुबंध सहित) (i) "लिखित" या "लिखित रूप में" माने जाएंगे, (ii) ग्राहक द्वारा हस्ताक्षरित माने जाएंगे और (iii) व्यवसाय के सामान्य कामकाज में बनाया और बनाए रखा गया एक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक फाइलों से मुद्रित किए जाने पर एक मूल लिखित रिकॉर्ड माने जाएंगे। ऐसी कागजी प्रतियां या "प्रिंटआउट", यदि किसी न्यायिक, मध्यस्थता, मध्यस्थता सुलह या प्रशासनिक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, तो बैंक और ग्राहक के बीच उसी सीमा तक और उन्हीं शर्तों के तहत स्वीकार्य होंगे जैसे दस्तावेज़ी रूप में बनाए और बनाए रखे गए अन्य मूल व्यावसायिक रिकॉर्ड।
- न तो बैंक और न ही ग्राहक डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज़ों, अनुबंधों, समझौतों या नियमों और शर्तों की सच्ची और सटीक प्रतियां की स्वीकार्यता पर कोई आपत्ति या चुनौती पेश करेंगे।
- ग्राहक आगे समझता है और सहमत होता है कि ग्राहक के डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को मान्य करने के लिए किसी प्रमाणन प्राधिकारी या तृतीय पक्ष सत्यापन की आवश्यकता नहीं है तथा ऐसे प्रमाणन या तृतीय पक्ष सत्यापन का अभाव किसी भी प्रकार से ग्राहक एवं बैंक के बीच किसी परिणामी लिखत, दस्तावेज़, अनुबंध या समझौते या नियमों एवं शर्तों पर ग्राहक के डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगा। इसके अलावा, ग्राहक समझता है, स्वीकार करता है और सहमत है कि ग्राहक के प्रतिनिधि या नियुक्त मुख्तार (appointed attorney) या ग्राहक की ओर से उसके खातों तक पहुंच के लिए अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी दस्तावेज़, अनुबंध या समझौते पर किया गया डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर ग्राहक के मूल हस्ताक्षर की तरह ही वैध, बाध्यकारी और कानूनी रूप से प्रवर्तनीय माना जाएगा।
- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर" का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई भी अक्षर, संख्याएँ, प्रतीक, अंगुलिचिह्न, कोड, छवियाँ, ग्राफिक्स, एल्गोरिदम, ध्वनि या प्रसंस्करण प्रणाली या उनका कोई संयोजन है, जो किसी डेटा संदेश को प्रमाणित या अनुमोदित करने के आशय से उस पर लागू, उसमें समाविष्ट, या तार्किक रूप से संबद्ध हो।

Section 9

AANI Services

- 9.1 The Bank may, at the Customer's request or the Bank's discretion (as applicable) and subject always to the Aani Scheme Rules, provide Aani Services, including Aani enrolment, Aani unenrollment and QR Code payments, as further set out below.
- 9.2 If any provision of these Terms and Conditions conflicts with a mandatory provision of the Aani Scheme Rules, the relevant provision of the Aani Scheme Rules shall prevail to the extent of such conflict and to the extent permissible under Islamic Shari'a.
- 9.3 The Bank may, in its sole discretion, require separate or additional authentication factors, security tokens or mobile credentials for access to any Aani Service, including in connection with the generation, presentation or scanning of QR Codes.
- 9.4 The Bank shall act as a direct participant in Aani and shall process payment instructions in accordance with: (i) the Aani Scheme Rules and all related auxiliary documents, as amended from time to time; (ii) any circulars, notices or guidance issued by the CBUAE or AEP; and (iii) these Terms and Conditions.
- 9.5 The Customer acknowledges and agrees that: (i) the Bank's ability to provide Aani Services is contingent upon the continued availability of Aani and the Customer's compliance with all applicable Aani Scheme Rules and auxiliary document; (ii) the Bank may suspend, limit, update, or refuse any Aani Service where required by the Aani Scheme Rules, by law, for risk-management purposes, or in connection with system maintenance upgrades, or downtime as required by AEP or CBUAE; (iii) the Bank may update or modify Aani Services, including functionalities and technical requirements, in line with changes to the Aani Scheme Rules or as required by CBUAE or AEP.
- 9.6 Upon written or electronic request in the form prescribed by the Bank, the Customer may nominate one or more Accounts and Proxy Identifiers for registration with Aani.
- 9.7 The Bank will submit the enrolment information to AEP and will notify the Customer once AEP confirms successful enrolment. Enrolment is conditional upon:
 - 9.7.1 The Customer having completed all "know-your-customer" requirements to the Bank's satisfaction;
 - 9.7.2 The Customer's continued compliance with the Aani Scheme Rules, all related auxiliary documents, and these Terms and Conditions.
- 9.8 The Customer is responsible for ensuring that all information provided for Aani enrolment, including Proxy Identifiers and details, is accurate and up to date, and must promptly notify the Bank of any changes to such information.
- 9.9 The Customer may request deregistration of any Proxy Identifier, Account from Aani by submitting a written or electronic instruction in the form prescribed by the Bank. The Bank will process the request as soon as reasonably practicable, subject to: (i) completion of any outstanding transactions, (ii) settlement of all fees and charges, and (iii) compliance with any minimum notice period, grace period or data-retention requirement under the Aani Scheme Rules.
- 9.10 Any Aani enrolment or Aani unenrollment shall not affect the Bank's or the Customer's obligations in respect of transactions previously initiated prior to the effective time of such enrolment or unenrollment.
- 9.11 The Bank will enable the Customer, through the Aani App or other Bank-approved channel, to generate static or dynamic QR Codes or to scan the QR Codes of other Aani users.
- 9.12 The Customer shall ensure that any QR Code it generates is delivered only to the intended payer and that the amount encoded (where applicable) is correct.
- 9.13 A QR Code payment shall constitute an irrevocable payment instruction once accepted for processing by Aani; the Customer shall have no right to amend or cancel such Instruction, except to the extent permitted under the Aani Scheme Rules.

अनुभाग 9

आनी सेवाएँ (AANI Services)

- 9.1 बैंक, ग्राहक के अनुरोध पर या बैंक के विवेकाधिकार पर (जैसा भी लागू हो) तथा सदैव आनी योजना नियमों के अधीन रहते हुए, आनी सेवाएँ प्रदान कर सकता है, जिनमें आनी नामांकन, आनी नामांकन-निरसन एवं क्यूआर कोड भुगतान शामिल हैं, जैसा कि नीचे आगे उल्लिखित है।
- 9.2 यदि इन नियमों और शर्तों का कोई प्रावधान 'आनी योजना नियमों' के किसी अनिवार्य प्रावधान के साथ विरोधाभास पैदा करता है, तो आनी योजना नियमों का प्रासंगिक प्रावधान उस विरोधाभास की सीमा तक और इस्लामिक शरिया के तहत अनुमत सीमा तक मान्य होगा।
- 9.3 बैंक, अपने पूर्ण विवेक से, किसी भी आनी सेवा तक पहुँच के लिए अलग या अतिरिक्त प्रमाणीकरण कारकों, सुरक्षा टोकन या मोबाइल क्रेडेंशियल की मांग कर सकता है, जिसमें क्यूआर कोड बनाने, प्रस्तुत करने या स्कैन करने के संबंध में की जाने वाली प्रक्रियाएँ शामिल हैं।
- 9.4 बैंक आनी में एक प्रत्यक्ष प्रतिभागी के रूप में कार्य करेगा और भुगतान निर्देशों को निम्नलिखित के अनुसार संसाधित करेगा: (i) आनी योजना नियम और समय-समय पर संशोधित सभी संबंधित सहायक दस्तावेज; (ii) संयुक्त अरब अमीरात केंद्रीय बैंक या अल एतिहाद पेमेंट्स द्वारा जारी कोई परिपत्र, नोटिस या मार्गदर्शन; तथा (iii) ये नियम एवं शर्तें।
- 9.5 ग्राहक यह स्वीकार करता है और सहमत है कि: (i) आनी सेवाएँ प्रदान करने की बैंक की क्षमता आनी की निरंतर उपलब्धता और ग्राहक द्वारा सभी लागू आनी योजना नियमों और सहायक दस्तावेजों के अनुपालन पर निर्भर है; (ii) बैंक आनी योजना नियमों या कानून द्वारा आवश्यक होने पर, जोखिम-प्रबंधन के उद्देश्यों के लिए, या एईपी (AEP) या सीबीयूई (CBUAE) द्वारा आवश्यक सिस्टम रखरखाव, अपग्रेड या डाउनटाइम के संबंध में किसी भी आनी सेवा को निरवित, सीमित, अपडेट या अस्वीकार कर सकता है; (iii) बैंक आनी योजना नियमों में बदलाव के अनुरूप या सीबीयूई या एईपी की आवश्यकता के अनुसार कार्यक्षमताओं और तकनीकी आवश्यकताओं सहित आनी सेवाओं को अपडेट या संशोधित कर सकता है।
- 9.6 बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में लिखित या इलेक्ट्रॉनिक अनुरोध पर, ग्राहक आनी के साथ पंजीकरण के लिए एक या अधिक खातों एवं प्रॉक्सी पहचानकर्ताओं को नामांकित कर सकता है।
- 9.7 बैंक नामांकन जानकारी अल एतिहाद पेमेंट्स को प्रस्तुत करेगा और अल एतिहाद पेमेंट्स द्वारा सफल नामांकन की पुष्टि किए जाने पर ग्राहक को सूचित करेगा। नामांकन निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:
 - 9.7.1 ग्राहक ने बैंक की संतुष्टि के अनुसार सभी "अपने ग्राहक को जानिए" (KYC) आवश्यकताओं को पूरा कर लिया हो;
 - 9.7.2 ग्राहक द्वारा आनी योजना नियमों, सभी संबंधित सहायक दस्तावेजों और इन नियमों और शर्तों का निरंतर अनुपालन किया जा रहा हो।
- 9.8 ग्राहक यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि आनी नामांकन के लिए प्रदान की गई सभी जानकारी, जिसमें प्रॉक्सी पहचानकर्ता एवं विवरण शामिल हैं, सटीक एवं अद्यतित हो, और ऐसी जानकारी में किसी भी बदलाव के बारे में उसे तुरंत बैंक को सूचित करना होगा।
- 9.9 ग्राहक बैंक द्वारा निर्धारित फॉर्म में लिखित या इलेक्ट्रॉनिक निर्देश प्रस्तुत करके आनी से किसी भी प्रॉक्सी पहचानकर्ता या खाते को हटाने का अनुरोध कर सकता है। बैंक निम्नलिखित के अधीन रहते हुए, यथाशीघ्र व्यावहारिक समय के भीतर अनुरोध को संसाधित करेगा: (i) किसी भी बकाया लेनदेन को पूरा करना, (ii) सभी शुल्कों और प्रभारों का निपटान, और (iii) आनी योजना नियमों के तहत किसी भी न्यूनतम नोटिस अवधि, अनुग्रह अवधि (grace period) या डेटा-प्रतिधारण (data-retention) आवश्यकता का अनुपालन।
- 9.10 कोई भी आनी नामांकन या आनी अन-नामांकन, ऐसे नामांकन या अन-नामांकन के प्रभावी समय से पहले शुरू किए गए लेनदेन के संबंध में बैंक या ग्राहक के दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगा।
- 9.11 बैंक ग्राहक को आनी ऐप या बैंक द्वारा अनुमोदित अन्य माध्यमों से स्टेटिक (स्थिर) या डायनेमिक (परिवर्तनशील) क्यूआर कोड बनाने या अन्य आनी उपयोगकर्ताओं के क्यूआर कोड को स्कैन करने में सक्षम बनाएगा।
- 9.12 ग्राहक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा सृजित कोई भी क्यूआर कोड केवल लक्षित भुगतानकर्ता को ही दिया जाए तथा उसमें कोडित की गई (encoded) राशि (जहाँ लागू हो) सही हो।
- 9.13 एक बार आनी द्वारा प्रसंस्करण के लिए स्वीकार किए जाने के बाद क्यूआर कोड भुगतान एक अपरिवर्तनीय भुगतान निर्देश बन जाएगा; ग्राहक को ऐसे निर्देश में संशोधन करने या उसे रद्द करने का कोई अधिकार नहीं होगा, सिवाय उस सीमा के जो आनी योजना नियमों के तहत अनुमत हो।

- 9.14 The Customer shall:
- 9.14.1 keep secure all QR Codes, Proxy Identifiers and credentials used for Aani Services;
- 9.14.2 ensure that only authorized usage of Aani Services and shall be liable for all actions of its usage;
- 9.14.3 monitor Accounts and promptly raise any dispute through the Bank within the timeframe set out in the Aani Scheme Rules;
- 9.14.4 comply with any transaction limits, cut-off times or processing windows imposed by the Bank in accordance with the Aani Scheme Rules;
- 9.14.5 ensure that no transaction submitted through Aani violates the CBUAE's anti-money laundering / countering the financing of terrorism, any applicable sanctions, or any prohibition or restriction under the Aani Scheme Rules, CBUAE regulations, or applicable laws and regulations; and
- 9.14.6 not use Aani Services for any unlawful, fraudulent, or prohibited purpose, including, but not limited to, activities prohibited by the Aani Scheme Rules, CBUAE regulations, or applicable laws and regulations. The Bank may delay, block or refuse to process any Aani transaction without incurring liability if the Bank, acting reasonably, determines that such action is necessary to comply with its legal or regulatory obligations.
- 9.15 The Customer shall cooperate with the Bank and AEP in the event of any investigation, dispute, or incident related to Aani Services and shall provide any information or documentation reasonably requested by the Bank or AEP.
- 9.16 The Bank may charge such Fees for Aani enrolment, Aani unenrollment and QR Code payments. The Bank may debit any such Fees from the relevant Account on the date they fall due.
- 9.17 The Bank may suspend, restrict, or terminate the Customer's access to any Aani Services immediately upon notice if: (i) required by the CBUAE, AEP, or any competent authority, (ii) the Customer breaches the Aani Scheme Rules, any related auxiliary documents, or these Terms and Conditions, (iii) the Bank reasonably suspects fraud, misuse or a security breach, (iv) in the event of system maintenance, upgrades, or downtime, as required by CBUAE or AEP, or (v) the Customer fails to provide any required documentation or re-certification in the event of material changes to the Aani Scheme Rules or the Customer's use of Aani Services. Suspension or termination shall not relieve the Customer of any liability or obligation incurred prior to such action.
- 9.18 The Bank's liability for Aani Services shall be limited to direct and actual damages resulting from the Bank's negligence, misconduct or fraud and shall in no circumstances exceed the aggregate amount of the disputed transaction(s). Under no circumstances shall the Bank be liable for indirect, consequential or punitive damages arising from the unavailability of Aani or any act or omission of AEP or another participant.
- 9.19 The Bank may transmit Customer personal data, including Emirates ID, mobile number, trade-license data, Account and transaction details, to the CBUAE, AEP and any other as required by the applicable laws and regulations, inside and outside the UAE, strictly for the purposes of effecting the relevant Aani transactions and operating the Aani Services in accordance with the Aani Scheme Rules.
- 9.20 Any dispute arising in connection with an Aani Services may, where required under the Aani Scheme Rules, be referred to the dispute-management procedure established by AEP, and the Customer agrees to be bound by the outcome of such procedure.
- 9.14 ग्राहक निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा:
- 9.14.1 आनी सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी क्यूआर कोड, प्रॉक्सी पहचानकर्ताओं एवं क्रेडेंशियल को सुरक्षित रखेगा;
- 9.14.2 यह सुनिश्चित करेगा कि आनी सेवाओं का केवल प्राधिकृत उपयोग हो तथा इसके उपयोग की सभी कार्रवाइयों के लिए उत्तरदायी होगा;
- 9.14.3 खातों की निगरानी करेगा तथा आनी योजना नियमों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर बैंक के माध्यम से किसी भी विवाद को तुरंत उठाएगा;
- 9.14.4 आनी योजना नियमों के अनुसार बैंक द्वारा लागू की गई किसी भी लेनदेन सीमा, कट-ऑफ समय या प्रसंस्करण अवधि का अनुपालन करेगा;
- 9.14.5 यह सुनिश्चित करेगा कि आनी के माध्यम से प्रस्तुत कोई भी लेनदेन संयुक्त अरब अमीरात केंद्रीय बैंक के धन शोधन निवारण / आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने (AML/CFT) के नियमों, किसी भी लागू प्रतिबंध, या आनी योजना नियमों, संयुक्त अरब अमीरात केंद्रीय बैंक के नियमों, या लागू कानूनों एवं विनियमों के अंतर्गत किसी निषेध या प्रतिबंध का उल्लंघन न करे; और
- 9.14.6 आनी सेवाओं का उपयोग किसी भी गैर-कानूनी, धोखाधड़ी या निषिद्ध उद्देश्य के लिए नहीं करेगा, जिसमें आनी योजना नियमों, सीबीयूई विनियमों, या लागू कानूनों और विनियमों द्वारा प्रतिबंधित गतिविधियाँ शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। यदि बैंक, उचित रूप से कार्य करते हुए, यह निर्धारित करता है कि ऐसी कार्रवाई अपने कानूनी या नियामक दायित्वों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक है, तो बैंक बिना कोई दायित्व लिए किसी भी आनी लेनदेन को संसाधित करने में विलंब कर सकता है, अवरुद्ध कर सकता है या इनकार कर सकता है।
- 9.15 ग्राहक आनी सेवाओं से संबंधित किसी भी जांच, विवाद या घटना की स्थिति में बैंक और एईपी के साथ सहयोग करेगा और बैंक या एईपी द्वारा उचित रूप से मांगे गए कोई भी विवरण या दस्तावेज़ प्रदान करेगा।
- 9.16 बैंक आनी नामांकन, आनी नामांकन रद्दीकरण और क्यूआर कोड भुगतानों के लिए शुल्क वसूल कर सकता है। बैंक ऐसे किसी भी शुल्क को देय तिथि पर संबंधित खाते से डेबिट कर सकता है।
- 9.17 बैंक ग्राहक की किसी भी आनी सेवा तक पहुंच को सूचना पर तुरंत निलंबित, प्रतिबंधित या समाप्त कर सकता है यदि: (i) सीबीयूई, एईपी या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा आवश्यक हो, (ii) ग्राहक आनी योजना नियमों, किसी संबंधित सहायक दस्तावेज़, या इन नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करता है, (iii) बैंक को उचित रूप से धोखाधड़ी, दुरुपयोग या सुरक्षा उल्लंघन का संदेह हो, (iv) यूईई केंद्रीय बैंक या एईपी द्वारा अपेक्षित रूप से सिस्टम रखरखाव, अपग्रेड, या डाउनटाइम की स्थिति में, या (v) ग्राहक आनी योजना नियमों या ग्राहक के आनी सेवाओं के उपयोग में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की स्थिति में कोई अपेक्षित दस्तावेज़ीकरण या पुनः-प्रमाणन प्रदान करने में विफल रहता है। निलंबन या समाप्ति ग्राहक को ऐसी कार्रवाई से पहले उत्पन्न हुए किसी भी दायित्व या जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगी।
- 9.18 आनी सेवाओं के लिए बैंक का दायित्व केवल बैंक की लापरवाही, दुराचार या धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाले प्रत्यक्ष और वास्तविक नुकसान तक ही सीमित होगा, और किसी भी परिस्थिति में विवादित लेनदेन (लेनदेनों) की कुल राशि से अधिक नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में बैंक आनी की अनुपलब्धता या एईपी या किसी अन्य प्रतिभागी के किसी कार्य या चूक से उत्पन्न अप्रत्यक्ष, परिणामी या दंडात्मक क्षतियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- 9.19 बैंक ग्राहक के व्यक्तिगत डेटा, जिसमें एमिरेट्स आईडी, मोबाइल नंबर, व्यापार-लाइसेंस डेटा, खाता और लेनदेन विवरण शामिल हैं, यूईई केंद्रीय बैंक, एईपी और लागू कानूनों और विनियमों द्वारा अपेक्षित किसी अन्य को, यूईई के भीतर और बाहर, केवल संबंधित आनी लेनदेन को प्रभावी करने और आनी योजना नियमों के अनुसार आनी सेवाओं को संचालित करने के प्रयोजनों के लिए प्रेषित कर सकता है।
- 9.20 आनी सेवाओं के संबंध में उत्पन्न कोई भी विवाद, जहां आनी योजना नियमों के तहत आवश्यक हो, एईपी द्वारा स्थापित विवाद-प्रबंधन प्रक्रिया के पास भेजा जा सकता है, और ग्राहक ऐसी प्रक्रिया के परिणाम से बाध्य होने के लिए सहमत होता है।

Section 10

WAGES PROTECTION SYSTEM (WPS)

Definitions

"Aani" means the UAE instant payment platform operated by AEP pursuant to the Aani Scheme Rules, as such rules and any auxiliary documents may be amended from time to time and as adopted by the CBUAE.

"Aani App" means the mobile application made available by AEP through which Customers may access Aani Services.

"Aani Core Service" means the Aani system component processing the credit transfer and direct debit claim functionalities.

"Aani Scheme Rules" means Aani Scheme Rules issued by AEP on February 2025, as amended from time to time.

"Aani Services" means, collectively:

- real-time and batch credit transfers initiated or received through the Aani Core Service;
- overlay services, including proxy-based payments, request-to-pay, QR-code payments, electronic direct debit authorisation, and any value-added services published by AEP; and
- any other service made available on Aani from time to time, all as governed by the Aani Scheme Rules and auxiliary documents.

"AEP" means Al Etihad Payments, the operator of Aani and the WPS.

"Domestic Worker" means a natural person sponsored by the Employer under the MOHRE rules.

"Employer" means the Customer in its capacity as an employer processing wages under the WPS for its Employees.

"Employee" includes both employees in Establishments and Domestic Workers, as applicable.

"Establishment" means a company or entity registered with MOHRE and identified by an establishment number or company code.

"MOHRE" means the Ministry of Human Resources and Emiratization of the UAE.

"Person Code" means the unique worker identifier assigned by MOHRE to an Employee.

"Payroll Card" means a prepaid card product permitted by CBUAE for the receipt of wages.

"PDPL" means UAE Federal Decree-Law No. 45 of 2021 regarding the Protection of Personal Data.

"Refund" means an employer-initiated reversal of a previously processed wage transaction in accordance with the processes and formats prescribed by CBUAE and MOHRE under the UAE WPS Rulebook and WPS Scheme Rules.

"Return" means a reversal initiated due to disbursement failure by a receiving agent/financial institution in accordance with the processes prescribed by CBUAE and MOHRE under the UAE WPS and WPS Scheme Rules.

"SIF" means the salary information file, which is uploaded by the Customer through the E-Channel in the format prescribed by the CBUAE, the UAE WPS Rulebook, the WPS Scheme Rules or the Bank.

"Sponsoring Bank" means a sponsoring bank that accepts the Customer request to become Direct Debit Originator, in this case ADIB.

"WPS" means the UAE wages protection system implemented by MOHRE and CBUAE for the preparation, processing, distribution and reporting of wages for eligible Employees.

अनुभाग 10

मजदूरी संरक्षण प्रणाली

परिभाषाएं

"आनी" का अर्थ एईपी द्वारा आनी योजना नियमों के अनुसरण में संचालित यूई तत्काल भुगतान प्लेटफॉर्म से है, जैसा कि इन नियमों और किसी भी सहायक दस्तावेजों को समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है और जैसा कि सीबीयूई द्वारा अपनाया गया है।

"आनी ऐप" का अर्थ एईपी द्वारा उपलब्ध कराया गया मोबाइल एप्लिकेशन जिसके माध्यम से ग्राहक आनी सेवाओं तक पहुंच सकते हैं।

"आनी कोर सेवा" का अर्थ आनी सिस्टम के उस घटक से है जो क्रेडिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट क्लेम कार्यक्षमताओं को संसाधित करता है।

"आनी योजना नियम" का अर्थ फरवरी 2025 में एईपी द्वारा जारी किए गए आनी योजना नियमों से है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

"आनी सेवाएं" का अर्थ सामूहिक रूप से निम्नलिखित से है:

- आनी कोर सेवा के माध्यम से आरंभ किए गए या प्राप्त किए गए रियल-टाइम(तत्काल) और बैच क्रेडिट स्थानांतरण;
- ओवरले सेवाएं, जिनमें शामिल हैं: प्रॉक्सी-आधारित भुगतान, भुगतान अनुरोध, क्यूआर- कोड भुगतान, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्ट डेबिट अनुमोदन। और कोई भी मूल्य-वर्धित सेवाएं जो एईपी द्वारा प्रकाशित की जाती हैं; और
- आनी पर समय-समय पर उपलब्ध कराई जाने वाली कोई भी अन्य सेवा, जो सभी आनी स्कीम नियमों और सहायक दस्तावेजों द्वारा शासित होती हैं।

"एईपी" का अर्थ है अल एतिहाद पेमेंट्स (Al Etihad Payments), आनी और मजदूरी संरक्षण प्रणाली(WPS) का संचालक।

"घरेलू कामगार(Domestic Worker)" का अर्थ है नियोक्ता द्वारा प्रायोजित एक प्राकृतिक व्यक्ति जो मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्रालय(MOHRE) के नियमों के तहत हो।

"नियोक्ता(Employer)" का अर्थ ग्राहक से है जो अपने कर्मचारियों के लिए मजदूरी संरक्षण प्रणाली (WPS) के तहत वेतन/मजदूरी संसाधित करने वाले नियोक्ता की क्षमता में कार्य कर रहा है।

"कर्मचारी(Employee)" में प्रतिष्ठानों में कर्मचारी और घरेलू कामगार दोनों शामिल हैं, जैसा लागू हो।

"प्रतिष्ठान(Establishment)" का अर्थ है मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्रालय(MOHRE) के साथ पंजीकृत एक कंपनी या संस्था जिसे एक प्रतिष्ठान संख्या या कंपनी कोड द्वारा पहचाना जाता है।

"मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्रालय(MOHRE)" का अर्थ है यूई का मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्रालय।

"व्यक्ति कोड (Person Code)" का अर्थ है मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्रालय द्वारा किसी कर्मचारी को आवंटित किए गए विशिष्ट कामगार पहचानकर्ता।

"पेरोल कार्ड(Payroll Card)" का अर्थ है मजदूरी/वेतन प्राप्त करने के लिए सीबीयूई (CBUAE) द्वारा अनुमत प्रीपेड कार्ड उत्पाद।

"पीडीपीएल(PDPL)" अर्थ है यूई संघीय डिक्ली-कानून संख्या 2021 का 45, जो व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण के संबंध में है।

"रिफंड (Refund)" का अर्थ है नियोक्ता द्वारा आरंभित, पहले संसाधित की गई एक मजदूरी लेनदेन की धन वापसी, उन प्रक्रियाओं और प्रारूपों के अनुसार जो निर्धारित हैं यूई केंद्रीय बैंक और मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्रालय द्वारा यूई मजदूरी संरक्षण प्रणाली नियमपुस्तिका और मजदूरी संरक्षण प्रणाली योजना नियमों के तहत।

"वापसी" का अर्थ है किसी प्राप्तकर्ता एजेंट/वित्तीय संस्थान द्वारा संवितरण विफलता के कारण आरंभ की गई धन वापसी, उन प्रक्रियाओं के अनुसार जो यूई केंद्रीय बैंक और मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्रालय द्वारा यूई मजदूरी संरक्षण प्रणाली और मजदूरी संरक्षण प्रणाली योजना नियमों के तहत निर्धारित हैं।

"एसआईएफ(SIF)" का अर्थ है वेतन जानकारी फाइल(salary information file), जिसे ग्राहक द्वारा ई-चैनल के माध्यम से यूई केंद्रीय बैंक, यूई मजदूरी संरक्षण प्रणाली नियमपुस्तिका, मजदूरी संरक्षण प्रणाली योजना नियमों या बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपलोड किया जाता है।

"प्रायोजक बैंक(Sponsoring Bank)" का अर्थ है एक प्रायोजक बैंक जो ग्राहक के डायरेक्ट डेबिट ओरिजिनेटर बनने के अनुरोध को स्वीकार करता है, इस मामले में अबू धाबी इस्लामिक बैंक है।

"मजदूरी संरक्षण प्रणाली(WPS)" का अर्थ है मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्रालय और यूई केंद्रीय बैंक द्वारा पात्र कर्मचारियों के लिए मजदूरी की तैयारी, प्रसंस्करण, वितरण और रिपोर्टिंग के लिए कार्यान्वित यूई मजदूरी संरक्षण प्रणाली।

"WPS Agent" means a financial institution or exchange business authorised under CBUAE regulations to disburse salaries under the WPS.

"WPS Data" means any data relating to the Customer, its Employees, wage details, payment status, compliance and reporting processed for or through the WPS.

"WPS Operator" means AEP.

"WPS Scheme Rules" means the WPS scheme rules issued by the WPS Operator from time-to-time governing participation and operation of the WPS (including the Salary Orchestration Layer), together with any ancillary documents as updated or replaced from time to time.

Specific Terms for the Wages Protection System

- 10.1** The Wages Protection System (WPS) is the salary preparation, processing, distribution and reporting framework implemented by MOHRE and CBUAE for private sector employees in the UAE. The Bank will, at the Customer's request and subject to these Terms and Conditions, facilitate the Customer's wage payments and related reporting through the UAEWPS. If any provision of these Terms and Conditions conflict with a mandatory provision of the UAE WPS Rulebook, the WPS Scheme Rules issued by the WPS Operator, or any binding directives or instruments issued by MOHRE or the CBUAE regulating the WPS, such mandatory provisions shall prevail to the extent permissible under Islamic Shari'a.
- 10.2** The Customer's access to the WPS services may be provided through the Bank's available E-Channels and, where available, via the WPS Salary Orchestration Layer. The Customer authorizes the Bank to retrieve the Customer's and any employee or domestic worker's WPS information, including employee identification data (such as Emirates ID, passport number or other identifiers) and status data from MOHRE for salary initiation, notifications and reporting.
- 10.3** Wage funding, settlement, splitting of payment requests to the WPS Agents, Returns and Refunds are governed by the processes, timeframes and the applicable formats and files recognized under the UAE WPS Rulebook and WPS Scheme Rules. Where WPS or a competent authority rejects, delays or requires resubmission, the Customer must correct and resubmit the relevant information. The Bank is not responsible for delays or failures attributable to WPS, MOHRE, CBUAE, the WPS Agents, the WPS Operator or receiving institutions handling Employees' accounts.
- 10.4** The Customer authorizes the Bank to collect, process, store and transmit WPS Data to MOHRE, CBUAE, the WPS Operator and authorized WPS Agents for WPS purposes, including for compliance, monitoring and reporting purposes, incident and dispute management. The Customer is responsible for providing required notices to, and obtaining any required consents or authorities from, its Employees in order to enable lawful WPS processing and disclosures. The Bank may be required to locally store WPS Data and related records within the UAE and to make such data available to MOHRE, CBUAE and/or the WPS Operator.
- 10.5** The Bank will process the personal data in accordance with the applicable UAE laws relating to personal data and all other legislation and regulatory requirements in force from time to time which apply to the Bank relating to the use of personal data (including, without limitation, the PDPL and any data sovereignty requirements mandated by MOHRE, CBUAE and/or the WPS Operator).
- 10.6** The Bank may require multi-factor authentication, UAE PASS, Emirates ID or MOHRE login, and role-based access controls to secure system access. Maker-checker controls may be enabled, where applicable,

"मजदूरी संरक्षण प्रणाली एजेंट(WPS Agent)" का अर्थ है एक वित्तीय संस्थान या एक्सचेंज व्यवसाय जो यूएई केंद्रीय बैंक के विनियमों के तहत मजदूरी संरक्षण प्रणाली के तहत वेतन का वितरित करने के लिए अधिकृत है।

"मजदूरी संरक्षण प्रणाली डेटा" का अर्थ है ग्राहक, उसके कर्मचारियों, मजदूरी विवरण, भुगतान स्थिति, अनुपालन और रिपोर्टिंग से संबंधित कोई भी डेटा जो मजदूरी संरक्षण प्रणाली के लिए या उसके माध्यम से संसाधित किया जाता है।

"मजदूरी संरक्षण प्रणाली संचालक(WPS Operator)" का अर्थ है एईपी।

"वेतन संरक्षण प्रणाली योजना नियम(WPS Scheme Rules)" का अर्थ है वेतन संरक्षण प्रणाली संचालक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए वेतन संरक्षण प्रणाली योजना नियम जो वेतन संरक्षण प्रणाली (वेतन समन्वयन परत सहित) में भागीदारी और संचालन को नियंत्रित करते हैं, साथ ही समय-समय पर अपडेट या बदले जाने वाले कोई भी सहायक दस्तावेज़।

मजदूरी संरक्षण प्रणाली के लिए विशिष्ट शर्तें

- 10.1** वेतन सुरक्षा प्रणाली, संयुक्त अरब अमीरात में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्रालय तथा संयुक्त अरब अमीरात केंद्रीय बैंक द्वारा लागू वेतन तैयारी, प्रसंस्करण, वितरण और रिपोर्टिंग की रूपरेखा है। बैंक, ग्राहक के अनुरोध पर और इन नियमों और शर्तों के अधीन, संयुक्त अरब अमीरात वेतन संरक्षण प्रणाली के माध्यम से ग्राहक के वेतन भुगतान और संबंधित रिपोर्टिंग को सुगम बनाएगा। यदि इन नियमों और शर्तों का कोई प्रावधान संयुक्त अरब अमीरात वेतन संरक्षण प्रणाली नियमपुस्तिका के किसी अनिवार्य प्रावधान, वेतन संरक्षण प्रणाली संचालक द्वारा जारी वेतन संरक्षण प्रणाली योजना नियमों, या वेतन संरक्षण प्रणाली को विनियमित करने वाले मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्रालय या संयुक्त अरब अमीरात केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किसी बाध्यकारी निर्देश या दस्तावेज़ से टकराता है, तो ऐसे अनिवार्य प्रावधान इस्लामिक शरिया के तहत अनुमत सीमा तक मान्य होंगे।
- 10.2** वेतन संरक्षण प्रणाली सेवाओं तक ग्राहक की पहुँच बैंक के उपलब्ध ई-चैनलों के माध्यम से और, जहाँ उपलब्ध हो, वेतन संरक्षण प्रणाली वेतन समन्वयन परत के माध्यम से प्रदान की जा सकती है। ग्राहक बैंक को वेतन की शुरुआत, सूचनाओं और रिपोर्टिंग के लिए मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्रालय से ग्राहक की और किसी भी कर्मचारी या घरेलू कामगार की वेतन संरक्षण प्रणाली जानकारी प्राप्त करे, जिसमें कर्मचारी पहचान डेटा (जैसे अमीरात आईडी, पासपोर्ट नंबर या अन्य पहचानकर्ता) और स्थिति डेटा (status data) शामिल हैं, प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है।
- 10.3** वेतन वित्तपोषण, निपटान, वेतन संरक्षण प्रणाली एजेंटों को भुगतान अनुरोधों का विभाजन, प्रतिदाय और धनवापसी उन प्रक्रियाओं, समय-सीमाओं तथा लागू प्रारूपों और फाइलों द्वारा शासित होते हैं जो संयुक्त अरब अमीरात वेतन संरक्षण प्रणाली नियमपुस्तिका और वेतन संरक्षण प्रणाली योजना नियमों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हैं। जहाँ वेतन संरक्षण प्रणाली या कोई सक्षम प्राधिकरण अस्वीकार करता है, विलंब करता है या पुनः प्रस्तुतीकरण की मांग करता है, वहाँ ग्राहक को संबंधित जानकारी को सुधारना और पुनः प्रस्तुत करना होगा। वेतन संरक्षण प्रणाली, मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्रालय, संयुक्त अरब अमीरात केंद्रीय बैंक, वेतन संरक्षण प्रणाली एजेंटों, वेतन संरक्षण प्रणाली संचालक या कर्मचारियों के खातों को संभालने वाले प्राप्तकर्ता संस्थानों के कारण होने वाले विलंबों या विफलताओं के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।
- 10.4** वेतन संरक्षण प्रणाली के प्रयोजनों के लिए, जिसमें अनुपालन, निगरानी और रिपोर्टिंग प्रयोजन, घटना और विवाद प्रबंधन शामिल हैं, वेतन संरक्षण प्रणाली डेटा को एकत्र, संसाधित, संग्रहीत करे और मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्रालय, संयुक्त अरब अमीरात केंद्रीय बैंक, वेतन संरक्षण प्रणाली संचालक और प्राधिकृत वेतन संरक्षण प्रणाली एजेंटों को प्रेषित करने के लिए ग्राहक बैंक को अधिकृत करता है। वैध वेतन संरक्षण प्रणाली प्रसंस्करण और प्रकटीकरण को सक्षम बनाने के लिए ग्राहक अपने कर्मचारियों को आवश्यक सूचनाएँ प्रदान करने और उनसे कोई भी आवश्यक सहमति या अधिकार प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है। बैंक के लिए वेतन संरक्षण प्रणाली डेटा और संबंधित अभिलेखों को संयुक्त अरब अमीरात के भीतर स्थानीय रूप से संग्रहीत करना और ऐसे डेटा को मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्रालय, संयुक्त अरब अमीरात केंद्रीय बैंक और/या वेतन संरक्षण प्रणाली संचालक को उपलब्ध कराना आवश्यक हो सकता है।
- 10.5** बैंक व्यक्तिगत डेटा से संबंधित लागू यूएई कानूनों और समय-समय पर लागू होने वाले अन्य सभी विधानों और नियामक आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करेगा जो व्यक्तिगत डेटा के उपयोग से संबंधित बैंक पर लागू होते हैं (जिसमें बिना किसी सीमा के, पीडीपीएल (PDPL) और एमओएचआरई, सीबीयूई और/या डब्ल्यूपीएस ऑपरेटर द्वारा अनिवार्य कोई भी डेटा संप्रभुता आवश्यकताएँ शामिल हैं)।
- 10.6** बैंक सिस्टम पहुँच को सुरक्षित करने के लिए बहु-कारक प्रमाणीकरण, यूएई पास(UAE PASS), अमीरात आईडी या मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्रालय लॉगिन, और भूमिका-आधारित पहुँच नियंत्रण की मांग कर सकता है। मेकर-चेकर नियंत्रण, जहाँ लागू हो, सक्षम किए जा सकते हैं,

for transactions initiated by an Establishment, requiring transaction to be initiated by one user and approved by another to prevent errors or fraud. For a Domestic Employee's payroll transactions under the WPS, maker-checker controls are not available unless otherwise mandated by CBUAE, MOHRE or the WPS Operator.

- 10.7** Subject to CBUAE rules, the WPS Scheme Rules and the Bank's ability to do so, wage disbursements may be made to bank accounts (based on the Employee's IBAN), Digital Wallets, Payroll Cards or other permitted cash disbursement networks. For each pay cycle, the Customer shall specify a single payment account for each Employee, and the entire net salary for that cycle will be credited to that account. Splitting a salary across multiple accounts or payment channels is not permitted.
- 10.8** The Bank may refuse, suspend or delay any WPS processing, including file or API submissions, Refunds or Returns, if required, by law, regulation, the UAE WPS Rulebook, the WPS Scheme Rules or in cases of suspected fraud, sanctions or abuse, insufficient funds, technical or security failures, breaches of any rules relating to WPS, data protection risks, operational issues or Customer's non-compliance. Where practicable, the Bank will notify the Customer and may require remedial action. Processing will resume once the issue is resolved. The Bank is not liable for delays caused by WPS, MOHRE, CBUAE, the WPS Operator, WPS Agents or receiving institutions.
- 10.9** The Bank provides WPS technical support for incidents attributable to its systems, interfaces, or E-Channels according to the UAE WPS Rulebook's and the WPS Scheme Rules' support matrix, with defined response, fix, and resolution targets. The Bank will communicate and report incidents in line with these priorities and perform post-incident reviews. These service levels do not apply where the primary cause is: (i) outages or processing delays attributable to MOHRE, CBUAE, the WPS Operator or any WPS Agent; (ii) issues with the Customer's systems, connectivity, credentials or non-conforming submissions; (iii) Force Majeure; or (iv) planned maintenance for which the Bank has provided reasonable prior notice (or urgent maintenance required for security or stability, in which case notice will be given as soon as practicable). The Customer acknowledges that WPS may not operate on a 24-hour, 7-day-a-week basis, while the Salary Orchestration Layer is intended to be available on a 24-hour, 7-day-a-week, in each case subject to planned/unplanned downtime of WPS.
- 10.10** The Bank's WPS service provides a regulated payment and reporting infrastructure only. It validates submissions, forwards funds and wage details, performs recipient-account checks, provides payment status updates, reports to MOHRE/CBUAE and routes complaints. It does not include payroll calculation, wage determination, Human Resource or employment law advice or labour law compliance. Pay slips, other outputs and both employer and employee reports are based on data submitted by the Customer or retrieved from MOHRE via the Salary Orchestration Layer. The Bank shall have no liability for the content of any pay slip or report generated from MOHRE. The Customer remains solely responsible for payroll accuracy, employee eligibility, WPS compliance and resolving employment disputes through MOHRE. Where the Bank enables the Customer to edit an Employee's payment information (for example, the amount, IBAN, or card number) prior to submission, the Bank may require the Customer to provide a justification for such edit and may record and report that justification to MOHRE in accordance with the WPS Scheme Rules.

किसी प्रतिष्ठान द्वारा आरंभ किए गए लेनदेनों के लिए, जिसमें लेनदेन को एक उपयोगकर्ता द्वारा आरंभ किए जाने और दूसरे द्वारा अनुमोदित किए जाने की अपेक्षा होती है ताकि त्रुटियाँ या धोखाधड़ी को रोका जा सके। वेतन संरक्षण प्रणाली के अंतर्गत किसी घरेलू कर्मचारी के वेतन लेनदेनों के लिए, मेकर-चेकर नियंत्रण उपलब्ध नहीं हैं, जब तक कि संयुक्त अरब अमीरात केंद्रीय बैंक, मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्रालय या वेतन संरक्षण प्रणाली संचालक द्वारा अन्यथा अनिवार्य न किया गया हो।

- 10.7** संयुक्त अरब अमीरात केंद्रीय बैंक के नियमों, वेतन संरक्षण प्रणाली योजना नियमों और बैंक की ऐसा करने की क्षमता के अधीन, वेतन संचालन बैंक खातों (कर्मचारी के आईबीएन के आधार पर), डिजिटल वॉलेट, पेरोल कार्ड या अन्य अनुमत नकद संचालन नेटवर्कों में किए जा सकते हैं। प्रत्येक वेतन चक्र के लिए, ग्राहक प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक एकल भुगतान खाता निर्दिष्ट करेगा, और उस चक्र का संपूर्ण शुद्ध वेतन उस खाते में जमा किया जाएगा। एक वेतन को कई खातों या भुगतान चैनलों में विभाजित करने की अनुमति नहीं है।
- 10.8** बैंक किसी भी वेतन संरक्षण प्रणाली प्रसंस्करण को, जिसमें फाइल या एपीआई प्रस्तुतीकरण, धनवापसी या प्रतिदाय शामिल हैं, अस्वीकार, निलंबित या विलंबित कर सकता है, यदि कानून, विनियमन, संयुक्त अरब अमीरात वेतन संरक्षण प्रणाली नियमपुस्तिका, वेतन संरक्षण प्रणाली योजना नियमों द्वारा ऐसा आवश्यक हो या संदिग्ध धोखाधड़ी, प्रतिबंधों या दुरुपयोग, अपर्याप्त धन, तकनीकी या सुरक्षा विफलताओं, वेतन संरक्षण प्रणाली से संबंधित किसी नियम के उल्लंघन, डेटा संरक्षण जोखिमों, परिचालन संबंधी मुद्दों या ग्राहक के गैर-अनुपालन के मामलों में हो। जहाँ व्यावहारिक हो, बैंक ग्राहक को सूचित करेगा और उपचारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा कर सकता है। समस्या का समाधान होने के बाद प्रसंस्करण फिर से शुरू हो जाएगा। बैंक वेतन संरक्षण प्रणाली, मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्रालय, संयुक्त अरब अमीरात केंद्रीय बैंक, वेतन संरक्षण प्रणाली संचालक, वेतन संरक्षण प्रणाली एजेंटों या प्राप्तकर्ता संस्थानों के कारण होने वाले विलंबों के लिए उत्तरदायी नहीं है।
- 10.9** बैंक यूई वेतन संरक्षण प्रणाली नियमपुस्तिका र वेतन संरक्षण प्रणाली योजना नियमों के सपोर्ट मैट्रिक्स के अनुसार अपने सिस्टम, इंटरफेस या ई-चैनलों के कारण होने वाली घटनाओं के लिए वेतन संरक्षण प्रणाली तकनीकी सहायता प्रदान करता है, जिसमें प्रतिक्रिया, फिक्स और समाधान के लक्ष्य परिभाषित हैं। बैंक इन प्राथमिकताओं के अनुरूप घटनाओं की सूचना और रिपोर्ट देगा घटना के बाद की समीक्षा करेगा। ये सेवा स्तर वहाँ लागू नहीं होते जहाँ प्राथमिक कारण हो: (i) मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्रालय, संयुक्त अरब अमीरात केंद्रीय बैंक, वेतन संरक्षण प्रणाली संचालक या किसी वेतन संरक्षण प्रणाली एजेंट के कारण होने वाली सेवा में रुकावट या प्रसंस्करण विलंब; (ii) ग्राहक के सिस्टम, कनेक्टिविटी, क्रेडेंशियल या गैर-अनुरूप प्रस्तुतीकरणों से संबंधित मुद्दे; (iii) अप्रत्याशित घटना; या (iv) नियोजित रखरखाव जिसके लिए बैंक ने उचित पूर्व सूचना दी है (या सुरक्षा या स्थिरता के लिए आवश्यक तत्काल रखरखाव, जिस स्थिति में सूचना यथाशीघ्र व्यवहार्य रूप से दी जाएगी)। ग्राहक स्वीकार करता है कि वेतन संरक्षण प्रणाली 24-घंटे, सप्ताह के 7-दिन के आधार पर परिचालित नहीं हो सकती, जबकि वेतन समन्वयन परत का उद्देश्य 24-घंटे, सप्ताह के 7-दिन उपलब्ध रहना है, जो प्रत्येक मामले में वेतन संरक्षण प्रणाली के नियोजित/अनियोजित डाउनटाइम के अधीन है।
- 10.10** बैंक की वेतन संरक्षण प्रणाली सेवा केवल एक विनियमित भुगतान और रिपोर्टिंग अवसरचना प्रदान करती है। यह सबमिशन (प्रस्तुतियों) को मान्य करती है, धन और वेतन विवरणों को आगे भेजती है, प्राप्तकर्ता खातों की जाँच करती है, भुगतान की स्थिति के अपडेट प्रदान करती है, मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्रालय/सीबीयूई को रिपोर्ट करती है और शिकायतों को उचित मार्ग पर भेजती है। इसमें वेतन गणना, वेतन निर्धारण, मानव संसाधन या रोजगार कानून सलाह या श्रम कानून अनुपालन शामिल नहीं है। वेतन पर्ची (Pay slips), अन्य आउटपुट और नियोजता एवं कर्मचारी दोनों की रिपोर्ट ग्राहक द्वारा प्रस्तुत डेटा या सैलरी ऑर्केस्ट्रेशन लेयर के माध्यम से मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्रालय से प्राप्त डेटा पर आधारित होती है। मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्रालय से उत्पन्न किसी भी वेतन पर्ची या रिपोर्ट की सामग्री के लिए बैंक का कोई दायित्व नहीं होगा। वेतन की सटीकता, कर्मचारी की पात्रता, वेतन संरक्षण प्रणाली अनुपालन और मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्रालय के माध्यम से रोजगार विवादों को हल करने के लिए ग्राहक पूरी तरह से और अकेले जिम्मेदार रहेगा। जहाँ बैंक ग्राहक को सबमिशन से पहले कर्मचारी की भुगतान जानकारी (जैसे कि राशि, आईबीएन/IBAN, या कार्ड नंबर) को संपादित करने में सक्षम बनाता है, वहाँ बैंक ग्राहक से ऐसे संपादन के लिए औचित्य प्रदान करने की मांग कर सकता है और वेतन संरक्षण प्रणाली योजना नियमों के अनुसार उस औचित्य को रिकॉर्ड करके मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्रालय को रिपोर्ट कर सकता है।

Bank's and Customer's Obligations

- 10.11** The Customer shall execute and provide all documentation required by ADIB, in form and substance acceptable to ADIB, for the purpose of processing salary payments through the WPS. All submissions shall be duly signed and stamped by the Customer's authorized signatory and include:
- A.** for initial WPS registration, a completed Cash Management Application Form containing the registration Information (including, where applicable, information required for Salary Orchestration Layer onboarding); and
- B.** the Salary Information File (SIF), and the Customer shall upload each SIF only once to prevent duplication. Non-conforming SIFs will be returned with notice to the Customer through the E-Channel.
- 10.12** The Customer shall ensure sufficient cleared funds in its account to cover the total salary amount, fees and charges before each SIF's submission or the relevant cut-off time as communicated by the WPS Operator. Upon receipt of a SIF, ADIB will validate that the total payable amount corresponds with the available balance in the Customer's account. Following validation, ADIB may reserve or debit the corresponding funds from the Customer's account to secure payment prior to onward processing through the WPS.
- 10.13** Upon successful validation, ADIB will transmit the wage details and the corresponding secured funds to CBUAE through the WPS. ADIB will credit the Employees' accounts based on the Employee's IBAN specified in the approved SIF after confirmation and receipt of funds from CBUAE. ADIB will not verify the authenticity or accuracy of an Employee data provided in the SIF.
- 10.14** If a SIF or transaction is rejected by the WPS Operator, ADIB shall notify the Customer (where practicable). The Customer is solely responsible for correcting and resubmitting the accurate SIF for further processing.
- 10.15** If a receiving agent returns a salary payment (for example, due to closed or invalid account), ADIB shall credit the Customer's account upon receipt of funds and, where available, provide the reason for return. Refund requests are permitted only for SIFs originally submitted by the Customer through ADIB, must follow the formats and processes prescribed under the UAE WPS Rulebook and/or WPS Scheme Rules (including any request for refund file or refund request response file process), and will be processed and credited only after ADIB receives the corresponding Refund via the WPS. Where applicable, ADIB shall notify MOHRE of the Refund outcomes using the prescribed refund reporting APIs, in accordance with the WPS Scheme Rules.
- 10.16** The Customer represents and warrants that all information provided, including Employees' identifiers (name, passport number, date of birth, nationality, and other WPS Data), is true, complete and current. The Customer shall promptly notify ADIB of any change or inaccuracy and shall not split any Employee's wage across multiple destinations in a pay cycle.
- 10.17** ADIB may conduct due diligence to monitor the WPS's activity and report any non-compliance to CBUAE, MOHRE and/or the WPS Operator. The Customer shall cooperate with the Bank and the governmental authorities and authorize the Bank to facilitate its registration with MOHRE, including transmission of all required confirmations and identifiers (Establishment's number, Person Code, Emirates ID).
- 10.18** Where an API or Salary Orchestration Layer submissions is enabled, the Customer shall comply with all technical, security, timing and format parameters prescribed by the Bank and the WPS Scheme Rules. The Bank may reject or require resubmission of non-conforming data and may require justification for edits to salary amounts or Employee payment information (such as the Employee's IBAN or payroll card number). Such justification may be recorded and reported to MOHRE in accordance with the WPS Scheme Rules.

बैंक और ग्राहक के दायित्व

- 10.11** ग्राहक वेतन संरक्षण प्रणाली के माध्यम से वेतन भुगतान संसाधित करने के प्रयोजन के लिए एडीआईबी द्वारा अपेक्षित सभी दस्तावेज, एडीआईबी को स्वीकार्य रूप और सार में, निष्पादित और प्रदान करेगा। वेतन संरक्षण प्रणाली के माध्यम से वेतन भुगतान संसाधित करने के लिए। सभी सबमिशन ग्राहक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहरबंद (signed and stamped) होने चाहिए और उनमें निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:
- A.** प्रारंभिक वेतन संरक्षण प्रणाली पंजीकरण के लिए, एक पूर्ण नकद प्रबंधन आवेदन फॉर्म जिसमें पंजीकरण जानकारी शामिल हो (जिसमें, जहाँ लागू हो, सैलरी ऑर्केस्ट्रेशन लेयर ऑनबोर्डिंग के लिए आवश्यक जानकारी शामिल है); और
- B.** वेतन सूचना फाइल (SIF - Salary Information File), और ग्राहक दोहराव को रोकने के लिए प्रत्येक एसआईएफ (SIF) को केवल एक बार ही अपलोड करेगा। गैर-अनुरूप (त्रुटिपूर्ण) एसआईएफ को ई-चैनल के माध्यम से ग्राहक को नोटिस के साथ वापस कर दिया जाएगा।
- 10.12** ग्राहक प्रत्येक SIF की प्रस्तुति या वेतन संरक्षण प्रणाली संचालक द्वारा सूचित संबंधित कट-ऑफ समय से पहले कुल वेतन राशि, शुल्क और प्रभारों को कवर करने के लिए अपने खाते में पर्याप्त निष्कासित धन सुनिश्चित करेगा। किसी एसआईएफ की प्राप्ति पर, एडीआईबी यह मान्य करेगा कि कुल देय राशि ग्राहक के खाते में उपलब्ध शेष के अनुरूप है। सत्यापन के बाद, एडीआईबी वेतन संरक्षण प्रणाली के माध्यम से आगे के प्रसंस्करण से पहले भुगतान सुरक्षित करने के लिए ग्राहक के खाते से संबंधित धनराशि को आरक्षित (reserve) या डेबिट कर सकता है।
- 10.13** सफल सत्यापन के बाद, एडीआईबी वेतन संरक्षण प्रणाली के माध्यम से वेतन विवरण और संबंधित सुरक्षित धनराशि को सीबीयूई (CBUAE) को प्रेषित करेगा। सीबीयूई से धन की पुष्टि और प्राप्ति के बाद, एडीआईबी अनुमोदित एसआईएफ में निर्दिष्ट कर्मचारी के आईबीएन (IBAN) के आधार पर कर्मचारियों के खातों में राशि जमा करेगा। एडीआईबी एसआईएफ में प्रदान किए गए कर्मचारी डेटा की प्रामाणिकता या सटीकता की पुष्टि नहीं करेगा।
- 10.14** यदि वेतन संरक्षण प्रणाली ऑपरेटर द्वारा एसआईएफ या लेनदेन को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो एडीआईबी ग्राहक को (जहाँ व्यावहारिक हो) सूचित करेगा। आगे के प्रसंस्करण के लिए सही और सटीक एसआईएफ को संशोधित और पुनः प्रस्तुत करना होगा, इसके लिए केवल ग्राहक जिम्मेदार है।
- 10.15** यदि कोई प्राप्तकर्ता एजेंट कोई वेतन भुगतान लौटाता है (उदाहरण के लिए, बंद या अमान्य खाते के कारण), तो एडीआईबी धन की प्राप्ति पर ग्राहक के खाते में राशि जमा करेगा और, जहाँ उपलब्ध हो, वापसी का कारण प्रदान करेगा। वापसी अनुरोध केवल उन एसआईएफ के लिए अनुमत हैं जो मूल रूप से ग्राहक द्वारा एडीआईबी के माध्यम से प्रस्तुत किए गए थे, इन्हें यूई वेतन संरक्षण प्रणाली नियमपुस्तिका और/या वेतन संरक्षण प्रणाली स्कीम नियमों (किसी भी वापसी अनुरोध फाइल या वापसी अनुरोध प्रतिक्रिया फाइल प्रक्रिया सहित) के तहत निर्धारित प्रारूपों और प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, और इन्हें केवल एडीआईबी द्वारा वेतन संरक्षण प्रणाली के माध्यम से संबंधित वापसी प्राप्त करने के बाद ही संसाधित और जमा किया जाएगा। जहाँ लागू हो, एडीआईबी वेतन संरक्षण प्रणाली स्कीम नियमों के अनुसार निर्धारित वापसी रिपोर्टिंग एपीआई का उपयोग करके मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्रालय को रिफंड के परिणामों की सूचना देगा।
- 10.16** ग्राहक अभिवचन और वारंटी देता है कि प्रदान की गई सभी जानकारी, जिसमें कर्मचारियों के पहचानकर्ता (नाम, पासपोर्ट नंबर, जन्म तिथि, राष्ट्रियता, और अन्य वेतन संरक्षण प्रणाली डेटा) शामिल हैं, सत्य, पूर्ण और सामयिक है। ग्राहक किसी भी परिवर्तन या अशुद्धि के बारे में एडीआईबी को तुरंत सूचित करेगा और एक वेतन चक्र में किसी भी कर्मचारी के वेतन को कई गंतव्यों (accounts) में विभाजित नहीं करेगा।
- 10.17** एडीआईबी वेतन संरक्षण प्रणाली की गतिविधि की निगरानी करने और किसी भी गैर-अनुपालन को सीबीयूई, मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्रालय और/या वेतन संरक्षण प्रणाली संचालक को रिपोर्ट करने के लिए उचित तत्परता कर सकता है। ग्राहक बैंक और सरकारी अधिकारियों के साथ सहयोग करेगा और बैंक को मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्रालय के साथ अपने पंजीकरण को सुगम बनाने के लिए अधिकृत करेगा, जिसमें सभी अपेक्षित पुष्टियाँ और पहचानकर्ताओं (स्थापना संख्या, व्यक्ति कोड, एमिरेट्स आईडी) का प्रेषण शामिल है।
- 10.18** जहाँ एपीआई या वेतन समन्वयन परत प्रस्तुतियाँ सक्षम हैं, वहाँ ग्राहक बैंक और वेतन संरक्षण प्रणाली स्कीम नियमों द्वारा निर्धारित सभी तकनीकी, सुरक्षा, समय और प्रारूप मापदंडों का अनुपालन करेगा। बैंक गैर-अनुरूप डेटा को अस्वीकार कर सकता है या उसे पुनः प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है और वेतन राशियों या कर्मचारी भुगतान जानकारी (जैसे कर्मचारी का IBAN या वेतन कार्ड नंबर) में संपादन के लिए औचित्य की मांग कर सकता है। ऐसे औचित्य को वेतन संरक्षण प्रणाली स्कीम नियमों के अनुसार रिकॉर्ड और मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्रालय को रिपोर्ट किया जा सकता है।

- 10.19** Any dispute or claim between the Customer and its Employees concerning employment or wage entitlements remains strictly between them. The Bank, CBUAE, MOHRE, the WPS Operator or any WPS processor shall have no liability or involvement in such matters. Employee complaints shall be referred to MOHRE through its designated channels.
- 10.20** The Customer shall not use the WPS for unlawful, fraudulent or sanctions-prohibited purposes and shall cooperate with ADIB's AML/CFT and sanctions compliance measures. The Bank may delay, block or refuse instructions where necessary to meet legal or regulatory obligations, including any instruction or corrective measure mandated under the UAE WPS Rulebook or WPS Scheme Rules.
- 10.21** All WPS's transactions executed by the Bank on the Customer's instructions are at the Customer's sole risk and cost. The Bank shall not be liable for non-execution, delay or error resulting from circumstances beyond its control, including those involving WPS, WPS Operator CBUAE, MOHRE, WPS Agents or any technical failures, or the acts, omissions or unavailability of the WPS Operator or WPS-related systems.
- ADIB's liability in this context is limited to direct and actual loss arising from its proven negligence, fraud or misconduct, and excludes indirect or consequential loss or any amount in the nature of interest. The Customer shall indemnify ADIB against any actual loss, penalty, or cost (excluding any late payment penalties, opportunity costs and any amounts in the nature of interest) arising from:
- A. the Customer's breach of any WPS or labour-law obligations;
 - B. provision of inaccurate or unlawful data;
 - C. employment disputes; or
 - D. processing carried out in accordance with valid Customer instructions and applicable WPS procedures.
- 10.22** All fees relating to WPS processing, Returns, Refunds, reports, and support shall apply as per ADIB's Schedule of Charges. Governmental, operator (including WPS Operator) or carrier fees are for the Customer's account.
- 10.23** WPS's services are subject to modification by MOHRE, CBUAE and/or the WPS Operator. ADIB may update its processes, requirements or E-Channels as reasonably necessary, with notice where practicable. ADIB may suspend or terminate a WPS's access where required by law or by MOHRE, CBUAE and/or the WPS Operator, in case of material non-compliance, suspected fraud, sanctions risk or repeated operational failures. ADIB or the Customer may terminate the WPS's service with one (1) month's written notice. Closure of the Customer's account will automatically revoke the WPS's service. The Customer shall promptly inform its Employees of any termination or cancellation and arrange alternative means of salary payment. Suspension or termination shall not affect accrued obligations or previously initiated transactions.
- 10.24** The Customer acknowledges that the Bank may update these terms and conditions to comply with MoHRE directives, Central Bank rules, and/or WPS upgrades.

- 10.19** रोजगार या वेतन पात्रता के संबंध में ग्राहक और उसके कर्मचारियों के बीच कोई भी विवाद या दावा पूर्णतः उनके बीच ही रहेगा। बैंक, सीबीयूएई, मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्रालय, वेतन संरक्षण प्रणाली संचालक या किसी भी वेतन संरक्षण प्रणाली प्रोसेसर का ऐसे मामलों में कोई दायित्व या संलिप्तता नहीं होगी। कर्मचारियों की शिकायतों को उनके निर्दिष्ट चैनलों के माध्यम से मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्रालय के पास भेजा जाएगा।
- 10.20** ग्राहक वेतन संरक्षण प्रणाली का उपयोग गैरकानूनी, धोखाधड़ी-पूर्ण या प्रतिबंध-निषिद्ध प्रयोजनों के लिए नहीं करेगा और एडीआईबी के एएमएल/सीएफटी और प्रतिबंध अनुपालन उपायों के साथ सहयोग करेगा। बैंक कानूनी या नियामक दायित्वों को पूरा करने के लिए जहां आवश्यक हो, निर्देशों में विलंब कर सकता है, उन्हें अवरुद्ध कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है, जिसमें यूएई वेतन संरक्षण प्रणाली नियमपुस्तिका या वेतन संरक्षण प्रणाली स्कीम नियमों के तहत अनिवार्य कोई भी निर्देश या सुधारात्मक उपाय शामिल है।
- 10.21** ग्राहक के निर्देशों पर बैंक द्वारा निष्पादित सभी वेतन संरक्षण प्रणाली लेनदेन ग्राहक के एकमात्र जोखिम और लागत पर होंगे। बैंक अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाले किसी भी गैर-निष्पादन, विलंब या त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिनमें मजदूरी संरक्षण प्रणाली, मजदूरी संरक्षण प्रणाली संचालक, संयुक्त अरब अमीरात केंद्रीय बैंक, मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्रालय, मजदूरी संरक्षण प्रणाली एजेंटों से संबंधित परिस्थितियाँ या कोई तकनीकी विफलताएँ, या मजदूरी संरक्षण प्रणाली संचालक या मजदूरी संरक्षण प्रणाली से संबंधित प्रणालियों के कार्य, लोप या अनुपलब्धता शामिल हैं।
- इस संदर्भ में एडीआईबी का दायित्व उसकी प्रमाणित लापरवाही, धोखाधड़ी या दुराचार से उत्पन्न होने वाले प्रत्यक्ष और वास्तविक नुकसान तक सीमित है, और इसमें अप्रत्यक्ष या परिणामी नुकसान या ब्याज की प्रकृति की कोई भी राशि शामिल नहीं है। ग्राहक निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाले किसी भी वास्तविक नुकसान, जुर्माने या लागत (देरी से भुगतान के किसी भी जुर्माने, अवसर लागत और ब्याज की प्रकृति की किसी भी राशि को छोड़कर) के खिलाफ एडीआईबी को क्षतिमुक्त रखेगा:
- A. ग्राहक द्वारा किसी मजदूरी संरक्षण प्रणाली या श्रम-कानून दायित्व का उल्लंघन;
 - B. गलत या अवैध डेटा का प्रावधान;
 - C. रोजगार विवाद; या
 - D. बैंक ग्राहक निर्देशों के अनुसार किया गया प्रसंस्करण तथा लागू मजदूरी संरक्षण प्रणाली प्रक्रियाएँ।
- 10.22** मजदूरी संरक्षण प्रणाली प्रसंस्करण, वापसियों, धन-वापसियों, रिपोर्ट एवं सहायता से संबंधित सभी शुल्क अबू धाबी इस्लामिक बैंक की शुल्क अनुसूची के अनुसार लागू होंगे। सरकारी, संचालक (जिसमें मजदूरी संरक्षण प्रणाली संचालक शामिल है) या वाहक शुल्क ग्राहक के खाते के लिए हैं।
- 10.23** मजदूरी संरक्षण प्रणाली की सेवाएं मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्रालय, संयुक्त अरब अमीरात केंद्रीय बैंक और/या मजदूरी संरक्षण प्रणाली संचालक। अबू धाबी इस्लामिक बैंक अपनी प्रक्रियाओं, अपेक्षाओं या ई-चैनलों को युक्तियुक्त रूप से आवश्यक अनुसार अद्यतन कर सकता है, जहाँ व्यावहारिक हो वहाँ सूचना के साथ। अबू धाबी इस्लामिक बैंक मजदूरी संरक्षण प्रणाली की पहुँच को निलंबित या समाप्त कर सकता है, जहाँ कानून द्वारा या मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्रालय, संयुक्त अरब अमीरात केंद्रीय बैंक और/या मजदूरी संरक्षण प्रणाली संचालक द्वारा अपेक्षित हो, तात्त्विक अननुपालन, संदिग्ध धोखाधड़ी, प्रतिबंध जोखिम या बार-बार होने वाली परिचालनगत विफलताओं। अबू धाबी इस्लामिक बैंक या ग्राहक मजदूरी संरक्षण प्रणाली की सेवा को एक (1) माह की लिखित सूचना के साथ समाप्त कर सकता है। ग्राहक के खाते का बंद होना स्वतः मजदूरी संरक्षण प्रणाली की सेवा को प्रतिबंधित कर देगा। ग्राहक तुरंत अपने कर्मचारियों को किसी भी समाप्ति या रद्दीकरण की सूचना देगा और वेतन भुगतान के वैकल्पिक साधनों की व्यवस्था करेगा। निलंबन या समाप्ति उपचित दायित्वों या पूर्व में आरंभ किए गए लेनदेनों को प्रभावित नहीं करेगी।
- 10.24** ग्राहक स्वीकार करता है कि बैंक मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्रालय के निर्देशों, केंद्रीय बैंक के नियमों, और/या मजदूरी संरक्षण प्रणाली अपग्रेड का अनुपालन करने के लिए इन नियमों एवं शर्तों को अपडेट कर सकता है।

I, the undersigned hereby declare that I have read, understood and accepted the above Terms and Conditions, the Addendum and Announcement of Profit Distribution Method, the Schedule of Fees displayed by the Bank in the branches and/or on the Bank's website (www.adib.ae) and any amendment to the Terms and Conditions from time to time by the Bank and notified to me in writing.

I undertake to comply with all the above Terms and Conditions, the Addendum and the Schedule of Fees at all material times. I hereby agree to indemnify the Bank and keep the Bank and its group members and service provider(s) indemnified, free from and harmless against all actual costs, liabilities, losses, expenses, claims or damages howsoever arising from negligence, wilful misconduct, collusion or any breach of the Terms and Conditions, the Addendum and the Schedule of Fees.

In addition, I understand and agree that the Bank, its group members and its service providers shall not be liable for any costs, expenses, claims, losses or damages howsoever arising out of or in connection with the Terms and Conditions, the Addendum and the Schedule of Fees other than for gross negligence or wilful misconduct of the Bank, its group members, service providers, employees, agents or representatives, in which case they shall be liable only for actual loss or damage, that may be suffered by the Customer.

I understand that the Bank may offer new products and services to me from time to time and may issue new terms and conditions for such products and services in accordance with the relevant laws, regulations and the Terms and Conditions. I understand and agree that such new terms and conditions shall form an integral part of the Addendum and agree to be bound by them if I subscribe for such products and services.

Accordingly, I hereby sign.

मैं, अधोहस्ताक्षरी इसके द्वारा यह घोषित करता हूँ कि मैंने उपरोक्त नियमों और शर्तों, परिशिष्ट और लाभ वितरण पद्धति की घोषणा, बैंक द्वारा अपनी शाखाओं में और/या बैंक की वेबसाइट (www.adib.ae) पर प्रदर्शित शुल्क अनुसूची तथा बैंक द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले एवं मुझे लिखित रूप में सूचित किए जाने वाले नियमों और शर्तों के किसी भी संशोधन को पढ़, समझ और स्वीकार कर लिया है।

मैं सभी उपर्युक्त नियमों एवं शर्तों, परिशिष्ट तथा शुल्क अनुसूची का सभी तात्त्विक समयों पर अनुपालन करने का वचन देता हूँ। मैं एतद्वारा बैंक को क्षतिपूर्ति करने तथा बैंक और उसके समूह सदस्यों एवं सेवा प्रदाता(ओं) को लापरवाही, जानबूझकर किए गए दुराचार, मिलीभगत या नियमों एवं शर्तों, परिशिष्ट तथा शुल्क अनुसूची के किसी भी उल्लंघन से किसी भी प्रकार उत्पन्न होने वाली सभी वास्तविक लागतों, दायित्वों, हानियों, व्ययों, दावों या क्षतियों से मुक्त और सुरक्षित रखने के लिए सहमत हूँ।

इसके अतिरिक्त, मैं समझता हूँ और सहमत हूँ कि बैंक, उसके समूह के सदस्य और उसके सेवा प्रदाता बैंक, उसके समूह के सदस्यों, सेवा प्रदाताओं, कर्मचारियों, एजेंटों या प्रतिनिधियों की घोर लापरवाही या जानबूझकर किए गए दुराचार के मामलों को छोड़कर, जिस स्थिति में वे ग्राहक को होने वाले केवल वास्तविक नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी होंगे—इन नियमों और शर्तों, परिशिष्ट और शुल्क अनुसूची से या उनके संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी लागत, खर्च, दावों, नुकसान या क्षतियों के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

मैं समझता हूँ कि बैंक मुझे समय-समय पर नए उत्पाद एवं सेवाएं प्रस्तावित कर सकता है और ऐसे उत्पादों एवं सेवाओं के लिए संबंधित कानूनों, विनियमों तथा नियमों एवं शर्तों के अनुसार नए नियम एवं शर्तें जारी कर सकता है। मैं समझता हूँ और सहमत होता हूँ कि ऐसे नए नियम एवं शर्तें परिशिष्ट का अभिन्न अंग होंगी और यदि मैं ऐसे उत्पादों एवं सेवाओं की सदस्यता लेता हूँ तो उनसे बाध्य होने के लिए सहमत होता हूँ।

तदनुसार मैं एतद्वारा हस्ताक्षर करता हूँ।

Customer Full name		ग्राहक का पूरा नाम
Date		दिनांक
Signature		हस्ताक्षर

Customer's Signature 1		ग्राहक के हस्ताक्षर 1
Name		नाम
Date		दिनांक
Signature		हस्ताक्षर

Customer's Signature 2		ग्राहक के हस्ताक्षर 2
Name		नाम
Date		दिनांक
Signature		हस्ताक्षर

Customer's Signature 3		ग्राहक के हस्ताक्षर 3
Name		नाम
Date		दिनांक
Signature		हस्ताक्षर

For and on behalf of ADIB		अबू धाबी इस्लामिक बैंक के लिए एवं उसकी ओर से
Name		नाम
Job title		पदनाम
Date		दिनांक
Signature		हस्ताक्षर